

Vol. 270
No. 23



Tuesday,
24 March, 2026
3 Chaitra, 1948 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 – 16)

Statements by Minister—

Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Sixty-eighth, Seventh, Twenty-fourth, Sixteenth and Twenty-first Reports of Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance—*Laid on the Table* (pages 16 – 17)

Recommendations of the Business Advisory Committee (page 18)

Leave of Absence— *Granted* (page 18)

Matters raised with Permission—

Need for National Highways status of Kakinada-Amalapuram, from Nadakuduru to Amalapuram *via* Draksharama, Kotipalli, Mukteswaram, across river Godavari in Andhra Pradesh (pages 18 – 19)

Need to revise penalties for animal cruelty (pages 19 – 21)

Concern over shortage of doctors and staff at AIIMS, Raipur (page 21)

Demand for complete ban on DJs and loudspeakers during the exam months (pages 22 – 23)

Need for transparency and accountability in transfer and posting of Government employees (pages 23 – 24)

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Concern over rising atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country (pages 24 – 25)

Concern over loss of lives in the Palam fire incident and need for urgent action (pages 25 – 26)

Need to provide halt for Kolkata-Jammu Tawi Express (13151/13152) at Chandauli Majhwar railway station in Uttar Pradesh (pages 26 – 27)

Concern over impact of West Asia conflict on Indian expatriates, seafarers, students and LPG supplies (pages 27 – 28)

Concern over rising incidents of cattle smuggling in Jammu and Kashmir (pages 28 – 29)

Concern over the illegal mining on forest land in Etawah causing environmental damage and public unrest (pages 29 – 30)

Demand for conferring the Bharat Ratna upon Shri Kanshi Ram (pages 30 – 31)

Demand for expediting pending railway projects in Chhattisgarh (pages 31 – 32)

Demand for preventive measures to stop milk adulteration in the country (pages 32 – 33)

Demand for establishment of Murukku industry cluster at Manapparai in Tiruchirappalli (pages 33 – 34)

Concern over rising cases of missing minor girls and women and need for preventive measures (pages 34 – 35)

Demand to launch National Solar Infrastructure Expansion Mission (pages 36 – 38)

Concern over rising cases of child trafficking and exploitation of children, especially young girls across the country (pages 38 – 39)

Concern over curtailment of Nanded-Pune Express (17630) causing hardship to Marathwada passengers (pages 39 – 41)

Need to expedite infrastructure and development projects in Karnataka (pages 41 – 43)

Website : <http://rajyasabha.nic.in>

<http://parliamentofindia.nic.in>

E-mail: rsedit-e@rss.sansad.in

Oral Answers to Questions (pages 43 – 73)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part – I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]

Statement by Prime Minister—

Suo motu statement regarding West Asia crisis (pages 73 – 77)

Messages from Lok Sabha— *Reported and Government Bills laid on the Table* (pages 77 – 78 and page 152)

Ruling by the Chair (page 78)

Government Bill—

The Appropriation (No.2) Bill, 2026, as passed by Lok Sabha— *Discussion not concluded* (pages 78 – 151)

Special Mentions—

Need to curb the misuse of Artificial Intelligence on social media (pages 152 – 153)

Demand for the interlinking of rivers in Bihar for irrigation in Central and South Bihar (pages 153 – 154)

Request for release of domestic LPG connections under PM-Ujjwala Yojana to poor women in Andhra Pradesh (pages 154 – 155)

Concern over operational and maintenance challenges faced by the UNESCO heritage, Darjeeling Himalayan Railway (pages 155 – 156)

Concern over rising cost of educational loans and demand for reforms in loan repayment rules (page 156)

Demand to establish a National Value Addition and Research Centre in Jharkhand (page 157)

Need for social campaign to address underage driving (pages 157 – 158)

Demand for Integrated Buckingham Canal—based multimodal corridor in Andhra Pradesh under NW-4 with key focus on SPS Nellore district (pages 158 – 159)

Concern on missing Indian Seafarers in International Waters (pages 159 – 160)

Demand for Old Pension Scheme for employees appointed against posts advertised in Central Universities prior to December 22, 2003 (page 160)

Need to ensure pay parity and appropriate remuneration for judges in India (pages 160 – 161)

Demand to include Gondi language in the Eighth Schedule to the Constitution (pages 161 – 162)

Concern over impact of traffic congestion in Indian cities (page 162)

RAJYA SABHA

Tuesday, the 24th March, 2026/3 Chaitra, 1948 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Now, papers to be laid on the Table.

- I. **Notification of the Ministry of Health and Family Welfare**
- II. **Report and Accounts (2024-25) of HML, Chengalpattu, Tamil Nadu and related papers**
- III. **Reports and Accounts (2024-25) of various councils, institutes and vidyapeeth and related papers**

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) Notification No. G.S.R. 138(E)., dated the 19th February, 2026, publishing the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2026, under sub-section (3) of Section 24 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994, along with the Extract of the Regulations.

[Placed in Library. See No. L.T. 6748/18/26]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) clause (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(a) Annual Report and Accounts of the HLL Medipark Limited (HML), Chengalpattu, Tamil Nadu, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6613/18/26]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Central Council for Research in Siddha (CCRS), Chennai, Tamil Nadu, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6742/18/26]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Siddha (NIS), Chennai, Tamil Nadu, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6740/18/26]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6741/18/26]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Naturopathy (NIN), Pune, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6731/18/26]

- (v) (a) Thirty-fourth Annual Report and Accounts of the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), (National Academy of Ayurveda), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Vidyapeeth.

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6419/18/26]

- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy (NEIAH), Shillong, Meghalaya, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6420/18/26]

- (vii) (a) Annual Report and Accounts of the North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research (NEIAFMR), Pasighat, East Siang District, Arunachal Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6743/18/26]

- (viii) (a) Annual Report and Accounts of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (CCRYN), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6732/18/26]

I. Notifications of the Ministry of Finance

II. Reports and accounts (2024-25) of GSTN, New Delhi and CDMD, Mumbai and related papers

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा): महोदय, मैं श्री पंकज चौधरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. FEMA 6 ©/(5)/2026-RB., published in the Gazette of India dated the 24th February, 2026, notifying the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2026, under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999.

[Placed in Library. See No. L.T. 6624/18/26]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 25 of the Coinage Act, 2011:—

(1) G.S.R. 118(E)., published in the Gazette of India dated the 9th February, 2026, notifying the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 100 Years of Ol Chiki Script by Pandit Raghunath Murmu) Rules, 2026.

[Placed in Library. See No. L.T. 6626/18/26]

(2) G.S.R. 125(E)., published in the Gazette of India dated the 12th February, 2026, notifying the Coinage (Issue of commemorative coin on the occasion of inauguration of Seva Teerth) Rules, 2026.

[Placed in Library. See No. L.T. 6627/18/26]

(3) G.S.R. 140(E)., published in the Gazette of India dated the 23rd February, 2026, notifying the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the

occasion of 75th Foundation Day of Employees' State Insurance Corporation) Rules, 2026.

[Placed in Library. See No. L.T. 6628/18/26]

- (4) G.S.R. 149(E)., published in the Gazette of India dated the 26th February, 2026, notifying the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of completion of 100 Years of the State Bank of India, Main Branch, New Delhi) Rules, 2026.

[Placed in Library. See No. L.T. 6629/18/26]

- (5) G.S.R. 182(E)., published in the Gazette of India dated the 13th March, 2026, notifying the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Centenary Year Celebration of Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad) Rules, 2026.

[Placed in Library. See No. L.T. 6630/18/26]

- (6) G.S.R. 183(E)., published in the Gazette of India dated the 13th March, 2026, notifying the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 150th Year of Indian Association for the Cultivation of Science) Rules, 2026.

[Placed in Library. See No. L.T. 6631/18/26]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. HRDV No. 02112 /Staff., published in the Gazette of India dated the 6th March, 2026, notifying the Small Industries Development Bank of India Pension [Amendment] Regulations, 2026, under sub-section (3) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.

[Placed in Library. See No. L.T. 6625/18/26]

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. 9/8/2010-IF-I., published in the Gazette of India dated the 12th March, 2026, notifying the Export-Import Bank Officers' Service (Amendment) Regulations, 2026, under sub-section (3) of Section 39 of the

Export-Import Bank of India Act, 1981.

[Placed in Library. See No. L.T. 6637/18/26]

(v) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. G.S.R. HO/HRMD/DOC/2025/03246., published in the Gazette of India dated the 30th October, 2025, notifying the National Housing Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2025, under sub-section (5) of Section 55 of the National Housing Bank Act, 1987, along with a delay statement.

[Placed in Library. See No. L.T. 6638/18/26]

(vi) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. S.O. 1259(E)., published in the Gazette of India dated the 11th March, 2026, notifying the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2026, under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, along with an Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 6635/18/26]

(vii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, along with Explanatory Memoranda:—

- (1) S.O. 905(E)., published in the Gazette of India dated the 18th February, 2026, declaring the substances, salts and preparations, as mentioned therein, to be manufactured drugs.

[Placed in Library. See No. L.T. 6632/18/26]

- (2) S.O. 906(E)., published in the Gazette of India dated the 18th February, 2026, amending the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act.

[Placed in Library. See No. L.T. 6633/18/26]

- (3) S.O. 907(E)., published in the Gazette of India dated the 18th February,

2026, amending the Principal Notification No. S.O. 1055(E), dated the 19th October, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6634/18/26]

(viii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 181(E)., published in the Gazette of India dated the 12th March, 2026, amending the Principal Notification No. G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025, issued under sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 along with an Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. L.T. 6652/18/26]

(ix) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with Explanatory Memoranda:—

- (1) S.O. 356(E)., published in the Gazette of India dated the 22nd January, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6639/18/26]

- (2) S.O. 383(E)., published in the Gazette of India dated the 27th January, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6640/18/26]

- (3) S.O. 419(E)., published in the Gazette of India dated the 29th January, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6641/18/26]

- (4) S.O. 462(E)., published in the Gazette of India dated the 30th January,

2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6642/18/26]

(5) S.O. 474(E)., published in the Gazette of India dated the 2nd February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

(6) S.O. 495(E)., published in the Gazette of India dated the 3rd February, 2026, notifying a Corrigendum to the Notification No. S.O. 474(E), dated the 2nd February, 2026.

[Placed in Library. For (5) and (6), see No.L.T.6643/18/26]

(7) S.O. 496(E)., published in the Gazette of India dated the 3rd February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6644/18/26]

(8) S.O. 578(E)., published in the Gazette of India dated the 5th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6645/18/26]

(9) S.O. 599(E)., published in the Gazette of India dated the 6th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6646/18/26]

(10) S.O. 787(E)., published in the Gazette of India dated the 13th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6647/18/26]

(11) S.O. 890(E)., published in the Gazette of India dated the 18th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd

August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6648/18/26]

- (12) S.O. 987(E)., published in the Gazette of India dated the 24th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6649/18/26]

- (13) S.O. 1099(E)., published in the Gazette of India dated the 27th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6650/18/26]

- (14) S.O. 1318(E)., published in the Gazette of India dated the 13th March, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 6651/18/26]

- (15) Notification Ad-hoc Exemption Order No.1 of 2026, published in the Gazette of India dated the 6th March, 2026, requesting for Ad hoc exemption for import of cheetahs by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

[Placed in Library. See No. L.T. 6653/18/26]

II. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) clause (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (a) Annual Report and Accounts of the Goods and Services Tax Network (GSTN), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Explanatory Memorandum on the above Report.

[Placed in Library. See No. L.T. 6636/18/26]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following, under sub-section (2) of

Section 19A of the Comptroller and Auditor General's Act, 1971:—

- (a) Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of the Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF), Mumbai, Maharashtra, for the year 2023-2024.
- (b) Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of the Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 6934/18/26]

I. Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare

II. Report and Accounts (2024-2025) of NIHF, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I lay on the Table:—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. G.S.R. 185(E)., published in the Gazette of India dated the 13th March, 2026, notifying the National Commission for Allied and Healthcare Professions (Amendment) Rules, 2026, under Section 67 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021.

[Placed in Library. See No. L.T. 6754/18/26]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare, under sub-section (3) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947, along with delay statements:—

- (1) 11-1/2024-INC (VIII):, published in the Gazette of India dated the 27th December, 2024, notifying the Indian Nursing Council {Nurse Practitioner in Neonatal Nursing (NPNeoN) — Postgraduate Residency Program} Regulations, 2024.

[Placed in Library. See No. L.T. 6732/18/26]

- (2) 11-1/2024-INC (VI):, published in the Gazette of India dated the 27th December, 2024, notifying the Indian Nursing Council {Nurse Practitioner in Family Health (NPFH) — Postgraduate Residency Program} Regulations, 2024.

- (3) 11-1/2024-INC (IX):, published in the Gazette of India dated the 17th January, 2025, notifying the Indian Nursing Council {Nurse Practitioner in Anesthesia (NPA) — Postgraduate Residency Program} Regulations, 2024.
- (4) 11-1/2024-INC (X):, published in the Gazette of India dated the 17th January, 2025, notifying the Indian Nursing Council {Nurse Practitioner in Nephrology Nursing (NPNepN) — Postgraduate Residency Program} Regulations, 2024.
- (5) 11-1/2024-INC (XI):, published in the Gazette of India dated the 30th January, 2025, notifying the Indian Nursing Council {Nurse Practitioner in Pediatric Nursing (NPPN) — Postgraduate Residency Program} Regulations, 2024.

[Placed in Library. For (2) to (5), see No.L.T. 6752/18/26]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:—

- (1) G.S.R. 135(E)., published in the Gazette of India dated the 16th February, 2026, notifying the Drugs (Amendment) Rules, 2026.
- (2) G.S.R. 165(E)., published in the Gazette of India dated the 10th March, 2026, notifying the Medical Devices (Amendment) Rules, 2026.

[Placed in Library. For (1) and (2), see No.L.T. 6753/18/26]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Report of the National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW), New Delhi, for the year 2024-25.
- (b) Annual Accounts of the National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW), New Delhi, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.

- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6749/18/26]

Notification of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा): महोदय, मैं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन विधिक मापविज्ञान (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित करने वाली, भारत के राजपत्र में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 175(अ)., दिनांक 12 मार्च, 2026 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. L.T. 6717/18/26]

I. Notifications of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

II. Report and Accounts (2024-25) of CDLB, Kolkata and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I lay on the Table:—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. G.S.R. 155(E)., published in the Gazette of India dated the 5th March, 2026, notifying the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signals) (First Amendment) Rules, 2026, under sub-section (1) of Section 113 of the Inland Vessels Act, 2021.

[Placed in Library. See No. L.T. 6756/18/26]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. S.O. 1243(E)., published in the Gazette of India dated the 10th March, 2026, notifying the commencement of the provisions of the Coastal Shipping Act, 2025, with effect from 15.03.2026, under Section 40 of the Coastal Shipping Act, 2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 6755/18/26]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 5(E) of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948:—

- (a) Annual Administration Report and Accounts of the Calcutta Dock Labour Board (CDLB), Kolkata, West Bengal, for the year 2024-25, together with

the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6756/18/26]

Reports and Accounts (2022-23, 2023-24 and 2024-25) of GAIL (India) Limited, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SURESH GOPI): Sir, I lay on the Table:—

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) clause (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. For (i) to (iii), see No.L.T. 6718/18/26]

I. Notifications of the Ministry of Corporate Affairs

II. Report and Accounts (2024-25) of CCI, New Delhi and related papers

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Corporate Affairs, under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:—

- (1) IBBI/2025-26/GN/REG133., published in the Gazette of India dated the 23rd December, 2025, notifying the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Seventh Amendment) Regulations, 2025.
- (2) IBBI/2025-26/GN/REG134., published in the Gazette of India dated the 2nd January, 2026, notifying the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2026.
- (3) IBBI/2025-26/GN/REG135., published in the Gazette of India dated the 25th February, 2026, notifying the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2026.
- (4) IBBI/2025-26/GN/REG136., published in the Gazette of India dated the 25th February, 2026, notifying the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2026.
- (5) IBBI/2025-26/GN/REG137., published in the Gazette of India dated the 25th February, 2026, notifying the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2026.

- (6) IBBI/2025-26/GN/REG138., published in the Gazette of India dated the 25th February, 2026, notifying the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) (Amendment) Regulations, 2026.
- (7) IBBI/2025-26/GN/REG139., published in the Gazette of India dated the 25th February, 2026, notifying the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2026.

[Placed in Library. For (1) to (7), see No.L.T. 6677/18/26]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Corporate Affairs, under sub-section (2) of Section 458 of the Companies Act, 2013:—

- (1) S.O. 697(E)., published in the Gazette of India dated the 11th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 623(E), dated the 11th February, 2022.
- (2) S.O. 699(E)., published in the Gazette of India dated the 11th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 891(E), dated the 31st March, 2015.
- (3) S.O. 700^(E)., published in the Gazette of India dated the 11th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 1354(E), dated the 21st May, 2014.
- (4) S.O. 701(E)., published in the Gazette of India dated the 11th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 3557(E), dated the 31st December, 2015.
- (5) S.O. 707(E)., published in the Gazette of India dated the 11th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 2938(E), dated the 6th September, 2017.
- (6) S.O. 708(E)., published in the Gazette of India dated the 11th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 6225(E), dated the 18th December, 2018.

- (7) S.O. 709(E)., published in the Gazette of India dated the 11th February, 2026, amending the Principal Notification No. S.O. 4090(E), dated the 19th December, 2016.

[Placed in Library. For (1) to (7), see No.L.T. 6814/18/26]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Accounts of the Competition Commission of India (CCI), New Delhi, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of Section 52 of the Competition Act, 2002.
- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6676/18/26]

MR. CHAIRMAN: Now, Statements by Ministers. Shri Harsh Malhotra to lay the Statements on behalf of Shri Pankaj Chaudhary.

STATEMENTS BY MINISTER

Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Sixty-eighth, Seventh, Twenty-fourth, Sixteenth and Twenty-first Reports of Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा): महोदय, मैं श्री पंकज चौधरी की ओर से निम्नलिखित के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखता हूँ:—

- (a) Status of implementation of the Recommendations contained in the Sixty-eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in its Forty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Strengthening Credit Flows to the MSME Sector' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services) and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

[Placed in Library. See No. L.T. 6604/18/26]

- (b) Status of implementation of the Recommendations contained in the Seventh Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action Taken by the Government on observations/recommendations contained in its Sixty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Performance Review and Regulation of Insurance Sector' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services).

[Placed in Library. See No. L.T. 6605/18/26]

- (c) Status of implementation of the Recommendations contained in the Twenty-fourth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action Taken by the Government on observations/recommendations contained in its Thirteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services).

[Placed in Library. See No. L.T. 6606/18/26]

- Status of implementation of the Recommendations contained in the Sixteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action Taken by the Government on observations/recommendations contained in its Third Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.

[Placed in Library. See No. L.T. 6607/18/26]

- Status of implementation of the Recommendations contained in the Twenty-first Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action Taken by the Government on observations/recommendations contained in its Tenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.

[Placed in Library. See No. L.T. 6608/18/26]

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee, in its meeting held on the 23rd March, 2026, has allotted time for Government Legislative business as follows:—

S. NO.	BUSINESS	TIME ALLOTTED
1.	Consideration and Passing of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025, after it is considered and passed by Lok Sabha.	Four Hours
2.	Consideration and passing of the Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026, after its introduction.	Eight Hours

LEAVE OF ABSENCE

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that a communication has been received from Shri Rwngrwa Narzary, Member, regarding his Leave of Absence from 9th March to 2nd April, 2026, during the current 270th Session of Rajya Sabha due to prior committed engagements.

Does he have the permission of the House for remaining absent from 9th March to 2nd April, 2026, during the current Session of the Rajya Sabha?

(No honourable Member dissented.)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

Now, Matters raised with Permission. Shri Subhas Chandra Bose Pilli.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need for National Highways status of Kakinada-Amalapuram, from Nadakuduru to Amalapuram via Draksharama, Kotipalli, Mukteswaram, across river Godavari in Andhra Pradesh

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Honourable Chairman, Sir, this entire Road is in Amalapuram Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh, and, out of 7 Assembly segments in Amalapuram Parliamentary constituency, five

segments are in Konaseema region. Amalapuram, Mummidivaram, P.Gannavaram, Razole and Kothapeta are in Konaseema region along the right bank of River Godavari while the remaining two Assembly constituencies, that is, Ramachandrapuram and Mandapeta segments, are on the left bank of the River. The District Collectorate and other District offices are also situated at Amalapuram. After the Districts' Reorganisation, the Mandapeta segment is merged in East Godavari District. It's headquarter is at Rajamahendravaram. The only one Ramachandrapuram Assembly segment is in Dr. B.R. Ambedkar Konaseema District, which is on left bank of River Godavari. The public are facing much inconvenience and facing troubles due to this reorganisation.

To overcome these troubles, it is necessary to provide said connectivity which is an urgent need of the public and people of Amalapuram Parliament Consistency. The NH authorities dealing with Andhra Pradesh had already submitted the DPR to the Ministry of Road Transport and Highways. I urge the honourable Prime Minister to take up this work under PM Gati Shakti scheme along with bridge on River Godavari at Kotipalli, which is very useful to provide best traffic facilities to the public. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the Zero Hour mention made by Shri Subhas Chandra Bose Pilli: Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Now, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

Need to revise penalties for animal cruelty

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak for the voiceless animals in our country regarding the urgent need to revise penalties for animal cruelty. Sir, there exists a stark disparity in our legal system. A person who tortures or kills an animal in India can walk away with a fine of just Rs. 50 while treating that injured animal costs a minimum of Rs. 5,000 even at Government hospital and less said the better about the Government hospitals because they are non-existent literally for the animals in our country. The perpetrator's penalty is literally 100 times less than the victim's treatment cost. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, sets a maximum fine of Rs. 50 for first offence and Rs. 100 for subsequent ones. These amounts, which were fixed over 65 years ago, have failed to deter cruelty while animal abuse cases continue to rise nationwide. Further, with the

replacement of the Indian Penal Code by the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, the earlier offences under Sections 428 and 429 of the IPC are now covered under Section 325, which provides for punishment of up to five years imprisonment or fine or both. While this is a step forward, enforcement remains weak and penalties under the Prevention of Cruelty to Animals Act remain grossly inadequate.

Sir, a 2021 Report by the Federation of Indian Animal Protection Organisation documented that nearly five lakh animals became victims of crime between 2010 and 2020. Among these were 2,300 gruesome intentional acts causing death or irreparable harm, including 82 cases of sexual abuse, 266 cold-blooded killings and over 400 violent attacks involving beating, acid-throwing, boiling water and maiming. Sir, in the past few months, we have witnessed horrifying cases. In March 2026, during Holi celebrations in Haryana, a viral video showed men forcing alcohol into a cow's mouth. There were also reports of around 100 stray dogs being allegedly poisoned to death in Telangana, reportedly on the directions of local Panchayat officials in the same month. Yet, India's National Crime Records Bureau does not even include animal cruelty in its annual Crime in India Report. We do not formally track these crimes, making them invisible to policymaking and enforcement. Despite amendments proposed in 2022 to enhance penalties, no meaningful reform has been enacted. Meanwhile, global indices may place India in a moderate category, but enforcement remains weak on the ground. So, through you, Sir, I urge that we should relook at the penalties with regard to the cruelty to animals. Let them just not get away with fines. Let them be held responsible for crimes they do. In terms of cow, even the cattle is abandoned once it... Sir, I have 20 seconds more.

MR. CHAIRMAN: I have not said anything.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sorry, Sir. If the cattle becomes economically of no use, the owners usually abandon them on the roads, which makes it extremely difficult for people to manage, respect or handle them. So, through you, Sir, I would request the Government to look into this issue. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the Zero Hour mention made by Shrimati Priyanka Chaturvedi: Shrimati Renuka Chowdhury (Telangana), Shrimati Rekha Sharma, (Haryana), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya (West Bengal), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana),

Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Jaggesh (Karnataka), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Ujjwal Deorao Nikam (Nominated), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir).

Now, Shrimati Phulo Devi Netam.

Concern over shortage of doctors and staff at AIIMS, Raipur

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, जो रायपुर एम्स में क्षमतानुसार चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने के संबंध में है। महोदय, यदि किसी मरीज को समय पर इलाज नहीं मिलता, तो वह भी इलाज नहीं देने के समान ही माना जाता है। यही हाल रायपुर स्थित एम्स का है, जहाँ पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। महोदय, एम्स, रायपुर में चिकित्सक के 305 पद स्वीकृत हैं, जिसकी तुलना में केवल 190 चिकित्सक ही कार्यरत हैं और 115 पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और सर्जरी विभाग चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं। नर्स, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों में लगे स्टाफ के 3,884 पद स्वीकृत हैं, 2,387 स्टाफ कार्यरत हैं और 1,499 पद खाली पड़े हैं। महोदय, चिकित्सक और सहायक स्टाफ की कमी के कारण ओपीडी में तो लम्बी लाइन लगती ही है, साथ ही ऑपरेशन और जाँच में भी देरी हो रही है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को तो बेड ही नहीं मिल पाता है।

अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि एम्स, रायपुर में चिकित्सक और अन्य स्टाफ के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए तथा बेड की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे मरीजों को समय से पूरा इलाज मिल सके। जब भी एम्स में फोन करो, तो बता देते हैं कि बेड की कमी है। इसके चलते मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जो खाली पड़े पद हैं, स्वीकृत पद हैं, यहाँ पर मंत्री जी भी उपस्थित हैं, उन्हें जल्द भरें। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shrimati Phulo Devi Netam: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Dr. John Brittas (Kerala), Shri G.C. Chandrashekhar (Karnataka), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shrimati Ranjeet Ranjan (Chhattisgarh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra) Shri Sanjay Singh (National Capital Territory of Delhi) and Shri Niranjana Bishi (Odisha).

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक

Demand for complete ban on DJs and loudspeakers during the exam months

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, आज मैं सदन में उन बच्चों के लिए खड़ी हूँ, जो खुद यहाँ नहीं आ सकते, वे हैं हमारे देश के करोड़ों विद्यार्थी। महोदय, हर साल फरवरी से अप्रैल के बीच लाखों बच्चे बोर्ड परीक्षा देते हैं। 10वीं, 12वीं, नीट, जेईई, यूपीएससी - ये सिर्फ परीक्षाएं नहीं होती हैं, बल्कि यह उन बच्चों की जिंदगी के भविष्य का सबसे बड़ा कदम होता है। महोदय, एक बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है, माँ-बाप जागकर उस बच्चे की जरूरतें पूरी करते हैं और परीक्षा से पिछली रात उस बच्चे के कानों में धूम-धाम पड़ता है। चाहे पास के मैरिज गार्डन हों, सड़क हो या रात के दो बजे हों, जब लाउडस्पीकर बजते हैं, तब दीवारें कांपती हैं, खिड़कियाँ हिलती हैं। ऐसे में बच्चे को सुबह परीक्षा देने जाना होता है, लेकिन वह सो नहीं पाता है। सर, जब ये डीजे बजते हैं, तब ये जिस रोड से निकलते हैं, उस रोड पर बहुत सारा शोर होता है। वहाँ बीमार भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और 0 से 3 वर्ष के शिशु उठकर चौंक जाते हैं। ऐसे बच्चों का मानसिक तनाव बढ़ जाता है।

महोदय, विज्ञान कहता है कि 60 डेसिबल के ऊपर शोर नींद को तोड़ता है और तनाव बढ़ाता है। एक डीजे सिस्टम 90 से 110 डेसिबल पर चलता है। अब सोचिए कि यह उस 15 साल के बच्चे के दिमाग पर क्या असर डालता होगा! महोदय, यह सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों और शिशुओं पर भी बड़ा गहरा असर छोड़ता है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जश्न की विरोधी नहीं हूँ, शादियों की खुशी की विरोधी नहीं हूँ, हमारी संस्कृति है कि बिना बाजे-गाजे के शादियाँ, चौक-छटी नहीं होती हैं, परंतु आज जो डीजे सिस्टम आ गया है, वह कई परीक्षार्थियों की नींद उड़ा रहा है।

महोदय, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 तो है, लेकिन उसका पालन कम ही होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में आवासीय क्षेत्रों में लाउडस्पीकर प्रतिबंधित होते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कई बार जुर्माने वसूले जाते हैं। मैं यह मांग उस माँ की तरफ से भी करती हूँ, पिता की तरफ से भी करती हूँ, परिवार की तरफ से भी करती हूँ कि उस बाप-बेटे के सपनों को पंख लगे और ऐसे लाउडस्पीकर, जो डीजे के रूप में बजते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shrimati Sumitra Balmik: Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shri Dhananjay Bhimrao

Mahadik (Maharashtra), Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shrimati Sulata Deo (Odisha).

डा. संदीप कुमार पाठक।

Need for transparency and accountability in transfer and posting of Government employees

डा. संदीप कुमार पाठक (पंजाब): ऑनरेबल चेयरमैन सर, आज मैं इस सदन के माध्यम से हमारे देश में जो गम्भीर करप्शन का विषय है, उसे उठाना चाहता हूँ। आप सभी को पता होगा, आप सभी ज्यादा अनुभवी और ज्ञानी लोग हैं कि हमारे देश में जितने भी सरकारी अफसर हैं, कर्मचारी हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ता है। आज के समय में ट्रांसफर, पोस्टिंग एक माफिया बन गया है, जिसकी जड़ें नीचे तक फैली हुई हैं। यह न सिर्फ एक करप्शन का विषय है, बल्कि एक ऐसा विषय है कि जिसके संबंध में अगर हम आज रिजोल्यूशन लें, तो इसमें रिफॉर्म करके पूरे देश की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में लगभग 3 से 4 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। इन 3 से 4 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के कंधे से 140 करोड़ लोगों के लिए गवर्नेंस देने की व्यवस्था की जाती है। अब आप इमेजिन करिए कि ये 3 से 4 करोड़ लोग एस्टिमेटेड नम्बर्स हैं, अगर इनमें करप्शन घुस जाए या इनमें अव्यवस्था आ जाए या इसमें हमारी कमियों के कारण अगर असंतोष आ जाए, तो क्या ये गवर्नेंस को इफेक्टिवली कर सकते हैं?

ऑनरेबल चेयरमैन सर, अगर डेटा उठाकर देखें, इसमें सभी का डेटा तो नहीं है, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स के संबंध है कि लगभग 68 per cent IAS officers within 18 months of their joining are transferred. There are cases wherein 34 साल की सर्विस की उम्र में 57 टाइम्स ट्रांसफर हुए हैं। There are cases, जिसमें एक आदमी के घर के पास वेकेंसी है, वहां पर उसकी जरूरत है और वह सिर्फ अपने घर के पास आकर अपनी पोस्टिंग कराना चाहता है, लेकिन उसे इतना घुमाया जाता है कि वह दम तोड़ देता है या फिर उसे किसी को पैसा देना पड़ता है। यह न सिर्फ करप्शन को जन्म देता है, बल्कि कर्मचारियों में असंतोष भी फैलाता है। करप्शन और असंतोष के कारण फिर institutional failure और misgovernance पैदा होती है।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, अगर हम करप्शन को देखें, तो इसको merit, competence और public interest होने के बजाय यह money, proximity और patronage के आधार पर होती है। जब posting transactional बन जाती है, I repeat जब posting transactional बन जाती है, गवर्नेंस रिकवरी मैकेनिज्म बन जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कंप्यूटरीकरण और डिजिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज है, जिसके संबंध में अगर हम आज रिजोल्यूशन लें, तो कल की डेट पर यह ठीक हो जाएगा। इसमें कई ऑनरेबल ऑफिसर्स को

unceremonious तरीके से ट्रांसफर करके इसलिए भेज दिया जाता है, क्योंकि वह अपने बॉस के करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। कई ऑनेस्ट ऑफिसर को इसलिए भेज दिया जाता है, क्योंकि वह अपने political bosses के सामने सिर नहीं झुकाता है। कई ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो अपनी ऑनेस्टी को दबाकर रख रहे हैं, क्योंकि वे सिस्टम के सामने झुक रहे हैं कि अब सिस्टम बदल नहीं सकता है, इसलिए वे घुट-घुटकर जी रहे हैं। कई ऑफिसर्स ऐसे हैं, जो शुरू में ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन सिस्टम के कारण वे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है और सिस्टमिक तरीके से वे भी करप्ट बन जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Dr. Sandeep Kumar Pathak: Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Dr. John Brittas (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

Shri Mukul Balkrishna Wasnik.

Concern over rising atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (राजस्थान): सभापति महोदय, मैं दलित आदिवासियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय समाज में हाशिए पर खड़े दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार समाप्त होते हुए अभी भी दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय संविधान में समता, भाईचारा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को भारतीय राष्ट्र की बुनियाद में रखा गया है, लेकिन दलित आदिवासियों का बहुत बड़ा हिस्सा इन सिद्धांतों के लाभ से आज भी वंचित है। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जाति-आधारित हिंसा से संबंधित आधिकारिक जानकारी हमारे पास 2023 तक उपलब्ध है। एनसीआरबी के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध के मामले 2019 में 45,935 से लेकर 2023 में 57,789 हो गए। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में हर दिन दलितों के खिलाफ लगभग 158 अपराध होते हैं। आदिवासियों के खिलाफ मामले 2019 में 8,257 से बढ़कर 2023 में 12,960 हो गए। औसतन आदिवासी व्यक्तियों के खिलाफ हर दिन अपराध की 36 घटनाएं घटती हैं। हर दिन 12 दलित महिलाओं और छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। आदिवासी महिलाओं और बच्चों को भी बढ़ती हुई यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस जांच में अक्सर देर होती है या वह अधूरी रह जाती है। अदालतों में 90 प्रतिशत से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं। कुल मिलाकर 3,07,355 मामले अभी कोर्ट में लंबित पड़े हैं। दोष सिद्धि की दर कम है, जो कि दलितों के मामलों में 31.9 और आदिवासियों के मामले में 24.60 और अपराधों से ऐक्विट होने के मामले अभी 60 प्रतिशत से अधिक हैं। ऐसी स्थिति में हमारी अदालतों के कामकाज के प्रति लोगों का देखने का नजरिया कुछ और बन जाता है और उसकी विश्वसनीयता कम होती है। पूरे देश में 498 जिले हैं और सिर्फ 194 जिलों में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है। इस स्थिति से निपटने के लिए विधायी सुधारों में अत्याचारों

की सभी शिकायतों के लिए एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण, समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने का प्रोटोकॉल, पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता और सभी जिलों में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में मैं समझता हूँ कि यह महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले वर्षों में नीति निर्माताओं और संस्थानों की प्रतिक्रिया इस संबंध में क्या रहती है, उससे यह साबित होगा कि हम उनको न्याय देते हैं या नहीं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shri Mukul Balkrishna Wasnik: Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri G.C. Chandrashekhar (Karnataka), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra) and Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana).

Shriman Sanjay Singh.

Concern over loss of lives in the Palam fire incident and need for urgent action

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने एक अत्यंत गंभीर विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, देश की राजधानी, दिल्ली, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति जी रहती हैं, जहां पर हमारे प्रधान मंत्री जी रहते हैं, पूरी सरकार रहती है, तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, इस संसद से कुछ किलोमीटर दूर पालम के क्षेत्र में एक अग्निकांड हुआ और उस अग्निकांड में राजेन्द्र कश्यप जी का पूरा परिवार समाप्त हो गया - उनका बड़ा बेटा, दो बहूएं, तीन छोटी-छोटी बच्चियां, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी। 9 लोगों की जानें चली गईं तथा मां और बेटी को जलने के बाद अलग नहीं किया जा सका। जानें तो गईं नौ लोगों की, लेकिन चिताएं आठ जल पाईं। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके बच्चे कह रहे थे कि हमें बचा लो, बचा लो, उस समय जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गईं, उनकी हाइड्रोलिक सीढ़ी खुल नहीं रही थी। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की तरफ से हंसी आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हंसी आ रही है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, सीढ़ियां नहीं खुलीं। ...**(व्यवधान)**... और तो और, छोड़िए, जो सेफ्टी जाल रहता है, वह सेफ्टी जाल फायर ब्रिगेड के पास नहीं था कि उस सेफ्टी के जाल में कूद कर वे लोग अपनी जान बचा सकें। और तो और मान्यवर, बगल में एक गद्दे की दुकान थी। वह गद्दे वाला कहता रहा कि हम यह गद्दा लगा देते हैं, ये बच्चे कूद जाएंगे, इनकी जान बच

जाएगी, लेकिन वह गद्दा भी नहीं लगाने दिया गया। * इसलिए जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। * इतनी निर्दयता आप लाते कहां से हैं! आपने कहा कि उस परिवार ने होजियरी का काम कर रखा था, कॉस्मेटिक के सामान रखे थे, इसलिए वह आग लगी और अग्निकांड हुआ। * मान्यवर, इतना ही नहीं, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केजरीवाल जी शोक संवेदना व्यक्त करने गए, तो वहां के स्थानीय विधायक ने हमारे एक पूर्व विधायक, विनय मिश्रा पर हमला किया और वहां शोक सभा को भी डिस्टर्ब किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी एक निश्चित समय सीमा में जांच करा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shri Sanjay Singh: Dr. John Brittas (Kerala), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Prem Chand Gupta (Bihar), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana).

Shrimati Sadhna Singh.

**Need to provide halt for Kolkata-Jammu Tawi Express (13151/13152) at
Chandauli Majhwar railway station in Uttar Pradesh**

श्रीमती साधना सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली का प्रमुख रेलवे स्टेशन, चंदौली मझवार जनपद मुख्यालय के निकट स्थित है और यह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के यात्रियों के लिए आवागमन का मुख्य साधन है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस, 13151/13152 एक महत्वपूर्ण ट्रेन है, जिसका चंदौली मझवार स्टेशन पर ठहराव अत्यंत आवश्यक है। इस ट्रेन का ठहराव चंदौली मझवार स्टेशन पर होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जनपद चंदौली तथा आस-पास के क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा और रेलवे की उपयोगिता एवं राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

माननीय सभापति महोदय, वहां इसका ठहराव होने से चंदौली मुख्यालय से यह ट्रेन माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण रेल सेवा होगी। चंदौली एवं आस-पास के क्षेत्रों के लाखों लोग प्रत्येक वर्ष माता वैष्णो देवी के दर्शन हेतु यात्रा करते हैं। अतः मैं माननीय रेल

* Not recorded.

मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव चंदौली-मझवार स्टेशन पर देने की कृपा करें, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The honourable Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha), associated himself with the matter raised by the honourable Member, Shrimati Sadhna Singh.

Dr. John Brittas.

Concern over impact of West Asia conflict on Indian expatriates, seafarers, students and LPG supplies

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, the whole region, our country, our people, our diaspora and, as the Prime Minister said, the whole world is reeling under pressure. One crore Indians in the Middle East, 10 per cent of Keralam resides in Middle East. Five lakh Indian students were supposed to take CBSE exams but the exams stand cancelled. There could be a formula for that. We are getting substantive remittance and India gets the largest remittance, almost Rs.16 lakh crore. Keralam gets almost Rs.2.2 lakh crore. One-third of Kerala's GSDP is powered by remittance. I wish that there should be a rehabilitation package for all those Gulf returnees and those people who are going to return. The seafarers, 700 of them, are stranded in Strait of Hormuz. I feel that the Government has to make a mechanism to ensure that the family members talk to them. Yesterday, the Prime Minister addressed the Lok Sabha. There were four major takeaways from his Address. He talked about economic fallout, disruption in supply chain, how it is affecting the daily life of the people, the serious situation on the LPG front, and also the condition of the Indian diaspora. What was missing was the silence on this unilateral, immoral, illegal war that has been unleashed by the United States and Israel.

Sir, PM called for a unanimous and united voice from the Parliament. I crave your indulgence. You were a Member of Lok Sabha in 2003. At that time, both the Houses of the Parliament, when Atal Bihari Vajpayeeji was the Prime Minister, passed a joint resolution, united resolution, condemning the war against Iraq by the United States. I wish that the Indian Parliament, as Prime Minister said, should express unanimously a united voice. Let the Government bring a resolution which should be passed by both the Houses. We term the attack on GCC countries by Iran as egregious, I admit; but what about the genesis of this crisis? I wish that the Government does not go by the advice of Shri Shashi Tharoor who said that silence is statecraft. I wish that they should be guided by the advice from Mallikarjun Khargeji, not from Shri Shashi Tharoor. I wish that India being a leader of the non-aligned

nations should feel that silence is not a solution. We have to make sure that our voice is heard and it is not only for the selfish interest of the nation but for the interest of the larger humanity. So, I call upon the Government to come with a resolution.

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the issue raised by the honourable Member, Dr. John Brittas: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu and Kashmir), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya (West Bengal), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shrimati Sulata Deo (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri Sat Paul Sharma.

Concern over rising incidents of cattle smuggling in Jammu and Kashmir

श्री सत पाल शर्मा (जम्मू-कश्मीर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सदन में उठाने का मौका दिया है। महोदय, यह विषय है - गोवंश तस्करी में चिंताजनक वृद्धि। यह समस्या न केवल जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था को कमजोर कर रही है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। यह समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा त्वरित, ठोस और बहुआयामी हस्तक्षेप किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर, विशेष रूप से जम्मू में गोवंश तस्करी में हुई वृद्धि अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है। जम्मू-कश्मीर के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 'ऑपरेशन कामधेनु' के अंतर्गत 425 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 3,434 पशुओं को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। यद्यपि ये आंकड़े हमारी पुलिस की सतर्कता और कार्यकुशलता को दर्शाते हैं, परन्तु साथ में यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह अवैध गतिविधि कितने व्यापक स्तर पर फैल चुकी है। आज यह तस्करी केवल छोटे-मोटे अपराधियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक संगठित गोवंश माफिया का रूप ले चुकी है। यह माफिया अवैध मार्गों, फर्जी परमिटों और आक्रामक तरीकों का सहारा लेकर कानून से बचने का प्रयास कर रहा है।

माननीय सभापति जी, अंत में, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में तस्करी की बढ़ती समस्या केवल एक क्षेत्रीय विषय नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय विषय है, इसलिए इसे पूरे देश भर के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मैं संगठित अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू किए जाने की माँग करता हूँ ताकि इन माफियाओं की कमर पूरी तरह से तोड़ी

जा सके और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त-से-सख्त सजा दी जा सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shri Sat Paul Sharma: Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shri Gulam Ali (Nominated), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shri Paka Venkata Satyanarayana (Andhra Pradesh), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri S. Kalyanasundaram *Avargal*; not present. Prof. Ram Gopal Yadav.

Concern over the illegal mining on forest land in Etawah causing environmental damage and public unrest

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मैं आज दो मिनट में अपने मन की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप हमारी बात को भारत सरकार के संबंधित मंत्री को भेज कर आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में इटावा नगर से चंबल नदी तक ग्वालियर के लिए जो एक हाईवे जाता है, उसके दोनों तरफ ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ थीं और सारा हरा-भरा वातावरण था। वह जगह बहुत ही सुंदर और अविस्मरणीय हुआ करती थी। लोग वहाँ सुबह घूमने जाते थे। जब हम लोग पढ़ते थे, तब हम लोग जाते थे। गर्मियों में भी उस सड़क के उस हिस्से को ठंडी सड़क कहा जाता था, लेकिन खनन माफियाओं ने जेसीबी आदि सब कुछ लगा कर हजारों एकड़ जमीन की सारी पहाड़ियों को खत्म करके कब्जा कर लिया और वे प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, जबकि एक इंच जमीन भी उन लोगों की नहीं है। सौ फीसदी जमीन जंगलात, वन विभाग की है और इसकी जानकारी सारे लोगों को है, लेकिन उस पर रोक नहीं लगाई जाती है।

श्रीमन्, चंबल और यमुना इटावा जिले में पैरलल बहती हैं। हम लोग यह मानते हैं कि उस खूबसूरत वातावरण में ही संभवतः हिंदी के रीतिकाल के कवि महाकवि देव, गोपालदास नीरज और शिशुपाल सिंह 'शिशु' जैसे कवियों के मन में कविता का अंकुर पैदा हुआ होगा, क्योंकि प्रकृति का यह सुरम्य वातावरण व्यक्ति के मन और मस्तिष्क, दोनों को परिष्कृत करता है, लेकिन इन लोगों ने सारा विनाश कर दिया है। एक बार शिशु जी दिल्ली आए, वे अध्यापक थे। वे लौट कर गए, तो टीचर्स ने उनसे पूछा कि आपने वहाँ क्या देखा और यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है? उन्होंने चंबल घाटी खंड काव्य लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि अंतर यह है:

*'यहाँ न पार्क राजधानी के जिनमें चपल तितलियाँ,
आवारा फूलों से करती नाजायज रंगरलियाँ
काम यहाँ पर बदचलनी के बीज नहीं बोता है,
हर राधा का यहाँ एक ही सांवरिया होता है।'*

उस वातावरण में पले हुए लोगों ने, हम लोग जब छोटे थे, तब से वहाँ देखा, लेकिन अब वे सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं है। लोग उसको खत्म कर रहे हैं। वहाँ पर पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वहाँ पर चंबल का पानी इतना बढ़िया था कि कोलकाता तक लोग ट्रेन से पानी ले जाते थे। उस पानी को पीने से पेट का किसी तरह का रोग नहीं होता था, कोई किडनी डिजीज नहीं, कोई कैंसर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे मन की पीड़ा को समझें और भारत के वन मंत्री से, जो राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के लोगों का अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का अद्वितीय इतिहास है, उनसे कहें कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म करते हुए यह और कहना चाहता हूँ कि इस जमीन पर कब्जा किए हुए लोगों में 90 परसेंट लोग बीजेपी के हैं और 10 परसेंट समाजवादी पार्टी के हैं। ...**(व्यवधान)**... उनमें 10 परसेंट हमारे दल के भी हैं। उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Prof. Ram Gopal Yadav: Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Prem Chand Gupta (Bihar).

Shriman Ramji Lal Suman.

Demand for conferring the Bharat Ratna upon Shri Kanshi Ram

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, इस देश में बहुसंख्यक लोगों की आशा और विश्वास के प्रतीक, बहुजन नायक, मान्यवर कांशी राम जी को मैं "भारत रत्न" देने की मांग करता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री, श्री अखिलेश यादव जी ने भी सार्वजनिक रूप से कई बार यह मांग की है कि श्री कांशी राम जी को "भारत रत्न" दिया जाए।

सभापति महोदय, 1956 में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर का इंतकाल हुआ। उनके निधन के बाद, उनकी पार्टी, Republican Party of India दो हिस्सों में बंट गई। उसके एक गुट के नेता, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे थे और दूसरे गुट के नेता, दादासाहेब गायकवाड बने। आहिस्ता-आहिस्ता 1970 तक बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के आंदोलन के लोग अपनी सुविधानुसार दूसरे दलों में चले गए। उनके जीते-जी डा. लोहिया चाहते थे कि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर और

डा. लोहिया मिलकर काम करें, लेकिन यह वक्त को मंजूर नहीं था। सभापति महोदय, कांशी राम जी प्रतिष्ठित सरकारी सेवा में थे, लेकिन उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया और 1971 में पूरे देश में, हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक लोग थे, उनके पक्ष में उन्होंने जनजागरण किया, लोगों को सचेत किया, लोगों को जगाने का काम किया। उन्होंने 1978 में बामसेफ बनाया और 1981 में डीएस 4 बनाया।

सभापति महोदय, कांशी राम जी ने पीड़ित लोगों में सम्मान की भूख पैदा की और कहा कि हिंदुस्तान की हर समस्या का हल है कि तुम सत्ता पर कब्जा कर लो। मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि कांशी राम जी दो बार, 1991 और 1996 में लोक सभा के सदस्य रहे। वे 1991 में इटावा से लोक सभा के सदस्य बने और 1996 में पंजाब के होशियारपुर से सदस्य बने। मुलायम सिंह यादव जी, जिनको हम नेताजी कहते हैं, उन्होंने कांशी राम जी को संसद में भेजने के लिए अथक प्रयास किया था।

सभापति महोदय, कांशी राम जी सांसद थे या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर तो लोक सभा का चुनाव हार गए थे! व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा का मूल्यांकन उसकी सेवाओं से होता है। कांशी राम जी महान थे और इस देश में समाज के बहुसंख्यक लोगों को जगाने का उनका जो योगदान था, वह अविस्मरणीय है।

सभापति महोदय, मैं कांशी राम जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए पुरजोर मांग करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द "भारत रत्न" प्रदान किया जाए।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shri Ramji Lal Suman: Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir), Dr. Sasmit Patra (Odisha), and Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh).

Shri Rajeev Shukla.

Demand for expediting pending railway projects in Chhattisgarh

श्री राजीव शुक्ला (छत्तीसगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और खासकर रेल मंत्रालय का ध्यान छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ दिलाना चाहूंगा। कई सालों से छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाएं फाइलों में दौड़ रही हैं, मगर पटरी पर नहीं दौड़ पा रही हैं। दल्लीराजहरा से रावघाट और आगे जगदलपुर तक के विस्तार के लिए जनता प्रतीक्षा में है, जो कि बस्तर के विकास में मुख्य भूमिका निभाती हैं। खरसिया से धर्मजयगढ़ और गेवरा रोड से पेंड्रा रोड की नई लाइनों की घोषणा भी उत्साह से हुई थी, मगर स्थानीय जनता भी पूछ रही है कि ट्रेन पहले आएगी या चुनाव पहले आएंगे। इसके साथ ही, मैं सरकार का ध्यान सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों की वर्षों पुरानी और अत्यंत महत्वपूर्ण मांग रायपुर-सारंगढ़-झारसुगुड़ा नई रेल लाइन परियोजना की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस परियोजना का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में किया जा चुका है। उस समय प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई लगभग 310 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत लगभग 2,161 करोड़ रुपये आंकी गई थी। परंतु विडंबना यह है कि 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह परियोजना फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाई है। यह केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों के बीच आर्थिक व्यवस्था की पटरी है। सारंगढ़ और आसपास का क्षेत्र धान उत्पादन, कृषि व्यापार, खनिज संसाधनों और औद्योगिक संभावनाओं से भरपूर नजर आता है। यदि यह रेल मार्ग स्वीकृत होकर बनता है, तो किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, व्यापारियों को परिवहन की सुविधा मिलेगी, विद्यार्थियों को शिक्षा केंद्रों तक पहुंचने में आसानी होगी और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के बीच आर्थिक संपर्क सुदृढ़ होंगे। सर्वेक्षण को डेढ़ दशक से अधिक समय बीत चुका है, स्वाभाविक है कि परियोजना की लागत और स्थितियों में परिवर्तन हुआ होगा। अतः मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस परियोजना का पुनः सर्वेक्षण कराकर लागत का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और इसे शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।

महोदय, जब देश अमृत काल की बात करता है या स्मार्ट सिटी की बात करता है, तो वह यह भूल जाता है कि उनका रास्ता ग्रामीण अंचल से होकर निकलता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और जिस तरह गडकरी जी सभी राज्यों के साथ न्याय करते हैं, उसी तरह मैं बाकी मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी पक्ष और विपक्ष न देखें, बल्कि सभी राज्यों के लिए बराबर मदद करें और विकास के कार्यों में संलग्न हों, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shri Rajeev Shukla: Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), and Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana).

Now, Shriman Yerram Venkata Subba Reddy garu.

Demand for preventive measures to stop milk adulteration in the country

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to raise an important issue. My mention is for taking preventive measures to stop milk adulteration in the country. The White Revolution made our country from milk deficit nation to world's largest milk producer. We all know, adulteration is normally done when there is shortage of something, not when there is abundance. But, surprisingly and shockingly, in spite of huge production, we have rampant adulteration of milk. Sir, the unfortunate part is, every year, many adulteration cases are reported. A major milk adulteration was busted in Kapaswadi

area of Andheri West, Mumbai, in December 2025. Recent reports in Punjab show that 47 per cent failure rate for milk and dairy products tested during 2024-25. Authorities busted a factory in Sabarkantha that had been producing milk and buttermilk using detergent and urea. And, the latest one is reported in Andhra Pradesh in February-March, 2026. Sir, 16 people, mostly elderly and children, have died in Laala Cheruvu, Chowdeswari Nagar in Rajahmundry, Andhra Pradesh, so far this month, due to milk adulteration and many people are still in hospitals. It is heart-rending that poor people died due to milk adulteration. There are reports that Ethylene Glycol added in milk which perpetually caused death of many people.

Sir, firstly, I demand compensation of Rs.10 lakhs to the kin of each persons who have died due to milk adulteration in Andhra Pradesh. And, secondly, Sir, I strongly feel that adulteration can be controlled and stopped only when FSSAI conducts strict and regular surveillance, inspections not superficially but by reaching the ground, taking sample of milk and milk products and once find adulterated through lab tests, the culprits should be criminally prosecuted and capital punishment should be given. Sir, it is only then we can stop this. Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shri Yerram Venkata Subba Reddy: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh).

Now, Shrimati Rajathi.

Demand for establishment of Murukku industry cluster at Manapparai in Tiruchirappalli

SHRIMATI RAJATHI (Tamil Nadu): &Honourable Chairman Sir, as Tamil Nadu's name is often identified with Kancheepuram silk, Tiruchirappalli's name is associated with Manapparai Murukku. Sir, I would like to draw the attention of the House to the world-renowned traditional food industry of Manapparai, Tiruchirappalli. Sir, you also would have known about the popularity of Manapparai Murukku. Its unique taste is attributed to the local groundwater and traditional hand-rolled techniques. The Manapparai Murukku industry was officially granted the Geographical Indication (GI) tag in 2025, recognising its unique taste. A couple of months ago, the Department for

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

Promotion of Industry and Internal Trade described the Manapparai Murukku as a flavourful snack beloved not just in Tamil Nadu but across the world. Despite this recognition, thousands of families involved in this murukku making industry face severe challenges, including absence of shared facilities, modern infrastructure, standardisation mechanisms, and organised marketing systems significantly affecting efforts to improve income and livelihood. The industry needs support in various forms including financial support from the Union Government.

Sir, I urge the Minsitry to grant approval for establishing a Murukku Production Cooperative Cluster in Manapparai under the SFURTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries) programme. This will enable a Common Facility Centre (CFC) for quality control, automated production without losing tradition, and export-grade packaging. This will not only protect our national heritage, but also empower local snacks to reach international markets.

Moreover, the prices of essential commodities are increasing exorbitantly. People face hardship due to skyrocketing of prices of essential commodities such as pulses, edible oil etc. In order to relieve them from this financial crisis, their source of income has to be increased. Only then will their livelihood improve. I have met the Minister concerned also with regard to this issue and had handed over a letter explaining the situation. Sir, I hope my request would be considered. I once again thank you for giving me this opportunity. Vanakkam!

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shrimati Rajathi: Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha) and Shri Subhas Chandra Bose Pilli (Andhra Pradesh).

The next Zero Hour mention is of Dr. Medha Vishram Kulkarni.

Concern over rising cases of missing minor girls and women and need for preventive measures

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र): माननीय सभापति महोदय, महिलाएं और नाबालिग बालिकाएं लापता होने की बढ़ती गंभीर समस्या के बारे में मेरा आज का शून्य काल विषय है। महोदय, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देती हूँ। महाराष्ट्र में गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024-2025 में दो सालों में 93 हजार, 940 महिलाएं लापता होने के केसेस हुए। उसमें 23 हजार से अधिक नाबालिग बालिकाएं थीं। महाराष्ट्र में हर रोज 132 महिलाएं लापता हो रही हैं। ये आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। मुंबई हो, नवी मुंबई हो, रायगढ़, नागपुर, संभाजीनगर और पुणे सहित बहुत

सारे शहरों में ज्यादा लापता होने के केसेस बढ़ रहे हैं। पुणे में पंद्रह दिन में बीस केसेज नाबालिग बालिका लापता होने के हुए, जिसमें नाबालिग बालिकाओं की आयु तेरह से सत्रह वर्ष की थी। मानव तस्करी के बहुत संगठित नेटवर्क एक्टिव होने का कारण सामने आया है। लव जिहाद के केसेज बढ़ रहे हैं, जबरन भगाने के केसेज बढ़ रहे हैं। ये घटनाएं इतने ज्यादा पैमाने पर हो रही हैं, फिर भी जांच के रेट बहुत ही कम हैं। 2024 में 45 महिलाएं गायब हुईं। उनमें से पंद्रह हजार महिलाएं आज भी लापता हैं, दो साल होने के बाद भी। 2025 में 48 महिलाएं गायब हुईं, मतलब 28 हजार महिलाएं दो सालों से कहां हैं, किसी को पता नहीं है। ये महिलाएं और नाबालिग बालिकाएं गई कहां? क्या उनकी तस्करी हुई, क्या विदेशों में इनको बेचा गया, क्या उनको मार डाला गया, क्या उनके ऑर्गन बेच दिए गए, क्या उनका शोषण हुआ? असत्य प्रेम विवाह के नाम पर क्या लव जिहाद के केसेज में उनको फंसाया गया है, क्या सोशल मीडिया का उपयोग करके उनको फंसाया गया है?

महोदय यह समस्या बहुत ही गंभीर है और जिसमें ठोस उपायों की आवश्यकता है। मैं मांग करती हूं कि एक सक्षम, आधुनिक और फास्ट जांच तकनीक होनी चाहिए, जिसमें गोल्डन आवर्स में खोज हो सके। मोबाइल ट्रैकिंग गोल्डन आवर्स में हो सके। आधुनिक सीसीटीवी प्रणाली हो, जो हर पब्लिक प्लेस पर जैसे बड़े चौराहों पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन्स पर हो और वे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और उनकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लव जिहाद के केसेज और शादी के बाद जबरन धर्मांतरण पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर पाबंदी या सख्त निगरानी होनी चाहिए। हर प्रवास के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर मेन्डेटरी होना चाहिए। चाहे दो लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट से भी प्रवास क्यों न कर रहे हों, वहां भी दोनों लोगों के आधार कार्ड दर्ज होने चाहिए, नंबर दर्ज होने चाहिए।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Dr. Medha Vishram Kulkarni: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shri Gulam Ali (Nominated), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand).

Now, Shri S, Kalyanasundaram.

Demand to launch National Solar Infrastructure Expansion Mission

SHRI S. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): &Honourable Chairman Sir, First of all, I convey my greetings to you. Sir, it is a matter of immense pride for the Tamil soil that the high office of the Vice President of India is adorned by you. Your leadership brings honour not only to Tamil Nadu but to the entire nation. Leaders of all political parties, esteemed Ministers, dear colleagues, greetings to one and all. Thriukural says:

*“He is the light of Kings who has these four things
Beneficence, Benevolence, Rectitude and care for his people”.*

The great leader Kalaignar M. Karunanidhi interpreted this beautifully—he said that a true ruler ensures the welfare of the people, governs with compassion and fairness, and protects and nurtures society without bias.

Honourable Chairman Sir, today, I rise to draw the attention of this august House to a matter of national importance—the urgent need to expand solar energy infrastructure across our country. India is a land blessed with abundant sunlight throughout the year. Yet, paradoxically, we continue to face power shortages and electricity instability. The question we must ask ourselves is simple yet profound: In a country where the sun rises every day, why should there be darkness? This is not a failure of resources—it is a gap in planning, execution, and accessibility.

Sir, solar energy is no longer an optional initiative—it is a national necessity. Despite various schemes, its benefits have not fully reached the common people, particularly in rural and agricultural sectors. We proudly call our farmers the backbone of the nation. However, what do they face today? Frequent power cuts, rising electricity costs, and uncertainty in irrigation. This situation is neither fair nor sustainable. I, therefore, propose that the Government take a bold and transformative step—provide solar-powered pump sets free of cost with full subsidy to small and marginal farmers, in place of conventional electric pumps. This single measure can revolutionize agriculture by ensuring uninterrupted power supply, reducing costs, and increasing productivity. Agriculture will flourish, and farmers will progress economically.

Further, rooftop solar systems must be promoted across the country. For economically weaker sections and rural households, full subsidy should be provided.

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

For others, the Government can extend support through interest-free or low-interest loans. I strongly urge the Government to consider providing up to 75% subsidy for solar installations in homes, commercial establishments, and community infrastructure. This will significantly reduce pressure on the national power grid.

Sir, I would also like to propose a visionary national initiative— “National Solar Infrastructure Expansion Mission.” Through this mission, solar energy adoption can be systematically expanded across all sectors. If tax incentives and financial concessions are extended to industries and commercial establishments adopting solar energy, it will not only reduce operational costs but also accelerate economic growth.

Solarization of Government institutions must be made mandatory. Hospitals, Government schools, colleges, and primary health centres should all be equipped with solar power systems. This will reduce recurring expenditure and ensure uninterrupted essential services. Additionally, Corporate Social Responsibility (CSR) funds and voluntary organizations can be effectively partnered with the Government to support solar expansion projects, particularly in underserved areas.

Sir, places of worship across our nation can also play a vital role. Solar panels may be installed with full subsidy in such institutions. Those with financial capacity may even generate surplus energy, contributing to the grid. Moreover, if solar parks are developed in every district, it will open new avenues for industrial growth, generate employment for our youth, and strengthen the local economy. A large-scale transition to solar energy will also significantly reduce the financial burden on Governments—especially in states like Tamil Nadu, where free electricity is provided to farmers, weavers, and economically weaker households. By shifting to solar-based supply, dependency on costly external power procurement and transmission losses can be minimized. Further, enabling local generation and consumption of electricity in low-income residential areas can stimulate local economies and create a more sustainable energy ecosystem. Sir, while solar energy is crucial, we must also promote other renewable sources such as wind and hybrid energy systems through dedicated schemes and funding support.

In conclusion, bringing solar power to every household is not merely a policy goal—it is a national commitment. It is our duty to ensure clean, affordable, and reliable energy for every citizen of this country. Let us move from intent to action, from vision to implementation, and from dependence to sustainability. With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shri S. Kalyanasundaram: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Gurwinder Singh Oberio (Jammu and Kashmir), Shri Subhasish Khuntia (Odisha) and Shrimati Sulata Deo (Odisha).

**Concern over rising cases of child trafficking and exploitation of children,
especially young girls across the country**

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय श्री जगन्नाथ। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ :

“बच्चे मन के सच्चे,
सारी जग की आँख के तारे।
ये वो नन्हे फूल हैं जो
भगवान को लगते प्यारे,
बच्चे मन के सच्चे।”

सर, मेरा आपसे निवेदन है, इस सरकार से निवेदन है कि इन नन्हे-नन्हे फूलों को, इन जग के तारों को बचा लीजिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग होती है। हम सबको मालूम है कि किस तरह से, खास तौर से बच्चियों की ट्रैफिकिंग हो रही है। वे लोग इन्हें कहीं नहीं छोड़ते। आप रेलवे स्टेशन देखिए, मॉल्स देखिए, एयरपोर्ट देखिए, ट्रैफिक पोस्ट देखिए, मंदिर देखिए, कहीं भी देखिए, वे बच्चियों से भीख मांगने का काम करवाते हैं। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सरकार को एक टास्क फोर्स का गठन करके इस नेटवर्क को बंद करना पड़ेगा, कुछ लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा, बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ेगा। आप जहाँ देखेंगे, वहाँ पाएंगे कि ये बच्चियाँ भीख मांगती होंगी, फूल बेचती होंगी। यह सब कैसे हो रहा है? हर स्टेट में चाइल्ड कमीशन है। हममें से कोई ऐसा एमपी नहीं है, जो इस बारे में नहीं जानता होता। जब बच्चे ट्रैफिक पोस्ट पर भीख मांगते हैं, तो आपकी नजर में नहीं आए होंगे — ऐसा हो नहीं सकता। सरकार क्या कर रही है?

सभापति महोदय, एक और बात है। दिल्ली में, यहीं पास ही में जीबी रोड है। उन्हें कहाँ छोड़ें? सभी जगहों पर, छोटी-छोटी बच्चियों को, हमारी बेटियों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर, उन्हें समय से पहले बड़ा बनाकर, उनसे प्रॉस्टीट्यूशन करवाया जाता है। कैसे होगा, क्या होगा? बच्चे इस देश का भविष्य हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियों को बचाइए।

महोदय, हमारे वहाँ, इस वीक, एक बच्ची, डॉ. भीमराव अम्बेडकर बस टर्मिनल से बचाई गई है। कार्तिक नाम के एक छोटे भैया हैं, जिन्होंने उसे पकड़ा, कोई उसे उठा कर ले जा रहा था। सर, हर जगह कार्तिक नहीं होंगे, यह सरकार को देखना पड़ेगा कि इन्हें किस तरह से बचाया

जाए। अभी नवरात्रि चल रही है, यदि लोग इस तरह करेंगे, तो बच्चियाँ नहीं रहेंगी और बच्चियाँ नहीं रहेंगी, तो फिर नवरात्रि में पूजा किसकी करेंगे?

सर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करती हूँ कि जो छोटे-छोटे बच्चे हमारे तारे हैं, ये तारे कहीं जमीन पर खो न जाएं। आप बच्चों को बचा लीजिए। अगर आप अगर चाहेंगे, यह हाउस चाहेगा, यह सरकार चाहेगी, तो कोई भी, कोई बच्चा या बच्ची गायब नहीं हो सकता। बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, उन्हें स्वास्थ्य की जरूरत है, आप टास्क फोर्स का गठन करके जिन बच्चियों को बचाएंगे, उन बच्चियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी तरह से ट्रेन कीजिए, क्योंकि यह हमारे भारत की अगली पीढ़ी है, हमारे भारत का अगला भविष्य है। अगर हमारा भविष्य नहीं रहेगा, तो देश कैसे रहेगा? बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियाँ ही बड़े होकर माँ बनती हैं और जो माँ बनती हैं, उन्हीं से हमारी धरोहर चलती है। सर, इस धरोहर को बचाइए।

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the matter raised by the honourable Member, Shrimata Sulata Deo: Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu and Kashmir), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Ranjeet Ranjan (Chhattisgarh), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Meda Raghunadha Reddy (Andhra Pradesh), Shri Niranjana Bishi (Odisha) and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

The next speaker is Dr. Fauzia Khan.

Concern over curtailment of Nanded-Pune Express (17630) causing hardship to Marathwada passengers

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सदन में अपना विषय रखने का अवसर दिया है। मैं आपका नांदेड़-पुणे एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 17630/17629 के मनमाने ढंग से शॉर्ट टर्मिनेशन पर तत्काल ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ, जिसे 26 जनवरी 2026 को पुणे जंक्शन से हड़पसर तक डाइवर्ट किया गया है। सर, इससे मराठवाड़ा के लाखों यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। ट्रेन अब सुबह सवा चार बजे हड़पसर में समाप्त हो जाती है। इस समय कोई सार्वजनिक परिवहन भी उपलब्ध नहीं होता है। सर, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों और दिहाड़ी मजदूरों को पुणे शहर तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर आबादी पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ है। इस ट्रेन में क्षमता से अधिक भीड़ होती है, जो इस रूट पर भारी मांग को दर्शाती है। यात्रियों की लम्बी समय की मांग के बावजूद, सेवा को पुणे जंक्शन तक बढ़ाने के बजाय रेलवे ने इसे और कम कर दिया है! सर, यह साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा मराठवाड़ा को अनदेखा करने के पैटर्न का एक और उदाहरण है। अतिरिक्त ट्रेनें, बेहतर समय और पुणे एवं मुंबई से बेहतर कनेक्टिविटी की मांगें वर्षों से अनसुनी हैं, भले ही डिजीजनल

और जोनल लेवल्स पर कई बार प्रतिनिधित्व किया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से चार मुद्दों का आग्रह करना चाहती हूँ। नम्बर एक, ट्रेन नंबर 17629/17630 का टर्मिनस तुरंत पुणे जंक्शन पर बहाल किया जाए। नम्बर दो, मराठवाड़ा से पुणे तक कम से कम एक अतिरिक्त दैनिक ट्रेन शुरू की जाए। नम्बर तीन, ट्रेन के समय को संशोधित किया जाए, ताकि यात्री उचित समय पर पहुंच सकें और नम्बर चार, रेलवे बोर्ड को सूखा-प्रवण, आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के सुधार के लिए समयबद्ध योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। मैं यह आपसे विनती करती हूँ। सर, मराठवाड़ा के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। मैं सरकार से बिना देर किए कार्रवाई करने का आग्रह करती हूँ। And, Sir, I will take this opportunity to humbly ask you one question: Whether the Government does take cognizance of our Zero Hour mentions and Special Mentions that we raise, Sir, because we never receive any reply. So, Sir, please enlighten us on this. Thank you.

سڊن مجھے آپنے کم دھنیواد بہت بہت کا آپ، مہودے سیہاپتی : (مہاراشٹر) خان فوزیہ ڈاکٹر[†] نمبر ٹرین ، ایکسپریس پونا ناندیڈ کا آپ میں ہے۔ دیا موقع کا رکھنے وشیہ اپنا میں ، ہوں چاہتی کرانا آکرشت دھیان تتکال پر ٹرمینیشن شارٹ سے ڈھنگ مانے من کے 17630/17629 ہے۔ گیا کیاڈائیورٹ تک بڑپسر بٹاکر سے جنکشن پونے کو 2026 جنوری 26 ہے

سوا صبح ا ٹرین ہے۔ رہی ہو پریشانی بھاری کو یا تریوں لاکھوں کے مراٹھواڑ سے اس ، سر ہے۔ ہوتا نہیں اُلیدھ بھی پریواین ساروجنک کوئی وقت اس ہے۔ ہوجاتی ختم میں بڑپسر بجے چار لبے کے پہنچنے تک شہر پونے کو مزدوروں دباڑی اور کسانوں ، ناگرکوں ورشٹھ ، مہیلاؤں ، سر سے روپ آرتھک ہی سے پہلے یہ ہیں۔ پڑتے کرنے خرچ روپے 200 اترکت ویکتی فی پر واپسوں نجی اس جو ، ہے ہوتی بھیڑ ادھک سے شمتا میں ٹرین اس ہے۔ ہوجہ وتیہ اترکت ایک پر آبادی کمزور پنے کو سیوا ، باوجود کے مانگ کی سمے لمبی کی یا تریوں ہے۔ درشاتی کو مانگ بھاری پرروٹ ریلوے سینٹرل ساؤتھ یہ ، سر ہے دیا کر کم اور سے ریلوے بجائے کے بڑھانے تک جنکشن بہتر ، ٹرینیں اترکت ہے۔ ادابرن اور ایک کا پیٹرن کے کرنے دیکھا ان کو مراٹھواڑہ دوارہ ہی پہلے ، ہیں سنی ان سے ورشوں مانگیں کی کینکٹوٹی بہتر سے ممیئی ایوں پنے اور سمے سے جی منتری ریل ماننیے میں ہے۔ گیا کیا نیڈھتو پرتی بار کئی پر لیولس زونل اور ڈویژنل فوراً ٹرمینس کا 17629/17630 نمبر ٹرین ، ایک نمبر ہوں ،۔ چاہتی کرنا آگرہ کا مدعوں چار دینک اترکت ایک کم سے کم تک پونے سے مراٹھواڑہ ، دو نمبر جائے۔ کیا بحال پر جنکشن پنے اُچت یا تری تاکہ ، جائے ایک سنشودھت کو وقت کے ٹرین ، تین نمبر جائے۔ کی شروع ٹرین پچھڑے سے روپ آرتھک پر وں ، سوکھا کو بورڈ لوےر ، چار نمبر راو سی سک پہنچ پر سمے کا کرنے پرسنتت وجنای بد سمے ریل کے سدھار کے یکٹوٹی کن لیر ہی ٹریش اس ساتھ کے لوگوں کے مراٹھواڑہ ، سر ہوں ی کرت یونت سے آپ ہی ہی جائے اید شینرد ہوں ی کرت آگرہ کا رنے ک ی کارروائی کئے رید بنا سے سرکار ہی مئے ی چاہ ہونا ائے یں

[†] Transliteration in Urdu script.

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the issue raised by the honourable Member, Dr. Fauzia Khan: Shri Ashokrao Shankarrao Chavan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shriman G.C. Chandrashekhar.

Need to expedite infrastructure and development projects in Karnataka

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Sir, I thank you for giving me the opportunity. Sir, this is the third time I have got the Zero Hour, but I could not raise it since my Zero Hour was at Serial No. 20th or 21st or 22nd. Today again, my Zero Hour submission is at Serial No. 20th, but I got the opportunity to raise it. Thank you, Sir.

Sir, I would like to talk about an important issue affecting Karnataka — the slowdown in roads, railway and metro projects and how it is directly affecting mobility, growth and livelihoods. This Government keeps talking about rural Bharat. But under the PMGSY, Karnataka received Rs.718 crore in 2022-23. And, in 2023-24, the allocation dropped to just Rs.70 crore. In 2024-25, we got only Rs.48 crore. This is almost a 90 per cent reduction. So, we can imagine how much importance this Government is giving to rural India. Because of this, we could construct only 169 kilometres of roads. When rural roads stop, villages get isolated. Farmers cannot take their produced items to markets. Even children struggle to reach schools and houses. Sir, roads are not a luxury, but they are the lifelines.

Coming to National Highways, last week, our honourable Minister was saying that we have increased our National Highways network by 50 per cent. But, Sir, Karnataka has been totally ignored. As compared to 2022-23, they have given almost 50 per cent less allocation for Karnataka. There is one more project, which I would like to bring to the notice of the House, Sir. As you know, Sir, Bangalore city is facing severe traffic problem. To control that, a suburban railway project was started in 2012, with an allocation of Rs.12,000 crore. As of today, the cost has become double but only 19 per cent progress has been achieved. They have released just Rs.434 crore. So, you can understand, Sir, how this Government is working. By the time this project is completed, it will cross Rs.45,000 crore or Rs.50,000 crore. I urge the Government, through you, Sir, to kindly look into this and complete it as early as possible.

Coming to railway projects, Sir, the Hassan-Belur railway project costs about Rs. 749 crore. There is zero progress. The Centre has released only Rs.89 crore.

Then, Tumakuru-Davangere project cost was Rs.1,876 crore. The State Government released Rs.1,315 crore but the Central Government gave only Rs.420 crore. Sir, one more important project that I want to bring to your notice is Hebbal-Sarjapur Metro corridor which is designed to connect city's IT hubs and business corridors. The total cost of the project is Rs. 28,405 crore. It is most important that the BMRCL has agreed to give 50 per cent and the Karnataka Government has agreed to give 50 per cent. But the problem is that the Central Government has stopped this project because of the double-decker design.

MR. CHAIRMAN: The following honourable Members associated themselves with the issue raised by the honourable Member, Shri G.C. Chandrashekhar: Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour. ... *(Interruptions)*...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I am requesting you...

MR. CHAIRMAN: We have to take up Question Hour. After that, you can raise it. ... *(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I wanted to raise it during Zero Hour. I have already written a letter to you; not once but twice I have written a letter to you for allowing Short Duration Discussion under Rule 176 about the LPG, the gas...

MR. CHAIRMAN: Yes, that is under process, and I will consult the concerned ... *(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, no, Sir. ... *(Interruptions)*... How many days would it take? You know, nearly 14 days ago, I had given notice.

MR. CHAIRMAN: I will look into it and I will come back to you. ... *(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this is very important.

MR. CHAIRMAN: I will come back to you. ... *(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, it is affecting the entire country.

MR. CHAIRMAN: I am coming back to you. ...*(Interruptions)*... I understand the importance of the issue. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is affecting not only the entire country but even Trump said that 'I am going to stop the war because people are*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will come back to you. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Now Q. No. 331. Shriman Ashok Singh. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, give your ruling. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Honourable LoP, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. I will look into it. ...*(Interruptions)*... I will look into it. Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I don't want to*(Interruptions)*... If you don't*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will look into it. I am not denying it. I am saying, I am looking into it. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, you have to give a ruling. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Now, let Question Hour run, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this is not ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Q.No.331. ...*(Interruptions)*...

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Changes in BIS certification norms for electronic products

*331. SHRI ASHOK SINGH: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

- (a) whether any changes are proposed or scheduled to be rolled out in the Bureau of Indian Standard (BIS) certification norms with regard to imported electronic goods, if so, the details thereof;

- (b) the present norms for importing electronic consumer goods, requirements of certification and licences; and
- (c) the steps taken or proposed to strengthen consumer education, product safety awareness and grievance redressal mechanisms to ensure better protection of consumer interests across the country?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI PRALHAD JOSHI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration Order), 2021 has been notified by Ministry of Electronic and Information Technology (MeitY) through which Electronics and IT products have been brought under compulsory BIS Registration as per provisions of Scheme- II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

Under this Scheme, a licence to use or apply a Standard Mark, through registration based on self-declaration of conformity, is granted for goods or articles, hereinafter referred to as products, manufactured in a manufacturing premises and conforming to all the requirements of the relevant Indian Standard(s). The manufacturer ensures that the product has been tested for conformity against all the requirements of the Indian Standard and submits test report which is issued by third party laboratory.

At present, 65 product categories have been notified under the schedule of “Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021”. The Order is equally applicable to imported or domestically manufactured goods.

Earlier, as per Scheme-II of Bureau of Indian Standards (BIS) Conformity Assessment (CA) Regulations, 2018, provisions were available for Central Government to notify only Standard(s) for compulsory BIS certification. Now vide Gazette Notification dated 25th February, 2026 in the BIS Conformity Assessment Regulations, 2026, Scheme-II has been amended to include provisions for Central Government to notify essential requirements also besides Standard (s) for compulsory BIS certification.

Also, under this Scheme-II, the existing provisions have been amended, so that validity of initial Grant of Certification has been increased up to 5 years (in place of earlier up to 2 years) with annual payment of fee. Further, the existing provision for renewal of Certification up to 5 years with advance payment of fees for the entire renewal duration has been amended to allow annual payment of fee.

(c) Bureau of Indian Standards (BIS) organizes awareness programmes and other activities on a regular basis through the network of Regional Offices and Branch offices. These programmes includes Awareness Programme on Standards under Compulsory Certification, Hallmarking, Gram Panchayat Sensitization programmes etc. Further, BIS has launched a user-friendly mobile app for Android and iOS, enhancing consumer access and engagement beyond its web portal. The app supports 12 languages (10 regional, Hindi, and English) and is free to download.

The Bureau of Indian Standards (BIS) has established 9,437 Standards Clubs across the country, including 8,037 in schools, as a key initiative to promote awareness of quality, safety, and standardization among young citizens. Through these clubs, students are introduced to the concept of standards and their role in ensuring the safety and reliability of products and services in everyday life.

BIS has a well-established online complaints mechanism wherein consumers can register through the BIS CARE app or the BIS Complaints Portal (https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/). Upon registration, a unique complaint number is generated for tracking, and the redressal is ensured within the prescribed timeline.

Department of Consumer Affairs also conducts country-wide multimedia consumer awareness campaigns under the aegis of “JagoGrahakJago” to make the consumers aware of Unfair Trade Practices, grievance redressal mechanisms, other important consumer related issues through electronic, digital, outdoor and social media and participation in fairs and festivals.

To reach citizens without smartphones or internet access, the Department carried out large-scale IVRS voice call campaigns across the country with a focus on Scheduled caste - dominated areas in 2025 in which 23 Cr calls were made. Similarly, the Department also conducted large-scale SMS campaigns in eleven languages in which 65 Cr. SMSs were sent to 15 Cr. PDS beneficiaries in first phase and 24 Cr. SMSs were sent to consumers in ST dominated areas, in 2nd phase in 2025. The Department also generated awareness by playing consumer awareness jingles on All

India Radio during ICC Men's T20 World Cup 2026 matches which was broadcasted Over 24 Rainbows Stations, 66 Primary Channels and 86 Local Radio Stations of National and Regional channels of AIR.

At the grassroots level, the Department conducted weekly virtual sessions with Panchayats across various States and Union Territories during the year 2024, 2025 and 2026 wherein more than lakh number of Panchayats representatives attended the sessions. The Department also ran a digital banner advertisement campaign in February 2026 on the IRCTC website and mobile app, generating 78.7 crore impressions during the campaign period.

The National Consumer Helpline (NCH) administered by the Department of Consumer Affairs has emerged as a single point of access to consumers across the country for their grievance redressal at a pre-litigation stage. Consumers can register their grievances from all over the country in 17 languages including Hindi, English, Kashmiri, Punjabi, Nepali, Gujarati, Marathi, Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam, Maithili, Santhali, Bengali, Odia, Assamese and Manipuri through a toll-free number 1915. These grievances can be registered on Integrated Grievance Redressal Mechanism (INGRAM), an omni-channel IT enabled central portal, through various channels- WhatsApp (8800001915), SMS (8800001915), email (nch-ca@gov.in), the NCH app, the web portal (consumerhelpline.gov.in) and the Umang app, as per their convenience.

The “e-Jagriti” portal launched by the Department on 1st January, 2025 to enhance consumer grievance redressal, allows users to file complaints seamlessly from anywhere with multilingual support.

The Central Consumer Protection Authority (CCPA) under the Department regulates matters relating to violation of rights of consumers, unfair trade practices and false or misleading advertisements which are prejudicial to the interests of consumers and to promote, protect and enforce the rights of consumers as a class.

MR. CHAIRMAN: Shriman Ashok Singh, your first supplementary.

श्री अशोक सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या छोटे उद्योग और नए युवा entrepreneurs को बीआईएस रेगुलेशन प्राप्त करने में कोई छूट दी जाती है या किसी प्रकार का सहयोग दिया जाता है, ताकि उन्हें व्यापार करने में आसानी हो? मध्य प्रदेश के कितने नए उद्यमियों को बीआईएस मानक पिछले दो-तीन वर्षों में दिए गए हैं?

श्री सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, बीआईएस के संबंध में यहां के सभी हमारे सीनियर मेम्बर्स जानते हैं that it was the Indian Standards Institution, established in 1947. The ISI became BIS with an Act of 1986, and only one product-related Confirmatory Assessment Scheme was notified. But, in 2015, considering the increased significance of the Standards, -- our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, wants quality products; he always keeps telling even to all manufacturers and traders, business people, about good quality, high standard quality, and the famous slogan of honourable Prime Minister has been made a reality even in India, that is, 'zero effect and zero defect' -- this has been done. Now we have converted the BIS into a national standard body of India. It is totally looking after it, and many QCOs have also been issued. The BIS now has 17 Divisional Councils, about 400 Technical Committees with a pool of 15,000 technical experts. This is the vast expansion which has happened in the last 11 years under our Prime Minister, Shri Modi. We have 10 Confirmatory Assessment Schemes and 7 products, one for process and system and service. These are the important things which have been done in the last few years.

Now, as far as the MSME is concerned, besides hand-holding, minimum marking fees payable has been reduced for 80 per cent of micro-scale and start-up units, 50 per cent fee exemption for the small-scale industries, 20 per cent for the medium-scale units, and additional concession of 10 per cent is also provided to the women MSME and units of any scale located in the North-Eastern States. These concessions have been further extended up to 31st May, 2029. Apart from that, many training camps, online training programmes and hand-holding initiatives are being run. Regarding the exact numbers for Madhya Pradesh where licences have been issued, I will directly send the details to the honourable member as I do not have the exact number at present.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri Ashok Singh.

श्री अशोक सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी और आयातित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, जैसे बैटरी, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप आदि के रिपेयर का अधिकार और उपभोक्ताओं के डाटा की सेफ्टी सुरक्षित रहे? इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as it is, whether a product is imported or manufactured in India, the system of issuing licence remains the same. For electronic products

certified by BIS, several measures have been undertaken to improve Ease of Doing Business and reduce the compliance burden. The online CRS Portal has completely digitised the certification operation, providing an end-to-end solution. Manufacturers can log-in with their credentials, submit documents and access their own dashboards to respond to BIS from their convenient location. The renewal certification process has also been automated by doing away with human intervention. Manufacturers only need to submit details and pay the fee and the endorsement is generated automatically through the system with no human interference. As far as MSMEs are concerned, I have already explained this and do not wish to repeat it. For electronic products notified by the line Ministry, we create standards as per the request of the concerned Ministry. Accordingly, for electronic products notified by MeitY under the BIS Act, obtaining certification licence from BIS is compulsory. Without this certification and presence of the standard mark, notified electronic goods cannot be sold in the Indian market. Another important point is that the Compulsory Registration Order (CRO) is in place for electronic goods in the Indian market. This order covers around 65 products notified by the Ministry of Electronics and Information Technology. I would like to inform the House, through you, that all standards and QCOs are decided by the concerned Ministry. We develop these standards in consultation with the concerned Ministry and experts. Recently, in some cases, factory visits have also been minimised and are conducted only once in five years to ascertain quality. Market samples are drawn and if a sample fails, BIS issues a notice. In such cases, we inform the Ministry of Electronics and Information Technology which takes further action. Our role is limited. If the product passes, there is no issue; if it fails, we inform the concerned Ministry, particularly, the Ministry of Electronics and Information Technology.

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Saket Gokhale.

SHRI SAKET GOKHALE: Honourable Chairman, Sir, BIS Certification under the CRS Scheme requires only lab testing, with no mandatory factory audits for electronics. Certification is granted 'per factory' and 'per product' model, meaning a manufacturer can certify one unit, obtain registration and then non-conforming products can be shipped in bulk without ongoing physical verification. Similarly, penalties under the BIS Act are capped at about Rs.5 lakh, which is a negligible cost for the large companies. Sir, my question, through you, to the honourable Minister is this. Will he inform this House about how many consignments of BIS-certified electronics were actually tested at the port of entry in the last three years and how many of these were found to be non-compliant despite holding a valid BIS certification?

MR. CHAIRMAN: Now, honourable Minister.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, a total of 25,300 licences and registrations are in operation for the electronic products. Under the provisions of Section 16 of the BIS Act, it states that authority for notifying any products as per the relevant Indian standards and the scheme certification rests with the relevant Central Government Ministry and regulator. That is what I have already informed. But the question is about the search and operations of BIS. There are 21 cases, and the number of legal cases filed in the court is 17. Eight cases, out of these, pertain to the e-commerce platforms. So, continuously, we are monitoring because whatever the electronic goods we import, we use it for some of our products which are further exported. So, we are very much quality conscious, and at the initial stage itself, I said about the honourable Prime Minister's direction to all the Ministers, हम सबको यह डायरेक्शन है। एक तो जीरो डिफेक्ट का डायरेक्शन है कि डिफेक्ट नहीं रहनी चाहिए, so that India can become a manufacturing hub. Now, to become the manufacturing hub, we should have a good export market. For having a good export market, we should have good quality. In recent times, we have also seen 'zero effect' regarding the environment. So, with these two slogans, every Ministry, every Department is trying to be very particular about the maintenance of the quality. First of all, we would like to promote our industry to produce. It is not just a regulatory body. Now, BIS has become, along with the line Ministry, a facilitator also. Why are we facilitating? Instead of just curbing them or saying that their quality is not up to mark or closing them, we are trying to train them. We are trying to facilitate them so that they can manufacture and they can export also. This is the intention of the BIS. That is why, the number of labs, which was just ten earlier, under the Modi Government, it has increased to 750 labs, either empanelled or recognised by the accreditation lab. So, the market verification or market testing is a continuous process. Whenever any product fails, whether it is raw material or finished product, the Customs will also check as per the BIS notification. Many cases have been filed, about which I have already informed the House through you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, fourth supplementary, Dr. Sangeeta Balwant.

डा. संगीता बलवन्त: सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण में सराहनीय कार्य के लिए बधाई देती हूँ। महोदय, सरकार ने हाल ही में ट्रेड ऑपरेशंस को सुगम बनाने और कस्टम्स अथॉरिटीज़ के साथ बेहतर समन्वय की बात कही है। माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करें कि बीआईएस, कस्टम्स अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के बीच हितकारक और सुचारु समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम

उठाए जा रहे हैं, ताकि सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की क्लियरेंस बिना देरी के हो सके और इंपोर्ट्स में रुकावट नहीं आए? धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, honourable Minister.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the Customs do their job as per the notification of the concerned Ministry and the BIS notification. But, in many of the cases, what we are now trying to do is that as far as the Customs notification and the Customs testing are concerned, as she has asked, as per the BIS norms and BIS notification, proper checking is done and, for that, we have issued many guidelines even at that level and BIS has constant engagement with the Customs through ICEGATE portal. सर, यह एक पोर्टल है, इस पोर्टल के द्वारा whatever information comes to us, for example जब हम मार्केट में इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के बाद, अगर उसमें वह फेल होता है, तो इसके पूरे डिटेल्स हम इसके द्वारा भी कस्टम्स को भेजते हैं। In Customs, now-a-days, normally, technology-driven checking भी होती है। As far as possible, in all the departments put together, human intervention कम हो, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी भी आ जाए और Ease of Doing Business भी हो जाए - ऐसी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shri Raghav Chadha.

श्री राघव चड्ढा: सर, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, भारत का कंज्यूमर बाजार एक बड़ी बीमारी का शिकार है, जिसे misleading, branding, false advertising के नाम से जाना जाता है। जब हम एक फ्रूट जूस की बोतल खरीदते हैं, तो उसके फ्रंट पर fresh fruit juices की, juicy fruit की बड़ी पिक्चर होती है, लेकिन at the back of the fruit juice pack, स्मॉल टेक्स्ट में लिखा होता है, “This picture is for marketing purpose only”. हमारे देश का कंज्यूमर, खासतौर पर देश का युवा इन ड्रिंक्स को यह सोच कर कंज्यूम करता है कि यह healthy और nutritious है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह चीनी का घोल पी रहा है, जिसके चलते diabetes, obesity and lifestyle diseases होती हैं। Sir, through you, my question to the honourable Minister is: What steps are being taken by the Government to ensure that we put a ban on misleading imagery ताकि ऐसा न हो कि वे technically comply करें, पर visually मिसलीड करें? How are we ensuring that ‘high in sugar’ disclosures are put at the front of the packs? Lastly, how are we going to ensure that there is category clarity, whether a product is fruit juice or only sugar concentrate and preservative drink?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I appreciate the concern of the entire House as far as this issue of quality is concerned. As far as guidelines on misleading advertisements are concerned, these are issued by the Central Consumer Protection Authority (CCPA). Under the Legal Metrology Act, we have six compulsory declarations on every packing. Apart from that, with regard to sugar or any other content in the product, the norms regarding what has to be displayed are normally decided by the FSSAI, which is under the Ministry of Health. Our organizations and FSSAI are regularly interacting. Whenever we come across any issue of misleading advertisement, not only relating to such packages but also relating to other things, we take action. As far as misleading advertisements are concerned, many people have been fined. As far as packaging is concerned, we are continuously interacting with the FSSAI. The information which is displayed on the packs is also as per the Legal Metrology Act. If this is not done, appropriate action is taken. This process will continue to be there.

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 332; the questioner is not present. Now, supplementaries.

*332. [*The questioner was absent.*]

Healthcare facilities in North Eastern States

*332. SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

- (a) whether Government has reviewed the availability of healthcare facilities in North Eastern States;
- (b) the details of funds sanctioned for improving hospitals, medical colleges and telemedicine services in the region; and
- (c) the steps taken to develop more hospitals, specifically in rural areas of North Eastern region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO JADHAV): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India regularly reviews the availability of healthcare facilities across the country including for the North Eastern States. Under the National Health Mission (NHM), the

review is carried out mainly through Common Review Mission (CRM) which is conducted annually to review the implementation status of NHM.

Further, monitoring and evaluation of the progress of all States/ UTs is done through review meetings, video conferences and field visits of senior officials. Key deliverables of the States/UTs including North Eastern States are also reviewed in National Programme Coordination Committee (NPCC) meetings.

MoHFW is implementing the following programs on Mission mode to enhance medical facilities across the country including North Eastern States:

(i) **NHM** - Under NHM, MoHFW provides need-based technical and financial support of the States/UTs to strengthen the public healthcare system including telemedicine, based on the requirements posed by States/UTs in their annual Programme Implementation Plans (PIPs) as per their health needs, and within the overall resource envelope in the Record of Proceedings (RoP). The details of RoP approvals given to the States including NE States may be accessed from the following link:

<https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744>

(ii) **Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)**: PM-ABHIM is a Centrally Sponsored Scheme (CSS) with additional Central Sector components designed to support primary, secondary and tertiary healthcare facilities. It also focuses on enhancing the healthcare system's capacity to respond effectively during emergencies.

Under the CSS component of the scheme, support is provided to North Eastern States for strengthening of 1083 Building-less Sub Health Centre-AyushmanArogyaMandir (SHC – AAM) with an amount of Rs. 574.41 Cr, 4 Urban-AAMs with an amount of Rs.2.85 Cr, 207 Block Public Health Units (BPHUs) with an amount of Rs.182.28 Cr, 111 Integrated Public Health Labs (IPHLs) with an amount of Rs. 201.79 Cr, and 37 Critical Care Blocks (CCBs) in District Hospitals with an amount of Rs.908.68 Cr.

Central release under NHM for North Eastern States from FY 2021-22 to FY 2025-26 is given at **Annexure-I**.

The state wise details of units and budget approved in North Eastern States under PM-ABHIM is given at **Annexure-II**.

Apart from this, the Ministry of Health and Family Welfare administers a CSS for ‘Establishment of new medical colleges attached with existing district/referral hospitals’ with preference to underserved areas and aspirational districts, where there is no existing Government or private medical college. Under the Scheme, all the

envisaged 157 Government medical colleges have already been approved including 12 medical colleges in North East Region.

In addition to above, Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) aims to correct regional imbalances in the availability of affordable/reliable tertiary healthcare services and also to augment facilities for quality medical education in the country, including North Eastern States. Under the PMSSY, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) has been set up at Guwahati. Further the details of Government Medical Colleges/Institutions (GMCIs) approved for upgradation under PMSSY in North Eastern States is attached at **Annexure-III**.

In addition, Central government institutions like North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences (NEIGRIHMS) at Shillong, Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS) at Aizwal and Regional Institute of Medical Sciences (RIMS) at Imphal provide quality healthcare in North Eastern States.

Annexure-I

Central Release to North Eastern States from FY 2022-23 to FY 2025-26 under NHM

(Rs. in Crore)

S.No	State	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	Arunachal Pradesh	188.53	233.82	404.55	388.86	244.06
2	Assam	1955.93	1,981.83	2,257.06	2,076.25	1,838.19
3	Manipur	95.59	61.40	169.12	279.16	175.67
4	Meghalaya	282.46	261.56	261.39	297.95	253.42
5	Mizoram	93.82	111.82	134.42	159.96	94.77
6	Nagaland	126.66	91.38	184.84	204.47	114.35
7	Sikkim	51.86	73.30	68.17	81.67	45.38
8	Tripura	217.95	231.90	264.31	268.67	246.72

Note: Release for the F.Y. 2025-26 is updated upto 26.02.2026 and is provisional. The above releases relate to Central Govt. Grants and do not include State share contribution.

Annexure-II

State wise details of unit and budget approved under PM-ABHIM

(Rs. in crore)

States	Building-less-SHC-AAM		Urban-AAM		BPHU		IPHL		CCB		Total Amount Approved FY 2025-26
	Units Approved	Amount Approved	Units Approved	Amount Approved	Units Approved	Amount Approved	Units Approved	Amount Approved	Units Approved	Amount Approved	
Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	22	43.19	1	23.75	66.94
Assam	768	399.59	0	0	207	182.28	33	47.62	27	671.18	1300.67
Manipur	64	35.52	3	2.1	0	0	15	31.5	2	47.5	116.62
Meghalaya	251	139.3	0	0	0	0	10	20.34	3	71.25	230.89
Mizoram	0	0	1	0.75	0	0	10	20.35	1	23.75	44.85
Nagaland	0	0	0	0	0	0	11	21.59	1	23.75	45.34
Sikkim	0	0	0	0	0	0	3	5.22	1	23.75	28.97
Tripura	0	0	0	0	0	0	7	11.98	1	23.75	35.73
Total	1083	574.41	4	2.85	207	182.28	111	201.79	37	908.68	1870.01

Annexure-III

Government Medical Colleges/Institutions (GMCIs) approved for upgradation under PMSSY in North Eastern States

(Rs. in crore)

S.No	State	Name of GMCs	Approved Facility	Approved Outlay		
				Central Share	State/Institute Share	Total
1	Assam	Guwahati Medical College, Guwahati	Super Specialty Block	120	30	150
2	Assam	Assam Medical College, Dibrugarh	Super Specialty Block	120	30	150
3	Tripura	Agartala Govt. Medical College, Tripura	Super Specialty Block	120	30	150

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba.

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA: Sir, cancer and other rare diseases have become very rampant in North Eastern States, especially in rural areas where

the healthcare facilities are very limited. As a result of this, poor patients are forced to move to other cities like Guwahati, Delhi or Mumbai. Therefore, Sir, there is an urgent need for establishing AIIMS or similar institute in Eastern States of North East, except Assam. My question to the honourable Minister is this. Whether the Government has any plans for establishing AIIMS or similar institute in this region to improve the healthcare facilities for the North East people.

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, as far as facilities in the North Eastern States are concerned, under the National Health Mission, we give the technical and financial support to the institutions. If I talk about the North Eastern Region, I would like to mention that during the last ten years, twelve Medical Colleges have been given to the North Eastern Region. And a total of Rs. 2,737 crores has been spent for these medical colleges. These medical colleges are: Naharlagun, Arunachal Pradesh — Rs. 189 crore; Dhubri in Assam; Nagaon in Assam — Rs. 189 crore, North Lakhimpur — Rs. 189 crore; Diphu — Rs. 189 crore; Kokrajhar — Rs. 325 crore; Churachandpur in Manipur — Rs. 325 crore; West Garo Hills in Meghalaya — Rs. 189 crore; Falkawn in Mizoram — Rs. 189 crore; Naga Hospital in Nagaland — Rs. 189 crore; Mon in Nagaland — Rs. 325 crore; and Gangtok in Sikkim — Rs. 250 crore. So, a total of Rs. 2,737 crore have been given to the North East Region in the past 10 years as far as establishment of medical colleges is concerned. Another thing which I would like to say is that we have gone for upgradation also. For upgradation, the Guwahati Medical College has been given Rs. 154 crore for a Super Specialty block. The same way, the Assam Medical College, Dibrugarh, has been given Rs. 150 crore and Agartala Government Medical College, Agartala, has also been given Rs. 150 crore. This I would like to share with the House. Another thing which I would like to say is that the NEIGRIHMS, that is, the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, in Shillong, Meghalaya, has been given Rs. 1,471 crore, and the Regional Institute of Paramedical and Nursing, Aizwal, has been given Rs. 730 crores. For the honourable Member, I would like to share that the Regional Institute of Medical Sciences, Manipur, has been given Rs. 4,723 crore. So, all this has been done for the strengthening of the infrastructure as well as training of the manpower. We can understand that we are giving Rs. 4,723 crore to Manipur for the Regional Institute that is RIMS, Imphal. So, we can understand that it includes the treatment of cancer also. And as he is talking about cancer, I would like to share with you that the Lancet Report has recently said that now in India, the treatment of cancer

starts within a month from the day of detection, that is, 90 per cent has been taken care of and the treatment starts. That is what I would like to say.

MR. CHAIRMAN: Fourth Supplementary, Shrimati S. Phangnon Konyak.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK: Mr. Chairman, Sir, as per the reply given by the honourable Minister, the Ministry of Health and Family Welfare has CSS for establishment of new medical colleges attached with existing district and referral hospitals with preference to underserved areas and aspirational districts where there is no existing Government or private medical college. Are there plans to take up the Mon Medical College in Nagaland, which is currently under construction, under this Scheme?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, though we have taken it, as we say, it is a continuous process. The medical college has been established. The building is being constructed. We will go forward in that direction, and as I said, the development part is a continuous process. We will do that.

MR. CHAIRMAN: Fifth Supplementary, Dr. Sarfraz Ahmad.

डा. सरफराज अहमद: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि झारखंड में एकमात्र एम्स देवघर में है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया था। आज वहाँ पर केवल और केवल ओपीडी है। वहाँ न दवाई की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देश के अन्य एम्स की तरह झारखंड में भारत सरकार द्वारा जो एकमात्र एम्स खोला गया है, क्या आप उसको अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे? अगर आप करेंगे, तो वह कब तक कर पाएंगे?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम 23 के 23 सभी All India Institutes of Medical Sciences के standards में कोई compromise नहीं कर रहे हैं और उनके डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, as far as the financial part is concerned. एक बात मैं हाउस को पहले भी बता चुका हूँ और इस बार मैं आपके माध्यम से फिर से बताना चाहता हूँ कि 60 के दशक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनना शुरू हुआ था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ख्याति और उसका स्थान 80 के दशक में स्थापित हुआ था। किसी भी इंस्टीट्यूट को पूरी तरह विकसित होने में 10 से 20 साल लगते हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी को grow करने में तथा उसके establish होने में कम से कम

10 साल का समय लगता है। इसलिए मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि हम लॉन्ग-टर्म प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने एक एम्स से लेकर आज देश में 23 एम्स खोले हैं, तो हमने रीजनल इंबैलेंस को समाप्त किया है। आप असम को देखिए, बिहार को देखिए, झारखंड को देखिए, कोलकाता को देखिए — इसी तरीके से आप रिमोट एरियाज़ को देखिए। हमने हर जगह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले हैं। लेकिन जैसे अभी हमारी माननीय सदस्या रायपुर से बोल रही थीं कि वहां भर्ती नहीं हो पा रही है, इसका कारण यह है कि लोगों का एम्स के प्रति विश्वास इतना अधिक है कि लोग admit ही वहीं होना चाह रहे हैं। वेस्टर्न इंडिया से अब कोई भी बीच में district hospital में रुकता नहीं है, सीधे दिल्ली एम्स में आता है। इसका मतलब यह है कि एम्स के स्टैंडर्ड के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। झारखंड के देवघर एम्स को after all अभी 5 साल ही हुए हैं। हम उसके विकास के लिए भी तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं और हम उसे बिल्कुल उत्कृष्ट संस्थान बनाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Q.No.333.

Portability benefits under ONORC Scheme

#*333. SHRI SHAMBHU SHARAN PATEL: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to State:

- (a) the current number of beneficiaries receiving portability benefits under One Nation One Ration Card (ONORC) Scheme;
- (b) whether Government has assessed the migration trends reflected through ONORC transactions;
- (c) if so, the details thereof;
- (d) the number of inter-State portability transactions recorded during the last two years;and
- (e) the steps taken to ensure the uninterrupted availability of ration for migrant workers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) The One Nation One Ration Card (ONORC) scheme is a technology-driven initiative of the Department of Food and Public Distribution to

Original notice of the question was received in Hindi.

enable nationwide portability of ration cards for beneficiaries covered under the National Food Security Act (NFSA).

The ONORC facility has been implemented in all 36 States/Union Territories, covering more than 80 crore beneficiaries under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY). Under this system, beneficiaries can lift their entitled foodgrains from any Fair Price Shop (FPS) across the country using their existing ration card with Aadhaar-based biometric authentication on electronic Point of Sale (ePoS) devices.

The system particularly benefits migrant workers and other mobile populations by ensuring seamless access to subsidized foodgrains irrespective of their location. It operates through integration of ration card databases of all States/UTs and interoperable ePoS devices at FPSs.

The State-wise portability data capturing instances where beneficiaries registered in one State (home State) lift their entitled foodgrains in another State (sale State) are available on public domain i.e Integrated Management of Public Distribution System (IMPDS) portal (www.impds.nic.in).

A statement showing the number of inter-State portability transactions recorded during the last two years is placed at **Annexure**.

Annexure

State wise inter-State portability transactions recorded during the last two years

Sr. No.	State / UT	2024	2025
1	Andaman and Nicobar Islands	340	162
2	Andhra Pradesh	—	159
3	Arunachal Pradesh	3	—
4	Assam	423	766
5	Bihar	53,521	84,747
6	Chhattisgarh	3,892	8,131
7	Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu	1,02,189	1,03,028
8	Delhi	49,75,113	58,11,947
9	Goa	20,725	30,127
10	Gujarat	1,98,559	2,11,316
11	Haryana	7,09,555	9,33,610
12	Himachal Pradesh	1,17,600	—
13	Jammu and Kashmir	74,094	81,350
14	Jharkhand	21,942	25,666

15	Karnataka	—	—
16	Kerala	30,805	38,250
17	Ladakh	302	92
18	Lakshadweep	1	—
19	Madhya Pradesh	58,836	58,367
20	Maharashtra	6,70,750	8,74,642
21	Meghalaya	149	221
22	Mizoram	1	—
23	Nagaland	7	—
24	Odisha	55	—
25	Punjab	13,836	47,145
26	Rajasthan	1,48,770	2,35,454
27	Sikkim	1,271	1,044
28	Tamil Nadu	4,618	1,290
29	Telangana	60,454	71,038
30	Tripura	5,192	5,494
31	Uttar Pradesh	165	636
32	Uttarakhand	1,56,241	1,85,573
33	West Bengal	46,439	75,010
	Grand Total	74,75,848	88,85,266

MR. CHAIRMAN: First supplementary. Shri Shambhu Sharan Patel.

श्री शंभू शरण पटेल: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड पहल ने देश में कितने प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सुधार किया है? क्या सरकार ने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू कर दिया है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया जाता है। वर्तमान में 81.35 करोड़ निर्धारित कवरेज के मुकाबले 79.40 करोड़ लाभार्थियों की पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा की गई है। देश के करोड़ों श्रमिकों और प्रवासी परिवारों के हित में चल रही वन नेशन, वन राशन कार्ड पहल एक वरदान साबित हुई है। आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वन नेशन, वन राशन कार्ड एक क्रांतिकारी निर्णय है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह पहल केवल एक योजना नहीं है, बल्कि गरीब और मेहनतकश नागरिकों के सम्मान और अधिकार की रक्षा का संकल्प है।

आज देश का कोई भी प्रवासी श्रमिक — चाहे वह किसी भी राज्य का हो, जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश या गुजरात — यदि किसी अन्य राज्य में काम कर रहा है, तो वह अपने हिस्से का

राशन कहीं भी प्राप्त कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में से कोई भी गरीब भूखा न सोए — यही हमारी सरकार का लक्ष्य है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। हमारी सरकार देश के कोने-कोने में राशन पहुंचा रही है। कोरोना महामारी के कठिन समय में भी, जब लाखों श्रमिक अपने घरों से दूर थे, तब प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ वन नेशन, वन राशन कार्ड ने उन्हें सुरक्षा और संबल प्रदान किया।

हमारे देश में वर्तमान में 207 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन हो चुके हैं। वर्तमान में वन नेशन, वन राशन कार्ड सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू है। जो पूरी NFSA आबादी को कवर करता है। अब तक 207 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन हुआ है। माइग्रेट परिवार को 509 लाख मीट्रिक टन अनाज डिलीवर किया गया है। हर महीने 3.25 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। हमारे देश में कोई भी गरीब भूखा न सोए, यह हमारी प्रतिबद्धता है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shriman Shambhu Sharan Patel.

श्री शंभू शरण पटेल: सभापति महोदय, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड केन्द्र सरकार की बहुत ही उपयोगी और लाभकारी योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को और मजबूत बनाने और इसकी प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए भविष्य में कौन-सी पहल की जा रही है?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया: महोदय, वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से सरकार स्मार्ट पीडीएस प्लेटफॉर्म के जरिए वन नेशन वन राशन कार्ड को और मजबूत बना रही है, जिससे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच डेटा का रियल टाइम जुड़ाव संभव हो रहा है। इसके अलावा सार्थक पीडीएस के तहत एआई आधारित विश्लेषण और बेहतर शिकायत निवारण व्यवस्था जैसी सुविधा जुड़ी है। वन नेशन राशन कार्ड की इस योजना के तहत 81 करोड़ नागरिक अब किसी भी राज्य से किसी भी दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अनाज मिले, यही मोदी सरकार की प्राथमिकता भी है और प्रतिबद्धता भी है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: Sir, through you, I would like to ask this of the honourable Minister. Reports from several States have highlighted frequent failures of biometric authentication at Fair Price Shops under the Public Distribution System due to issues such as poor internet connectivity, faulty devices and mismatched fingerprints, particularly, affecting elderly and manual labourers which leads to denial or delay in access to essential foodgrains. In this context, will the honourable Minister clarify whether the Government has assessed the extent of such authentication and

what measures are being taken, including provision of alternative authentication method, offline verification system and strengthening of infrastructure to ensure that no eligible beneficiary is deprived of this entitlement?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या के प्रश्न के उत्तर में बताना चाहती हूँ कि TPDS, केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी से चलता है। केन्द्र सरकार खरीद आवंटन और FCI डिपो तक अनाज पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार FCI डिपो से फेयर प्राइस शॉप तक अनाज पहुंचाने, लाभार्थी का सही चयन करने, राशन कार्ड को जारी करने, फेयर प्राइस शॉप को लाइसेंस देने एवं उसका सही संचालन करने और राशन का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी योग्य लाभार्थी को नेटवर्क न होने, सर्वर डाउन होने तथा बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर की वजह से अनाज मना न किया जाए। उसके साथ ही e-POS machines ऑफलाइन मोड में भी काम करती हैं। उन्हें बीच- बीच में नेटवर्क में लाना होता है, ताकि ऑफलाइन डेटा पीडीएस डेटा से जुड़ सके। इसके साथ ही आठ अतिरिक्त अन्य डॉक्यूमेंट भी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shriman Mahendra Bhatt.

श्री महेंद्र भट्ट: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जाना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट या बायोमैट्रिक मशीनों की समस्याएं हैं, वहां सरकार ने क्या वैकल्प व्यवस्था की है? क्या बायोमैट्रिक फेल होने की स्थिति में लाभार्थियों को राशन से वंचित होने की शिकायतें आ रही हैं और उनके समाधान के लिए क्या नीति अपनाई गई है?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I would like to clarify this through you. मैं पूरे सदन के लिए यह बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक व्यक्ति को भी अनाज से वंचित नहीं रखा गया है। सर, ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, इस कारण से हम एक भी व्यक्ति को राशन शॉप से वापस नहीं भेजते हैं। That has been instructed to every State Government. जैसा कि माननीया मंत्री जी ने already बताया है कि यह offline पर भी चलता है। इसके अलावा हमने मोदी जी के मार्गदर्शन में अभी एक नई पहल शुरू की है। हमने Central Bank Digital Currency (CBDC) pilot mode पर शुरू की है। जो भी digitization हुआ है, मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा digitization इस विभाग में हुआ है। हमारा जो route optimization है, अन्न चक्र है, मैं आपको एक example देता हूँ कि जहाँ से trucks चलते हैं, पहले पता भी नहीं चलता था, हमें इधर-उधर से ज्यादा route लेकर, ज्यादा देना पड़ता था, लेकिन अभी हमने अन्न चक्र नामक एक AI-driven tool शुरू किया है। हम इसके कारण सिर्फ

इसमें ही Rs.250 crore की saving कर रहे हैं। महोदय, 'डिपो दर्पण' में पता चलता है कि क्या-क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में, मैं यह भी कह सकता हूँ कि हम न के बराबर, transit loss, शायद 0.18 per cent, 0.7 per cent जैसी फिगर है, मैं exact figure संबंधित सदस्य को भेज दूंगा, so, overall, targeted public distribution में इन दस वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और यह because of the digitization आया है। It is because of the digitization. Technology-driven बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। मैं CBDC के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि हमने Reserve Bank द्वारा एक Digital Currency शुरू की है। वह डिजिटल करेंसी, जो अभी शुरू हुई है, अभी हमने वह गुजरात में pilot mode में शुरू की है। हमने यह pilot project के रूप में गुजरात और पुदुच्चेरी में शुरू की है। इन दोनों का mobile पर directly एक wallet खुलता है और इस wallet को through bank, RBI के द्वारा open किया गया है, वह Digital Currency directly उनके account में जाती है। जब कोई ration shop में जाकर scan करता है, तब उन्हें ration मिलता है। यह अभी pilot mode में है, लेकिन मैं यह बात इसीलिए भी inform कर रहा हूँ, क्योंकि overall for all these initiatives of digital मोदी जी के मार्गदर्शन में इसमें बहुत digitization हुआ है। मैं इसको detail में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह एक घंटे तक चलेगा कि हम इसमें कितने बड़े reforms लाए हैं, लेकिन मैं यह अवश्य बताना चाहता हूँ कि इसके कारण for non-authentication, nobody is sent back. किसी को भी बिना ration वापस नहीं भेजा जाएगा। मोदी जी का यह साफ निर्देश है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए और यही हमारा firm commitment है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I appreciate the innovative programme of Modi ji's Government, that is, One Nation One Ration Card. You have mentioned in your reply that ONORC facility has been implemented in all 36 States/Union Territories, covering more than 80 crore beneficiaries. But if you see the figure for the Karnataka State for 2024, it is zero. You have mentioned in your reply that no beneficiary is benefitted. For Andhra Pradesh also, it says 159 only. If you take Tamil Nadu, it is less and going down. Previously, it was 4,618 and now it is 1,290. For Kerala, it is more. For Telangana also, it is more. There is migration of labour, especially, from Bihar, Jharkhand, Odisha and like that many people are coming and working throughout India. Without that labour, India cannot develop because they are hard working people in all the places. When we have most of the labour coming from Bihar, Jharkhand etc., why does the figure in Karnataka show like that? I know about Karnataka and Bengaluru also, a lot of people are working there but nobody has taken that facility there. In Tamil Nadu also, it is going down. Is the State Government of Tamil Nadu not serious about this thing? The DMK Government is ruling and they are saying that the poor people are benefitting. But here it is going

down. Is it a fact that the State Government like Tamil Nadu is not serious about implementing this programme? I want to know about that. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि वन नेशन वन राशन कार्ड की सफलता ने भौगोलिक सीमा को समाप्त कर दिया है। अब प्रवासी मजदूरों के लिए राशन कार्ड देश के हर कोने में पोर्टेबल है। कर्णाटक में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, 2024 में 1,24,65,740 लेन-देन हुए हैं। 2025 के दौरान 1,17,69,583 लेन-देन हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आज देश के 81 करोड़ नागरिकों के लिए पोषण की पक्की गारंटी बन चुका है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 334.

Shortage of RIG and ARV injections

#*334. DR. BHIM SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

- (a) whether the production of Rabies Immunoglobulin (RIG) and Anti-Rabies Vaccine (ARV) injections for the treatment of Rabies in the country is less than the requirement, yet they are being exported; and
- (b) if so, the details of their production and export in the last three years?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Health is a State subject, the responsibility of strengthening public healthcare system lies with the respective State/ UT Governments. Under National Health Mission (NHM), the Government provides technical and financial support to States/UTs for strengthening their healthcare systems based on the proposals submitted by them in their Program Implementation Plans, subject to norms and availability of resources.

Under the National Rabies Control Programme (NRCP) funds have been allocated through NHM to States/UTs under National Free Drug Initiative (NFDI) for

Original notice of the question was received in Hindi.

purchase of Rabies Immunoglobulin (RIG) and Anti-Rabies Vaccine (ARV). Procurement of RIG and ARV is decentralized.

Advisories are being issued from time to time to all States/UTs to maintain uninterrupted supply of ARV and RIG through funds allocated under NFDI.

India has an installed capacity for production of approximately 81.7 million vials of ARV and 17.7 million vials of RIG annually. Year-wise consolidated data on production of Anti-Rabies Vaccine (ARV) and Rabies Immunoglobulin (RIG) is not centrally maintained as manufacturing is undertaken by multiple private and public sector entities.

As per information received from Ministry of Commerce and Industry, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, export in the last three years of RIG and ARV are as under:

DESCRIPTION	Unit	2022-23	2023-24	2024-25
		Qty	Qty	Qty
Rabies Immunoglobulin (RIG)	KGs	40613	55931	64131
Anti-Rabies Vaccine (ARV)	KGs	168662	205330	281139
Total		209275	261261	345270

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Dr. Bhim Singh.

डा. भीम सिंह: महोदय, जब मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैं दो भावनाओं के उद्रेक में हूँ। एक तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरी लॉटरी लग गई, जो मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिला और दूसरा संकोच हो रहा है कि माननीय मंत्री जी हमारे नेता हैं, तो मैं उनसे प्रश्न पूछूँ कि नहीं। लेकिन, अगर छात्र शिक्षक से पूछेगा नहीं, तो सीखेगा कैसे? अगर जूनियर सीनियर से पूछेगा नहीं, तो सीखेगा कैसे? सीखने की नीयत से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब देश में एआरवी और आरआईजी वैक्सीन्स की कमी है, तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें निर्यात क्यों किया जा रहा है? साथ ही, मंत्री जी ने जो डेटा दिया है, उसमें इन्होंने खुद बताया है कि वर्ष 2022-23 में 2,09,275 किलोग्राम, 2023-24 में 2,61,261 किलोग्राम, 2024-25 में 3,45,270 किलोग्राम निर्यात किया गया। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि फरवरी महीने में ही कई घटनाएं घटी हैं। जैसे, 17 फरवरी को सोनीपत में किसी व्यक्ति को एक कुत्ते ने काटा। वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता रहा, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण उसकी मौत हो गई। सरकार के पास मौत का भी डेटा है।

MR. CHAIRMAN: Dr. Bhim Singh, please come to your specific question.

डा. भीम सिंह: महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कुत्ते के काटने या बंदर के काटने से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पर वैक्सीन्स की अधिक आवश्यकता है, तो निर्यात का क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी इसके निर्यात को कम करके देश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन्स उपलब्ध कराना चाहेंगे?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके माध्यम से देश में कोई गलत संदेश न जाए, इसलिए मैं आपके माध्यम से इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि देश में एआरवी और आरआईजी की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह वायरल बड़ा फेटल है। यह कुत्ते के काटने से भी होता है। अगर wound को lick कर दे, तो उससे भी हो जाता है। अगर स्क्रेच पर lick कर दे, तो उससे भी होता है। जब ये हो जाता है, एक बार इसके सिम्पटम्स आ जाएं, तब यह बहुत फेटल हो जाता है। जहाँ तक रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन (आरआईजी) का सवाल है, तो देश में साल भर में 1,77,00,000 आरआईजी प्रोड्यूस होते हैं। उसी तरीके से जो एआरवी है, वे 8,17,00,000 प्रोड्यूस होते हैं। हमारे यहाँ जो बाइट्स के केसेज़ की संख्या है, तो कुल 58 लाख एनिमल बाइट्स हुई हैं और उनमें से 47 लाख डॉग बाइट्स होती हैं। देश में उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। दूसरा, अवेलेबिलिटी के लिए हमारे यहाँ DVDMMS है, जो डैशबोर्ड है, Drugs and Vaccine Distribution Management System, यह रीयल-टाइम ट्रैकिंग करता है। जब किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट में 15 दिन से कम का स्टॉक रह जाता है, तो उसको तुरंत अलर्ट जाता है और उसको वहाँ पर दवाई पहुंचाई जाती है। इसलिए माननीय सदस्य और उनके माध्यम से सारे देश को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास माकूल व्यवस्था है। मैंने आपको बता दिया है कि हम 1 करोड़, 77 लाख vials आरआईजी के रखते हैं और एआरवी के 8 करोड़ रखते हैं, जबकि आवश्यकता 48 लाख डॉग बाइट्स के लिए होती है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम कभी भी इसलिए एक्सपोर्ट नहीं करते हैं कि देश में कमी रहे और एक्सपोर्ट करें। ऐसी स्थिति कभी नहीं आती है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Dr. Bhim Singh. आप pointed सवाल पूछिए, प्लीज़।

डा. भीम सिंह: महोदय, हम माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट ही नहीं, बल्कि परम संतुष्ट हैं, लेकिन हम प्रश्न के माध्यम से उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि क्या उनके संज्ञान में है कि विश्व विख्यात साइंस की पत्रिका Lancet में जुलाई, 2025 में एक रिपोर्ट छपी है। उसने 15 राज्यों के 60 जिलों और 534 स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। महोदय, हो सकता है कि इनकी जो सूचना है, वह देश को बदनाम करने के लिए हो, लेकिन मैं इसे संज्ञान में लाना चाहता हूँ। क्या इनके संज्ञान में है कि उसमें बताया गया कि लगभग 80 प्रतिशत अस्पतालों में ही Anti-Rabies Vaccine थीं, केवल 20 प्रतिशत केंद्रों में ही आरआईजी उपलब्ध था और वह भारत में दक्षिण के राज्यों में कुछ ज्यादा था, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट के इलाकों में कम था? यह क्षेत्रीय असंतुलन की बात प्रचारित की

जा रही है, इसके प्रभाव में मैंने यह प्रश्न किया है। इस तरह की जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, इस संबंध में क्या सरकार इस पत्रिका के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना चाहेगी या इसके इसके खिलाफ जनता में व्यापक प्रभाव डालने के लिए कोई अभियान चलाना चाहेगी?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: पर्टिकुलर्ली इस संबंध में कोई रिपोर्ट Lancet में छपी है, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कई पत्रिकाओं में कई चीजें भ्रामक आती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय तुरंत उनका contradiction करता है और फैक्टुअल चीजें सारे देश और सारी दुनिया को बताता है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Shaktisinh Gohil.

श्री शक्तिसिंह गोहिल: माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि Rabies Immunoglobulin and Anti-Rabies Vaccine देश में पूरी तरह से उपलब्ध है। चेयरमैन सर, मैं आपके जरिए मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब ये वैक्सीन्स देश में पूरी तरह से उपलब्ध हैं, तो सिस्टम में कहां प्रॉब्लम है, क्योंकि गरीब आदमी गवर्नमेंट अस्पताल में जाता है और गुजरात से हर दिन कोई बोटद हो, भावनगर हो, अमरेली हो, वहां से फोन आते हैं। हमारे गुजरात में उसे हड़कायू कुतरू कहते हैं, मतलब जिस डॉग के बाइट करने से — गुजरात में हड़कवा कहते हैं, जिसे हम रेबीज़ कहते हैं - वह शुरू होता है। सर, इन्सान की जिंदगी से महंगा और कुछ भी नहीं है।

सर, मैं आपके जरिए मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सिस्टम में कोई तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तरफ आप तो कह रहे हैं कि पूरी वैक्सीन उपलब्ध है और दूसरी तरफ हमें हर दिन फोन आते हैं कि गवर्नमेंट अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार स्टेट में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां Anti-Rabies Vaccine और Rabies Immunoglobulin पूरी तरह से डायरेक्ट पहुंचाए, क्या ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: जहां तक हेल्थ का सवाल है, Health is a State subject. हम उनको टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इसलिए प्रदेश को पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, टाइम पर पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, उनको अलर्ट करना भी हमारी जिम्मेवारी है, जो हम रियल-टाइम डैशबोर्ड से करते हैं, लेकिन आगे का डिस्ट्रिब्यूशन स्टेट्स को देखना पड़ता है और स्टेट्स ही इसको करने के लिए सक्षम हैं। हम उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Shri Ravi Chandra Vaddiraju.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU: Sir, I would like to know whether the Government will impose export restrictions until domestic demand for RIG and ARV is fully met,

and whether steps are being taken to increase domestic production capacity through public-private partnership.

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, again, I would like to say that there is no shortage of RIG and ARV. So, we should shed this thought that there is some shortage. There is no shortage. इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि हम एक्सपोर्ट को रोकें। अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी, if the situation like that comes, certainly, we are not going to export. We are going to first use these for the domestic purpose. इस बात को हमको समझना चाहिए। As far as public private partnership is concerned, this is a continuous process and if proposals are there, we are open to it.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shri Subhasish Khuntia.

श्री शुभाशीष खुंटिया: चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ओडिशा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एंटी-रेबीज वैक्सीन, आरआईजी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? आपने तो बोल दिया है कि यह स्टेट का विषय है, लेकिन अगर कोई स्टेट पीएचसी और सीएचसी में इसे अवेलेबल नहीं करता है, तो उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हैं?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसके लिए स्टेट हर एक जगह पर ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करने के साथ-साथ, चाहे वह पीएचसी या सीएचसी लेवल पर हो, अगर उसके पास उस तरीके की कैपेसिटी है, तो वह वहां करता है, नहीं तो सब-डिविजनल हॉस्पिटल में करता है, लेकिन ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं माकूल की जाती हैं। यह स्टेट को देखना पड़ता है कि वह पीएचसी में इसकी व्यवस्था कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वह कर सकता है, तो वह करता है। जहां डॉक्टर्स होते हैं, वहां यह किया ही जाता है। इसको किसी पैरामेडिक्स पर छोड़ा जाए, ऐसा नहीं है। इसमें डॉक्टर्स और बाकी लोगों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए फैसिलिटी में जो सारी चीजें होती हैं, वे वहां दी जाती हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 335.

Availability of essential medicines in Government hospitals

#*335. SHRI BRIJ LAL: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state.

Original notice of the question was received in Hindi.

- (a) whether Government has assessed the availability of essential medicines in Government hospitals;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) the steps taken to encourage the availability of affordable medicines through the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP);
- (d) the number of Janaushadhi Kendras currently operational across the country;
- (e) whether there is a proposal to include additional categories of medicines under the scheme; and
- (f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): (a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (f) As per information provided by Ministry of Health and Family Welfare (MoH and FW) to ensure availability of essential drugs and reduce the Out-of-Pocket Expenditure (OOPE) of the patients visiting the public health facilities, Government has rolled out the Free Drugs Service Initiative (FDSI) under National Health Mission (NHM). Under this, financial support is provided to States / Union Territories for provision of free essential medicines in public health facilities based on the requirements posed by them in their Programme Implementation Plans (PIPs) within their overall resource envelope.

MoH and FW has recommended facility wise Essential Medicines List (EML) including drugs for cancer treatment to be made available at the public healthcare facilities:

Sub Health Centre Health Wellness Centre (SHC-HWCs) - 106
 Primary Health Centre Health and Wellness Centre (PHC-HWCs) - 172
 Community Health Centres (CHCs) - 300
 Sub-District Hospital - 318
 District Hospital (DHs) — 381

Support under the scheme is available for Procurement of drugs and strengthening /setting up robust systems of procurement, Quality Assurance, Supply chain management and warehousing, Prescription audit, grievance redressal, dissemination of Standard Treatment Guidelines and Establishment of IT enabled platform DVDMS (Drugs and Vaccine Distribution Management System) for

monitoring the real status of procurement and availability of essential medicines. To facilitate the monitoring of supply chain management activity at National level, a Central Dashboard has been developed. Few states have implemented the roll out of the DVDMS portal till Sub health centres while many others are attempting to do so for the successful monitoring of the real status of procurement and availability of essential medicines.

Furthermore, under the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana of Department of Pharmaceutical, Ministry of Chemical and Fertilizers a total of 18,646 Jan Aushadhi Kendras (JAKs) have been opened across the country as on 28.02.2026, out of which 2,370, Jan Aushadhi Kendras has been opened specifically in Government hospitals to provide medicines at rates that are about 50% to 80% cheaper than those of branded medicines.

The product basket under the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana has 2,110 medicines and 315 surgicals, medical consumables and devices, covering all major therapeutic groups, such as cardiovascular, anti-cancer, anti-diabetic, anti-infectives, anti-allergic and gastro-intestinal medicines and nutraceuticals. Almost all generic medicines included in the National List of Essential Medicines, except lab reagents and vaccines, are part of the product basket.

With a view to ensure accessibility and availability of medicines at JAKs, the following measures are in place:

- (i) An end-to-end information-technology-enabled supply chain system consisting currently of five warehouses and 41 distributors across the country, is in place.
- (ii) Since September 2024, stocking by Jan Aushadhi Kendras (JAKs) of 200 commonly used medicines, consisting of the 100 top-selling medicines in the product basket and 100 fast-selling medicines in the market, is incentivised with JAK owners being eligible to receive monthly incentive based on the stocks that they maintain of these medicines.
- (iii) In addition, with a view to ensure availability of commonly used products, 400 fast-moving products are monitored regularly by the scheme implementing agency {Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India (PMBI)} and demand for the same is forecasted on an ongoing basis. Further, steps have been taken to digitise the forecasting method to augment the procurement process through automation.

The product basket has been reviewed from time to time by a committee to evaluate the market demand of existing and newly launched/off-patent medicines, based on feedback and analysis from JAKs, citizens and market reports.

MR. CHAIRMAN: First Supplementary, Shriman Brij Lal.

श्री बृज लाल: महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 25 करोड़ है और उसमें बुंदेलखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है। मैं प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो जन औषधि केंद्र बने हैं, इससे गरीब लोगों को काफी फायदा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस समय कितने जन औषधि केंद्र हैं और भविष्य में उसकी संख्या बढ़ाने की क्या योजना है?

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि हम नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटी देते हैं। फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटी में, यह मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सब-हेल्थ सेंटर में हम 106 मेडिसिन्स देते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम 172 ड्रग्स देते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम 300 ड्रग्स देते हैं, सब-डिविजनल हॉस्पिटल में हम 318 मेडिसिन्स देते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम 381 ड्रग्स देते हैं। इसके साथ ही, हम क्वालिटी एश्योरेंस भी करते हैं। फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटी के तहत हम कोशिश करते हैं कि आम गरीब आदमी को मुफ्त में जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, वे मिल सकें।

जहां तक जन औषधि केंद्र का सवाल है, तो इस सवाल पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुल मिला कर 18,646 जन औषधि केंद्र हैं, as on 28th February, 2026. इनमें से 2,370 हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ओपन हुए हैं। यह संख्या है। इसके साथ-साथ, मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 3,944 जन औषधि सेंटर्स हैं। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह स्कीम शायद 2007-08 में शुरू हुई थी, लेकिन 2007 से 2014 तक सिर्फ 80 केंद्र थे, जबकि 2014 से लेकर 2025 तक 18,646 जन औषधि केंद्र हैं।

MR. CHAIRMAN: Second Supplementary; Shri Brij Lal.

श्री बृज लाल: महोदय, इस समय देश में कुछ ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं, जो पहले शहरों में होती थीं, अब गांवों में हो रही हैं, जो कि लाइफ स्टाइल के कारण हो रही हैं। उनमें डायबिटीज, कैंसर, किडनी डिजीजेज़ और ब्लड प्रेशर हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से तमाम लोगों को फालिज़ मारता है और उससे डेथ हो जाती है और लोग अपंग भी हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि खासकर इन बीमारियों के लिए, कैंसर, डायबिटीज, blood pressure, critical kidney diseases के लिए जन औषधि केंद्रों के माध्यम से क्या कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश में 80 से बढ़ा करके आज 18 thousand से ज्यादा जन औषधि केंद्र बने हैं। आप समझ सकते हैं कि कॉमन मैन को व्यवस्था देने में कितनी बड़ी छलांग लगाई गई है। उसी तरीके से हम लोगों का जो 'basket of medicines' है, उसमें 2,110 मेडिसिन्स जन औषधि केंद्र में मिलती हैं और 315 surgical medical consumables and devices मिलते हैं। यह व्यवस्था हम लोगों ने की है। इनमें cardio-vascular disease, anti-cancer, anti-diabetic, anti-infective, anti-allergic, gastro की बीमारियां और nutraceuticals - ये सब included हैं। साथ ही साथ जो National List of Essential Medicines हैं, वे सारी की सारी इसमें included होती हैं। इस प्रकार, किसी भी प्राणलेवा बीमारी के लिए सारी व्यवस्थाएं जन औषधि केंद्र में हैं।

MR. CHAIRMAN: Third Supplementary; Shrimati Mahua Maji.

श्रीमती महुआ माजी: माननीय सभापति महोदय, झारखंड के सरकारी अस्पतालों में आज भी आवश्यक दवाओं की भारी कमी बनी हुई है, जिससे गरीब और आदिवासी मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ता है। क्या केंद्र सरकार यह बताएगी कि दवा आपूर्ति की इस विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा और झारखंड जैसे राज्यों के लिए, जहां दुर्गम, पठारी और जंगल वाले इलाकों में भी अनेकों गांव बसे हुए हैं, उनकी बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो वहां के अस्पतालों के लिए अलग से दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोई ठोस योजना बनाई जा रही है? धन्यवाद।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदय, मैं सदस्य महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से बहुत ही ठोस नीति बनी हुई है। मैंने उस ठोस नीति में आपको स्पष्ट कहा कि drugs diagnostic facility में हम Sub Health Centre में 106 medicines देते हैं, Primary Health Centre में 172 drugs देते हैं, Community Health Centre में 300 drugs देते हैं, sub-district hospital में 318 medicines देते हैं और district hospitals में 381 medicines देते हैं। इसके साथ-साथ हम technical support भी देते हैं और digital support भी देते हैं, ताकि State की machinery को पता हो कि किस district hospital में, किस sub-divisional hospital में कौन-सी दवा समाप्त होने वाली है, वहां कौन सी दवा की हमें सप्लाई करनी है और यहां तक कि हम उनको यह भी सूचित करते हैं कि कौन-सी दवा आपके यहां expire होने वाली है। So, better you use it or send it back. We give that information also. तो शायद इससे ज्यादा कोई ठोस नीति भारत सरकार नहीं बना सकती है, जिसके तहत वह उनको गांव-गांव तक पहुंचाती है और बताती भी है कि यह चीज आपके पास अब available नहीं है और उसको available कराने के लिए आप indent भेजिए और आपके पास यह दवा expire हो जाएगी, इसलिए इसके पहले इसका इस्तेमाल कीजिए या इसको वापस भेजिए, यहां तक की व्यवस्था है।

MR. CHAIRMAN: Fourth Supplementary; Shrimati Ranjeet Ranjan.

श्रीमती रंजीत रंजन: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि देश में 18,646 जन औषधि केंद्र हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर्स कितने हैं? उनमें से 2,370 जन औषधि केंद्र विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में खोले गए हैं। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है, जिससे यह पता चले कि कितने मरीजों ने जन औषधि पर विश्वास किया है? आप एक साल का डेटा दे दीजिए। साथ ही, कितने मरीजों ने जन औषधि ली और जन औषधि की दवाइयों से उनकी बीमारी का इलाज हुआ है? जानकारी के अनुसार, ...**(व्यवधान)**... प्लीज़। जानकारी के अनुसार जन औषधि तो छोड़ें, हमारी जो जेनरिक दवाइयां हैं, ब्रांडेड दवाओं के कंपेरिजन में 50 से 80 प्रतिशत सस्ती हैं।

MR. CHAIRMAN: Please come to your question.

श्रीमती रंजीत रंजन: सर, यह experience है कि अगर आप लोगों को बोलिए कि आप जेनरिक दवाई लीजिए, तो लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं, इससे तो हमारा बुखार भी नहीं उतरता है। लोगों को जेनरिक दवाई और जनऔषधि पर विश्वास पैदा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: If you have any specific question, please come to that.

श्रीमती रंजीत रंजन: सर, जनऔषधि दवाइयों पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं है? इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: बहनजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि शायद आप प्रश्न में कंप्यूज कर गए। यह हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि यह दवाई की दुकान है, आउटलेट है। ...**(व्यवधान)**... इसलिए यहाँ डॉक्टर नहीं होते, बल्कि यहाँ केमिस्ट होता है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रंजीत रंजन: सर ...**(व्यवधान)**...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: आप अपने प्रश्न में यह पूछ रहे हैं कि कितने डॉक्टर हैं और कितने लोगों का इलाज हुआ? ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रंजीत रंजन: सर ...**(व्यवधान)**...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: जनऔषधि केंद्र इलाज नहीं करता है, दवाई देता है और दवाई देने का काम करता है। ...**(व्यवधान)**... जहाँ तक विश्वास का सवाल है, तो आज करोड़ों लोग जनऔषधि केंद्र का उपयोग कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. The House stands adjourned to meet at 2.00 pm.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise>]

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

STATEMENT BY PRIME MINISTER

MR. CHAIRMAN: Honourable Prime Minister.

Suo motu statement regarding West Asia crisis

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): माननीय सभापति जी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की routine supply प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। Strait of Hormuz में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय crew members हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए।

सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य dialogue और diplomacy के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने de-escalation और Strait of Hormuz खोले जाने पर भी उनसे बात की है। Commercial जहाजों पर हमला और Strait of Hormuz जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, civil

infrastructure पर, energy और transport से जुड़े infrastructure पर हमलों का विरोध किया है। भारत diplomacy के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत् प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है, इसलिए भारत का सतत् प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश-विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3 लाख, 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सभी देशों ने वहाँ मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि, यह बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है और जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है।

सभापति जी, होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास यह है कि जहाँ से भी संभव हो, वहाँ से तेल और गैस की सप्लाई भारत तक पहुँचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चे तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे।

सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो या फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुँचें, लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियाँ यदि लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो गंभीर दुष्परिणाम तय हैं। इसलिए भारत ने अपनी रिजिलिएंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उन्हें और गति दे रहा है।

सभापति जी, कोई भी संकट हमारे हौसलों और हमारे प्रयासों — दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते ग्यारह वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले कूड ऑयल, एलएनजी और एलपीजी जैसी energy जरूरतों के लिए 27 देशों से import किया जाता था, वहीं आज भारत 41 देशों से energy import करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियाँ संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते ग्यारह वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व भी डेवलेप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिज़र्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और

देश को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास कूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज की और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं।

महोदय, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90 प्रतिशत से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है। यह स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये का अभियान शुरू किया है। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग जैसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक resilient बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था, जब भारत अपने जीवनरक्षक दवाओं के कच्चे माल, यानी एपीआई के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में देश ने भारत में ही एपीआई इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार Rare earth minerals में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल-पल बदलते हालात पर नज़र रखे हुए हैं। सरकार, इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। यह ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है। यह ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। जैसे कोरोना के समय में अलग-अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए experts और officers के Empowered Group बने थे, वैसे ही, कल ही ऐसे 7 नए Empowered Groups का भी गठन किया गया है। ये groups supply chain, petrol, diesel, fertilizer, gas, महंगाई जैसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी राजनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे।

आदरणीय सभापति जी, सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियाँ की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं

देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है।

आदरणीय सभापति जी, यह राज्यों का सदन है। आने वाले समय में यह संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' का लाभ समय पर मिलता रहे — यह सुनिश्चित करना होगा। जहाँ प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए proactive कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें। इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में काला बाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहाँ से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहाँ पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध रूप से चलती रहे — यह सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए।

आदरणीय सभापति जी, मैं सभी राज्य सरकारों से एक और अनुरोध करना चाहता हूँ। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है और हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म तेजी से करते रहने होंगे। यह राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। यह टीम इंडिया की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने 'Team India' बनकर Covid management का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग-अलग पोलिटिकल पार्टियों की सरकारें होने के बावजूद testing और vaccination से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति 'Team India' के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा।

आदरणीय सभापति जी, यह संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किये जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल-पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूँगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लम्बे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूँ कि सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गम्भीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। इसी भावना के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Message from Lok Sabha; Secretary General.

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): Sir, clarifications... ..(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, there is a tradition...

MR. CHAIRMAN: No ! After the statement,... *...(Interruptions)...*

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Sir, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: Let him read... *...(Interruptions)...* आप बैठ जाइए। Let him complete.

MESSAGES FROM LOK SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on the 23rd of March, 2026, adopted the following motion in regard to the Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026:—

"That the Bill further to amend the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the Companies Act, 2013 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 21 Members of this House to be nominated by the Hon'ble Speaker, Lok Sabha, and 10 Members of Rajya Sabha to be nominated by Hon'ble Chairman, Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be, as near as may be, one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the Monsoon Session, 2026;

that in other respect, the Rules of Procedure and conduct of Business of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House names of 10 Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, there is a tradition in Rajya Sabha to seek clarifications. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Sir, I have a point of order. *...(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this is the tradition in Rajya Sabha. ...(*Interruptions*)...

RULING BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Wait, wait! ...(*Interruptions*)... Let me give my ruling.

Honourable Members, I would like to draw your attention to the Rule 251 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which permits a Minister to make a statement on a matter of urgent public importance with the stipulation that no question shall be asked at the time the statement is made. ...(*Interruptions*)...

The Statement just made by honourable Prime Minister pertains to critical issue of international diplomatic relations. I urge upon the honourable Members to recognize the gravity of the matter and the broader national interest involved and to extend their full cooperation by maintaining decorum in the House. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, please allow the point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Now, further discussion on the Motion for Consideration of the Appropriation (No. 2) Bill, 2026 moved by Shri Pankaj Chaudhary on 23rd March, 2026. ...(*Interruptions*)... I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. ...(*Interruptions*)...

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, we are walking out. ...(*Interruptions*)...

(At this stage, some honourable Members left the Chamber.)

MR. CHAIRMAN: Shriman Ramji... ...(*Interruptions*)... Dr. Dinesh Sharma.

GOVERNMENT BILL

^{\$}The Appropriation (No.2) Bill, 2026

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से 'दि एप्रोप्रिएशन (न. 2) बिल, 2026' पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह केवल वित्तीय

^{\$} Further consideration continued on a motion moved on the 23rd March, 2026.

प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस देश की विकास यात्रा, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण आधार है। सबसे पहले, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह विधेयक सरकार को संसद द्वारा स्वीकृत व्यय को समेकित निधि से निकालने की अनुमति देता है। यह लोकतंत्र की उस मूल भावना को मजबूत करता है, जिसमें जनता के पैसे का उपयोग जनता की अनुमति से किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने वित्तीय घाटे को कम किया है और खर्च एक योजनाबद्ध तरीके से किए गए हैं। डीबीटी के माध्यम से करोड़ों रुपयों की बचत भी है। विपक्ष अक्सर कहता है कि सरकार खर्च बढ़ा रही है, लेकिन वे यह नहीं बताते हैं कि यह खर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण पर हो रहा है। सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित वर्ग को मिले, इसके लिए तमाम प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। मुफ्त राशन योजना का लाभ लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास से लाखों लोगों को घर मिला है। आयुष्मान भारत योजना के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा दी गई है। यह खर्च नहीं, बल्कि एक तरीके का सामाजिक निवेश है और इसके कारण जो परिस्थितियाँ बदली हैं, उनके पीछे अंतर्निहित भाव यह है कि भारत का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण है और दूसरा लक्ष्य है - भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें एक मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। ये चीजें हमारे बजट में जो प्रावधानित राशियाँ थीं, उनके माध्यम से बड़ी अच्छी तरीके से संपादित हुई हैं। चाहे वह रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इन पर रिकार्ड निवेश किया गया है। डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया को मजबूत बढ़ावा दिया गया है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए।)

माननीय उपसभापति महोदय, तमाम चीजें ऐसी की गई हैं। हम पिछली बार देखते थे, तमाम ऐसे प्रश्न आते थे, जिनमें भ्रष्टाचार का नाम और उसका समावेशन होता था। कभी हम तरह-तरह के घोटालों की आवाज सुनते थे, लेकिन आज क्या सुनते हैं? आज हम वित्तीय अनुशासन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। गरीबों की योजनाओं का लाभ उनको पहुंचा रहे हैं। हम एक पारदर्शिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार ईमानदारी के साथ काम करने के कारण आज तमाम प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कर रही है। चाहे कर आच्छादन का विषय हो, चाहे राज्य को टैक्स का बड़ा हिस्सा दिए जाने का विषय रहा हो, चाहे विशेष प्रकार की सहायता योजनाओं को चलाने में सफलता का एक मापदंड तय हुआ हो, प्रत्येक स्थिति में हमारी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। आज सबसे बड़ी चीज यह है कि किसानों के लिए एमएसपी में वृद्धि लगातार चल रही है और पीएम किसान के माध्यम से उनको सीधी सहायता मिली है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन आज एक आवश्यकता बन गया है। आज युवा रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि स्टार्ट-अप के माध्यम रोजगार देने की स्थिति में पहुंच रहा है। यह एप्रोप्रिएशन बिल केवल वर्तमान की जरूरत नहीं है, बल्कि यह भविष्य की नींव है और यह टेक्नोलॉजी के आधार पर हर क्षेत्र में एक आर्थिक विकास है।

श्री उपसभापति: माननीय दिनेश जी, एक मिनट।...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, बहस चल रही, कृपया आप शांति बनाया रखें। माननीय दिनेश जी, आप बोलिए।

डा. दिनेश शर्मा: यह हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक अच्छा काम है। यह केवल बजट नहीं है, बल्कि यह भारत के उज्ज्वल भविष्य का एक रोडमैप है। मान्यवर, इसलिए मैं इस चीज़ को बार-बार इंगित करता हूँ कि हम जब तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि यह भारत के सपनों का दस्तावेज है। इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से हम विकास को वास्तविकता में बदल रहे हैं। कहते हैं कि:

*“जो अंधेरो में उजाले का सपना सजाते हैं,
वे ही इतिहास में नया भारत बनाते हैं।”*

नया भारत बनाने की तरफ हम लोग अग्रेसर हो रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। पिछली सरकारों के समय उत्तर प्रदेश को कभी व्यंग्य के रूप में एक बीमार प्रदेश कहते थे। आज हम इसको ग्रोथ के इंजन के रूप में संबोधित करने में सक्षम बन रहे हैं। यह स्पष्ट अंतर इसलिए है कि यूपीए सरकार के समय और एनडीए सरकार के समय तमाम फर्क हमें साफ दिखाई देता है। 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी और आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के स्तर को पार कर चुके हैं। 2010 में जो अर्थव्यवस्था थी, उससे आज हम दोगुना बढ़ चुके हैं। हम उस अर्थव्यवस्था में अब नहीं हैं, जब हम नीचे से पांचवे स्थान पर आते थे, बल्कि आज टॉप फाइव में हमारा नाम दर्ज हो रहा है। अगर आप बजट का आकार देखेंगे, तो 2014 में यह 16 लाख करोड़ था, जबकि आज 2026 में यह 50 लाख करोड़ बन गया है। आज इसमें तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। अगर हम पिछली चीज़ों की तुलना करें, तो पूंजीगत व्यय 2014 में 2 लाख करोड़ के आसपास था, जबकि आज अगर हम देखें, तो 2026 में यह 11 लाख करोड़ के आसपास बना है। मान्यवर, इसमें पांच गुना वृद्धि हुई है। यह वृद्धि इसलिए है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और उसके द्वारा जो हमारी अन्य प्रकार की योजनाएं हैं, उनका कार्य संचालन संभव हो सके। पहले क्या था कि योजनाएं फाइलों में दौड़ती थीं, जबकि आज क्या है कि ये अब जमीन पर दौड़ रही हैं। पहले क्या था कि योजनाओं को लागू करने में उनको तमाम प्रकार के चैनल से होकर जाना पड़ता था, जबकि आज पूरे देश में एक प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति मची हुई है। सड़क निर्माण पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन था, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के आसपास है। एयरपोर्ट्स, 70 से 150 के आसपास एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ है। पहले 70 एयरपोर्ट्स थे, आज 150 एयरपोर्ट्स हैं। रेलवे में आज वंदे भारत रेल ने एक नए प्रकार का जो परिवहन का साधन है, वह हमें उपलब्ध कराया है। हमारा रेल विभाग 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की तरफ पहुंच रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ कहीं नेशनल हाईवे है, कहीं पुलों का निर्माण है, तो कहीं एक्सप्रेसवे है। आज कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दहाड़ रहा है, तो कहीं बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे की गूंज वहां पर मौजूद है। आज हमारे डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए 30 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। हम कह सकते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान समस्याओं से होती थी, जबकि आज उत्तर प्रदेश की पहचान समाधान से हो रही है। पूरे भारत के अन्य प्रदेशों में यह परिवर्तन की लहर है। इसका सीधा कारण यह है कि 30 लाख करोड़ सीधे जनधन खाते में आए हैं। आज आधार, जनधन खाते और मोबाइल, इसकी जो त्रिवेणी है, इससे आज गरीबों के उन्नयन का भाव पैदा हुआ है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। पहले नारा था - 'गरीबी हटाओ', अब 'गरीबी हट गई' की दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2014 में 37 हजार करोड़

रुपए खर्च होते थे, आज 2026 में हम एक लाख करोड़ की तरफ आगे बढ़े हैं। आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित कराया है। यह बदलता हुआ देश है। रक्षा के क्षेत्र में, जैसा प्रधान मंत्री जी कह रहे थे, आज ज्यादातर चीजों का निर्माण हम स्वयं अपने देश में करा रहे हैं। 2014 में 2.2 लाख करोड़ का व्यय था, तो आज इसमें 6.8 लाख करोड़ का प्रावधान है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट में विश्व में हम अग्रणी बने हैं। भारत टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर बन कर आया है।

मान्यवर, पारदर्शिता बनाम भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, वह आज चर्चा का विषय बना है। अब 2जी, सीडब्ल्यूजी, कोल गेट, इनके भ्रष्टाचार की गूंज नहीं दिखाई पड़ती। अब क्या है कि एक पारदर्शी नीलामी होती है। पहले घोटाले हेडलाइन बनते थे, आज उपलब्धियां हेडलाइन बन रही हैं। मान्यवर, विपक्ष को विकास से समस्या नहीं है। लोग कहते हैं कि विपक्ष को जो समस्या है, वह विकास से है। समस्या यह है कि जो विकास हो रहा है, वह उनके बिना हो रहा है और जो विकास हो रहा है, वह भ्रष्टाचार के बिना हो रहा है। आज कहा जाए, तो:

*"हमने इरादों से तस्वीर बदल दी देश की,
वरना हालात की बातें तो सब करते थे।"*

आज विश्व के मंच पर जो भारत खड़ा है, वह सिर्फ सपनों से नहीं, संकल्पों से बना हुआ है। उपसभापति महोदय, यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों के विकास का प्रतिबिंब है। अब हम कह सकते हैं कि सफर लंबा था, 2014 की उन विसंगतियों के बाद नई उमंगों के साथ जो उड़ान थी, उसमें हम कह सकते हैं कि यह सफर लंबा था, लेकिन हौसले भी कम नहीं थे, जो ठान लिया, वह करके दिखाया। यह कोई भ्रम नहीं था। शायद इसी कारण आज कुछ लोग सवाल में उलझ कर रह गए हैं और हम जवाब बन कर देश बदलते चले गए। वे प्रश्न करते रहे और इधर सरकार काम करती रही।

मान्यवर, इस एप्रोप्रिएशन बिल के समर्थन में मैं कुछ कहूँ, उससे पहले मैं कुछ चीजों के बारे में कहना चाहता हूँ। आज बदले हुए समय में यह बजट केवल एक बजट नहीं है, यह नए भारत के सपनों का लेखा-जोखा है। यह विकास की वास्तविकता को बदलने वाला है। मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि इरादे मजबूत हों, तो रास्ते भी बन जाते हैं, वरना बहाना बनाने वाले तो संसद में भी मिल जाते हैं ... वे कहते हैं कि काम नहीं हुआ। वे काम की आलोचना करते हैं। मान्यवर, जब मैं विद्यार्थी था, तो यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने विद्यालय में टॉप किया। मेरे साथ में एक मेरा मित्र था, जैसे मान लीजिए कि यहां सत्ता पक्ष है और वहां विपक्ष है, तो वह हर बार मुझमें कोई न कोई कमी निकालता था। वह खुद तो उछलता-कूदता रहता था, लेकिन जब मैं फर्स्ट आता था, तो वह मुझे बोलता था कि क्या नकल कर लिया है? आज सरकार काम करती है और विपक्ष आरोप लगाकर उसकी मेहनत को नहीं देखता, हमारे सर्वांगीण विकास को नहीं देखता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज समय बदला है और समय के साथ हमारी मान्यताएं बदली हैं तथा मान्यताओं के आधार पर हमारे सर्वांगीण विकास की यह अभिकल्पना बदली है।

महोदय, आज अगर सब जगह देखें, तो पूरे भारतवर्ष में भी एक शांति का वातावरण है। पहले हमारे प्रदेश की पहचान जो समस्याओं से होती थी, मैंने कहा कि आज उनका समाधान हो रहा है। यह केवल एक बजट नहीं है, यह 'नए भारत' का एक ऐसा दस्तावेज है कि:

*"जो अंधेरों में भी उजालों का सपना सजाते हैं,
वही इतिहास में 'नया भारत' बनाते हैं।"*

अगर इस 'नए भारत' को कहीं देखना हो, तो मैं कहूंगा कि आप आ जाइए और आकर तमाम प्रदेशों का विकास देखिए। चाहे पूर्वोत्तर के राज्यों को देखें, जिनका कभी विकास नहीं हुआ था, आज वे विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या आप उत्तर प्रदेश अथवा बिहार का सर्वांगीण विकास देखें, आज हर तरफ यह जो विकास की झड़ी लगी है, उसका कारण मात्र यह है कि एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में यह सरकार बनी है। लोग बोलते थे कि भारत तो 'विश्वगुरु' बनने की तरफ अग्रसरित हो रहा है। लोग व्यंग करते थे कि 'विश्वगुरु' कहां है, यह तो दूसरों की बात मानने लगा है, लेकिन आज कूटनीति ने तय कर दिया कि भारत न तो किसी से डरता है और न किसी को डराता है तथा न तो किसी को धमकाता है और न किसी की धमकी में आता है, वह अपने देश के बारे में सोचता है। शायद इसीलिए आज भारत की यह तस्वीर बनी है कि विश्व में तमाम ऐसे देश हैं, जो युद्धरत हैं, उनमें से यूक्रेन भी भारत का स्वागत करता है, तो रूस के राष्ट्रपति भी भारत में आते हैं, आज अमेरिका भी भारत से बात कर रहा है, तो ईरान को भी भारत पर विश्वास है, इजरायल भी भारत का स्वागत करने के लिए तत्पर होता है और आज जितने अरब देश हैं, वे भी भारत की तरफ आस लगाए खड़े हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह संभव क्यों हुआ है? हमने राष्ट्र की 'विकसित भारत' की परिकल्पना को प्रावधानित किया है और उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए जो सतत प्रयत्न होने चाहिए थे, उन सतत प्रयत्नों के माध्यम से आज एक बड़ी नींव पड़ी है। ...**(समय की घंटी)**... आज हमारा राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, महंगाई कम है और मुद्रास्फीति स्थिर है, इसीलिए हमारा यह भारत आगे बढ़ रहा है। महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपसभापति: डा. सरफराज़ अहमद।

डा. सरफराज़ अहमद (झारखंड): महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पर यह जो चर्चा हो रही है, इस पर मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: डा. सरफराज़, आप बोलिए। आपका माइक ऑन है। ...**(व्यवधान)**...

डा. सरफराज़ अहमद: ठीक है, सर।

महोदय, हमारे कुछ साथी, जो सत्ता पक्ष में हैं, वे बड़े लंबे-चौड़े आंकड़े और बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप यहां पर जो मांग कर रहे हैं, तो यहां एक सिस्टम है,

इसलिए वह पारित तो हो ही जाएगा, उसे कौन रोक रहा है। लेकिन क्या कारण है कि आपने कई विभागों के पैसे सरेंडर किए हैं? आप पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसे सरेंडर करना पड़ता है और फिर आप पैसे की मांग करते हैं। अगर 2014 के बाद बहुत विकास हुआ होता, जब गरीबों का काम हुआ होता, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ होता, तो क्या कारण है कि पूर्ण बहुमत तो छोड़ दीजिए, भारत के लोगों ने आपको बहुमत भी नहीं दिया? उन्होंने आपको मेजॉरिटी भी नहीं दी और आपको मिली-जुली सरकार बनानी पड़ी, जो सामने है। अगर इन लोगों ने कुछ काम किया होता - ठीक है, इन्होंने काम नहीं किया, तो इनको लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन आपको भी तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, आपको भी लोगों ने समर्थन नहीं दिया। इसीलिए बातें कम होनी चाहिए और काम ज्यादा होने चाहिए। कल हमारे कोल मंत्री जी कह रहे थे, उसको मैं सुन रहा था, कि कोल में यह डेवलपमेंट हुआ, वह डेवलपमेंट हुआ, यह हुआ। सर, मैं कोल बेस्ड एरिया से आता हूँ। आप कहते हैं कि ये लोग कागज पर कोल एलॉट करते थे, लेकिन आप जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, वह किस पर कर रहे हैं? आप जो आउटसोर्सिंग कंपनी लाए हैं, वे अपने मजदूरों को बैठा रहे हैं और आप अपनी कोलियरियाँ बंद कर रहे हैं। जो कंपनी दूसरे राज्यों से वहाँ जाकर कोयला निकालेगा, काम करेगा, उसको क्या वहाँ से मोहब्बत रहेगी? क्या उसको उस एरिया से इस प्रकार का कोई प्रेम रहेगा कि उस एरिया को, जहाँ से कोयला निकल रहा है, उसको वह डेवलप करे? इस प्रकार से, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आप उन मजदूरों की कॉलोनियों को जाकर देखिए, उनके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी हालत देखिए। वहाँ पर स्कूल, पानी, बिजली आदि की स्थिति देखिए। खाली कागजी आँकड़ा दिखा देने से कुछ नहीं होगा।

सीएसआर का पैसा, जो डेवलपमेंट करने का पैसा है, लेकिन उसके लिए आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। कानून के हिसाब से कोल बेस्ड एरिया के आठ-दस किलोमीटर रेडियस के अंदर में विकास का काम होना चाहिए, लेकिन कहाँ हो रहा है? जहाँ कोयले का उत्पादन नहीं है, वहाँ वह पैसा काम करने के लिए जा रहा है। ये सब हम लोग भी देख रहे हैं। इसीलिए केवल बातें ...(समय की घंटी)... सर, मैं जानता हूँ कि हम लोग छोटे दल के लोग हैं, आप हमें समय कम ही देंगे, लेकिन मैं दो-चार बातें कहना चाहता हूँ।

'सबका साथ, सबका विकास,' हम लोग भी चाहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि झारखंड में जो 'एम्स' है, उसके साथ निश्चित रूप से इंसाफ़ होगा। हम लोग इसकी उम्मीद करते हैं। इन्होंने 10 साल इंतजार करने के लिए कहा है, इसलिए हम लोग 10 साल इंतजार करेंगे। उसमें से सात-आठ साल तो निकल ही गए हैं।

महोदय, 'हर घर नल से जल' योजना चली, उसके लिए आपने पैसे दे दिए। अब आप दोषारोपण कर रहे हैं कि इसको राज्य सरकार बना रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बाहर के, बाहर मतलब देश के बाहर नहीं, बल्कि इस राज्य से उस राज्य में ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर गए हैं और उन्होंने काम किया, कैसा किया, खड़े-खड़े जलमीनार गिर गया। ...(समय की घंटी)... इसकी क्या जाँच हो रही है? क्या हो रही है? इस तरह से आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो, सही जगह पैसा जाए और सही विकास का काम हो,

इसी में हमारी, आपकी, सबकी भलाई है और इसका फैसला आने वाले दिनों में भारत की जनता करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारी भावनाओं को सरकार को कम्युनिकेट कर दें, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद! जोहार!

श्री उपसभापति: धन्यवाद डा. सरफराज़। माननीय रामजी।

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपने मुझे 'एप्रोप्रिएशन बिल नं. 2' पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही, मैं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान कुछ मुख्य बातों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर स्टेट में एससी-एसटी डेवलपमेंट का जो फंड होता है, जिसको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया जाता है, रेशियो के हिसाब से निकला जाता है, लेकिन कई स्टेटों के अंदर यह देखने को मिल रहा है, मैं अकेले किसी भी स्टेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तमाम प्रदेशों के अंदर यह देखने को मिलता है कि एससी-एसटी डेवलपमेंट का जो फंड होता है, जिसको उनके पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन लास्ट तक उस फंड को खर्च नहीं किया जाता है और लास्ट में जाकर फरवरी-मार्च में उसे किन्हीं और मदों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि इसको सरकार गंभीरता से ले और इसमें बाकायदा रोक लगा करके, उनका जो पैसा है, वह उन्हीं के ऊपर खर्च करने का प्रावधान बनाने का काम करे।

साथ ही, मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में कहना चाहता हूँ और वह यह है कि जो गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं, चाहे वे पॉलिटेक्निक कॉलेज हों, चाहे आईटीआई में हों, चाहे तमाम डिग्री कॉलेज में हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हों, वे 10-15-20 साल तक नौकरी करते हैं, 25 साल में उनकी भर्ती हो गई, 15 साल बाद वे 40 साल के हो गए, 25 साल बाद वे 45 साल के हो गए, उसके बाद, यानी 25 साल तक नौकरी करने के बाद उनसे बोला जाता है कि अब आपकी सेवाएँ खत्म की जा रही हैं, क्योंकि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब 45 साल का जो व्यक्ति हो गया, अगर उसकी सेवाएँ खत्म कर दी जाएँगी, तब वह कहीं का नहीं रहता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार गेस्ट लेक्चरर्स के बारे में भी एक ठोस नीति लेकर आए ताकि वे गेस्ट लेक्चरर्स 45 साल की उम्र के बाद बेघर न हो पाएँ, बेरोजगार न होने पाएँ। इसको लेकर तमाम जो गेस्ट लेक्चरर्स थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया। मैंने उनकी बात को आपके सामने रखने का काम किया। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर ठोस कार्रवाई करने का काम करे। साथ ही, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में रिजल्ट आने के बाद तमाम तरह की बातें सामने आती हैं कि किसी को इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स दिए जाते हैं, तो किसी को 120 दिए जाते हैं, जबकि थ्योरी में उनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके मार्क्स में ज्यादा अंतर होता है। किसी की थ्योरी में कम नंबर होते हैं, जबकि उसके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नंबर रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इसको भी अपने संज्ञान में ले।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप इस बिल पर बोलिए।

श्री रामजी: मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये सभी कहीं न कहीं एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। सरकार यूपीएससी में इस पर भी जातियों का पैनेल बनाने का काम करे। सर, इसी तरह एससी-एसटी हॉस्टल्स की बात की जाती है। सरकार ने घोषणा की है कि हम पूरे देश के अंदर गर्ल्स हॉस्टल्स बनाएंगे। यह एक अच्छा कदम है, स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन मैं सरकार से चाहूंगा कि जो एससी-एसटी के हॉस्टल्स हैं, जो बहुत पहले बनाए गए थे, जो आज तक उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, उन पर भी सरकार काम करे। हर जिले के अंदर एससी-एसटी हॉस्टल्स बनाए जाएं। साथ ही, सरकार ने एक प्रावधान किया है कि 50 परसेंट हॉस्टल्स जनरल लोगों को अलॉट किए जाएंगे, जिससे एससी-एसटी का तमाम तबका हॉस्टल्स पाने में असमर्थ हो रहा है। यह उनकी एक विडंबना है, जिसको सरकार समझने का काम करे, ताकि एससी-एसटी के जो हॉस्टल्स हैं, वे उनको ही अलॉट किए जा सकें। अगर आप जनरल के लिए हॉस्टल्स बनाना चाहते हैं, तो बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

सर, मैं एक और बात यह कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में एससी-एसटी डेवलपमेंट का जो फंड होता है, वह उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनकी नौकरी के लिए होता है। लेकिन, पूरे देश के अंदर एससी-एसटी के जो तमाम गरीब बच्चे हैं, उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। उनके पास देने के लिए फीस नहीं है और वे आईआईटी और एमबीबीएस की परीक्षा में भी फेल हो जाते हैं, वे उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं।...(व्यवधान)... सर, मैं गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि एससी-एसटी के जो गरीब बच्चे हैं, उनका एडमिशन सरकार पूरे देश के अंदर जीरो फीस पर सुनिश्चित करे। चाहे आईआईटी हो, एमबीए हो या एमबीबीएस हो, तमाम जगहों पर उनको आगे लाने का काम किया जाए।

साथ ही, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। अभी ईरान और इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है, जिस पर सभी लोगों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। मेरा यह पर्सनल सजेशन है कि हमें अपने संबंध...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपको इस बिल पर बोलना है।

श्री रामजी: मान्यवर, ये सारे का सारा कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग इसी पैसे से तेल खरीद रहे हैं। हम जो तेल खरीद रहे हैं, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रूस, जो कि हमारा दोस्त है, उससे हमें कभी अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए। किसी भी दबाव में आकर हमें उससे अपने संबंध खत्म नहीं करने चाहिए। अगर आज उससे हमारे संबंध अच्छे होते और हमने उससे तेल खरीदना बंद न किया होता, तो आज हम 53 डॉलर में तेल ले रहे होते, 110 डॉलर में तेल नहीं ले रहे होते।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय रामजी, आपको इसी बिल पर बोलना है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं।

श्री रामजी: मान्यवर, मुझे ये ही बातें कहनी थीं। मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरी बातों को संज्ञान में ले, उसे गंभीरता से ले। आज किसानों के सामने तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी बोला था। किसानों की पेस्टिसाइड्स पर आज भी 18 परसेंट का जीएसटी लगता है।

इसमें तमाम तरह की कंपनियां इंवॉल्व हुई हैं, उनकी monopoly है। वे नए-नए सॉल्ट्स लेकर आ रही हैं। ...**(समय की घंटी)**... उनके सॉल्ट्स इतने महंगे होते हैं कि 5,000 रुपये एकड़ और 10,000 रुपये एकड़ की वे दवाइयां होती हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार उन पर जीएसटी को खत्म करे। सरकार उन कंपनियों की monopoly को खत्म करने के लिए मीडियम लेवल की कंपनियों को भी लाइसेंस प्रदान करे तथा अन्य कंपनियों को जो सुविधाएँ दी जाती हैं, वे सुविधाएँ उनको भी प्रदान कर उनको सहायता देने काम करे, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: *Mananiya* Shrimati S. Phangnon Konyak.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Honourable Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Appropriation (No.2) Bill, 2026--a legislation that authorizes withdrawal of approximately Rs. 53.5 lakh crore from the Consolidated Fund of India for the Financial Year 2026-27. This Bill is not merely a financial instrument; it is a solemn commitment to the people of India, especially women, youth, marginalized communities and also to the North-Eastern Region. Under the visionary leadership of our honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the able stewardship of our honourable Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, this Appropriation Bill transforms the Union Budget 2026-27 into actionable reality.

This Bill has been passed after rigorous parliamentary procedures. The Demands for Grants were guillotined in the Lok Sabha and later returned by the Rajya Sabha after detailed deliberations. This Bill also empowers the Government to allocate resources to national priorities and promote inclusive growth and sustainable development. Public Capital Expenditure has reached a historic high of Rs. 12.20 lakh crore, which is more than four times the level recorded in 2017-18. This demonstrates the Government's unwavering commitment to building a *Viksit Bharat* by 2047. The creation of an Economic Stabilization Fund with an allocation of Rs. 57,381 crore further strengthens India's resilience against global economic uncertainties. What makes this Appropriation Bill truly transformative is its strong focus on social equity and inclusive welfare. It aims to uplift women, empower youth, eradicate poverty, support marginalized communities and accelerate the development of the North-Eastern region. I would like to elaborate on these areas.

Sir, women are the backbone of our nation's progress. The gender Budget for 2026-27 has been enhanced to Rs.5.01 lakh crore marking an increase of over 11 per cent compared to the previous year. This allocation forms nearly 9.4 per cent of the total Union Budget and stands as the highest-ever gender-focused expenditure in India's history. Under women-specific schemes, flagship programmes such as the

Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin and Urban), Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission and 'Mission Shakti' have received a significant financial support. These initiatives aim to provide housing, security, financial independence, clean energy access and social protection to millions of women. A revolutionary initiative introduced in this Budget is the establishment of Self-Help Entrepreneur Marts (SHE-Marts). These community-owned retail outlets will enable lakhs of women-led self-help groups to evolve from micro-financing networks into full-fledged entrepreneurial enterprises. Over the next five years, term loans of up to Rs.2 lakh crore will be extended to five lakh women, especially, from Scheduled Castes and Scheduled Tribes to encourage first-time entrepreneurship. The allocation of the National Rural Livelihood Mission has been significantly enhanced, directly benefiting more than ten crore rural women. Working women's hostels are also being established across multiple districts to ensure safe accommodation and dignified living conditions for working women. In addition, the Government has proposed to establish one girls' hostel in every district within higher education institutions focused on science, technology, engineering and mathematics. This will greatly encourage female participation in advanced technical fields. Special emphasis is also placed on strengthening the care economy. Nearly 1.5 lakh caregivers will be professionally trained in healthcare, wellness and assistive technologies, creating dignified employment opportunities while improving care services for the elderly and differently-abled. Nutrition and welfare schemes for women and children have also been strengthened. Food fortification programs under the supplementary nutrition scheme and direct benefit transfers under girl child welfare schemes will significantly improve maternal and child health outcomes. These measures are not mere allocations, they are instruments of transformation. They promote financial independence, safety, health security and dignity for every woman. This Bill ensures that the dream of Lakhpati Didi becomes a reality and guarantees that funds meant for women empowerment are utilized efficiently.

India's youth represents the driving force of our nation's future. The Budget 2026-27 is proudly youth-centric. Recognizing their aspirations and potential, significant allocations have been made for skill development, employment generation and education reforms. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana has received a substantial boost to expand skill training programs across diverse sectors. Emerging fields such as animation, visual effects, gaming and comics are being promoted through these specialized content creator labs in thousands of schools and colleges. This initiative aims to prepare millions of young professionals for the global digital

economy. Special skill development programmes have also been designed for the divyangjan enabling them to secure employment in high-demand sectors like information technology, hospitality and manufacturing. This reflects the Government's commitment to inclusive development. Higher education infrastructure is also receiving strong support. University townships are being developed near industrial corridors to promote industry and academia collaborations. Artificial intelligence-driven learning platforms will equip students with future-ready technological skills. The Government has also introduced major employment initiatives under National Development Missions. Large-scale public and private sector employment opportunities will be generated promoting entrepreneurship and innovation among youth. These initiatives aim to transform job-seekers into job creators. When we pass this Appropriation Bill, we invest in the dreams of millions of young Indians. From rural villages to metropolitan cities, youth will gain access to quality education, modern skills and dignified employment opportunities.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair.*]

This is a decisive step towards harnessing demographic dividends for national progress. Sir, poverty elevation remains one of the Government's highest priorities and, over the past decade, crores of citizens have risen above multi-dimensional poverty due to sustained welfare initiatives. This Appropriation Bill ensures the continuation and expansion of these efforts. The allocation for rural development has seen a major increase, reflecting the Government's commitment to strengthening rural infrastructure and livelihoods. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana continues to provide free foodgrains to vulnerable households, ensuring food security for millions. Employment guarantee schemes continue to serve as lifelines for rural families. Housing, drinking water, sanitation and electrification programs have received increased funding to ensure dignified living standards for economically weaker sections. The agricultural sector has also been prioritized with strong financial support for farmers, particularly small and marginal landholders. Investments in irrigation, growth diversification, modern technology and agri-entrepreneurship will boost rural incomes and productivity. A saturation approach has been adopted to ensure that every eligible beneficiary receives full welfare support, whether in the form of Ration Cards, housing assistance, pensions or skill training. This guarantees that no deserving citizen is left behind. This Bill is not merely about Government expenditure; it represents a promise to uplift the most vulnerable sections of society and ensure equitable development. In advancing social justice, India's Constitution envisions equality and protection for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other

Backward Classes, minorities and persons with these abilities. This Budget reinforces that commitment through targeted allocations and welfare schemes. Dedicated development programs for tribal communities continue to receive strong support, particularly for vulnerable tribal groups living in remote areas. Educational scholarship for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students will continue to promote access to higher education. Assistive technology and rehabilitation services for Divyangjan are being expanded. Modern centers for assistive devices will improve mobility, independence and quality of life for the differently-abled citizens. Entrepreneurship programs for women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and minority communities will promote financial inclusion and self-reliance. Through this Bill, the Government strengthens its resolve to deliver social justice and ensure equal opportunities to all sections of society. There is a special focus on the North-Eastern region as the gateway to India's growth. The North-Eastern region is an integral part of India's cultural and economic fabric. Recognizing its strategic and developmental importance, the Government has made substantial allocations for the region's growth. Infrastructure projects focusing on roads, connectivity, power supply, water resources and tourism are being accelerated. Special schemes aim to promote local industries, eco-tourism and skill development among the youth. Healthcare and educational institutions in the region are being strengthened to provide better services. Vocational training institutions and programs tailored to local needs will enhance the employment opportunities. Agriculture and allied sectors such as horticulture, bamboo industry, agarwood and high value crops are being promoted to increase rural prosperity. Enhanced connectivity through railway, highways and digital infrastructure will integrate the region more closely with the national markets. These initiatives ensure that the North-East transforms from a peripheral region into a powerful engine of India's development growth. Sir, the Appropriation (No. 2) Bill 2026 is far more than a financial statement. It is a blueprint for inclusive national transformation. It empowers women with dignity and independence, equips youth with modern skills and employment opportunities, uplifts the poor through welfare support, promotes justice for marginalized communities and accelerates development in the North-Eastern region. With a historic total expenditure and record capital investment, this Bill lays a strong foundation for a self-reliant, equitable and developed India. I urge this House to pass the Bill unanimously and reaffirm our collective commitment to national progress and social justice. Thank you, Sir.

3.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Haris Beeran.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Mr. Vice Chairman, Sir, I want this House to understand the priority of the Government as to whom the Government is choosing to fund and whom it is neglecting. On the minority welfare aspect, the scholarship has been reduced from Rs. 302 crores in 2024-25 to Rs. 0.06 crores in 26-27 Budget Estimates, at a 99.98 per cent cut. The Parliamentary Standing Committee had, in fact, suggested that over Rs. 3,400 crore rupees scholarship funds were withheld between 2023-2024 and 2025-2026 to punish the students who had indulged in some sort of malpractices in States like U.P., Rajasthan and M.P. While in States like Kerala, where the fraud was negligible, minority students, who were supposed to get these particular benefits, were penalized for administrative failures of the other States. Sir, for the Maulana Azad Educational Foundation and the Madrasa Modernization Scheme, the allocation was reduced to zero. This is the first time in history that the allocation for these foundations was reduced to zero. I ask the honourable Finance Minister as to whether this silence is actually a fiscal necessity or it is because of the ideological instruction.

Sir, I come from the State of Kerala. The Exclusive Economic Zone Rules, notified on 8th of November, 2025, introduces a corporate “mother-and-child” vessel model with mid-sea transshipment. Kerala's Fisheries Department warned in September, 2025 that it will destroy the coastal landing economies while the CMFRI, which is the established body, has said that India's fishing fleet already operates at nearly triple of its sustainable limit. This document accelerates deep sea targets from 1 lakh tons to 10 lakh tons by 2028, which is not a fisheries policy, but a dispossession program dressed in the language of Blue Economy.

Sir, another area of deep concern in which this Appropriation Bill does not find any mention is the West Asia crisis. If the reports are to be believed, Pakistan is supposed to mediate. They are mediating between Iran and United States. Where has our Foreign Policy gone, Sir? It is a matter of concern as far as we are concerned, because we should be the ones who should have taken the lead in this crisis due to the kind of historical ties we had with Iran.

Now, Sir, there are a lot of issues with regard to this West Asia crisis...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Beeran, we are discussing Appropriation Bill, not the Foreign Policy.

SHRI HARIS BEERAN: Sir, an amount of Rs. 2,16,893 crores flow annually in remittances by our expats from this particular area. In the Appropriation Bill, there has to be some allocation for these displaced persons who will come from the West Asia to India. ...(*Time Bell rings*)... I am concluding, Sir. Therefore, it is a Budget that hollows minorities, corporatize oceans, ignores the remittances crisis, exempt polluters from scrutiny and abandons small holders, while announcing corridors and capex multipliers. It is not a Budget for India, it is a Budget for a very particular idea of India that has no room for Kerala's fisherman, farmers or students. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Lahar Singh Siroya.

श्री लहर सिंह सिरया (कर्नाटक): आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस बार बजट सेशन में सदन अच्छी तरह से चल रहा है। यह संयोग ही है कि नए चेयरमैन सर के आने के बाद से एक दिन भी सदन कभी नहीं रुका है। मैं इसके लिए आदरणीय खरगे साहब और विपक्षी पार्टियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। महोदय, इस कारण से हमें बोलने का मौका भी मिल रहा है। जो स्पेशल मेंशन लगातार आ रहे हैं, मुझे उसमें भी बोलने का मौका मिला है, मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। यह जो 'दि एप्रोप्रिएशन (न. 2) बिल, 2026' आया है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और यह धन्यवाद करने का कारण भी है। इस बजट की घोषणाओं में नीतिगत प्रावधान के आधार पर प्राथमिकताओं को लेकर 1.4 अरब देशवासियों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। यह बजट अभूतपूर्व वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में आया है और इसे बड़े संतुलन के साथ, दूरदर्शिता के साथ और सूक्ष्मता के साथ तैयार किया गया है। जैसे चर्चिल के लिए कहा जाता है कि आदरणीय चर्चिल जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दि वॉर रहे हैं, वैसे ही हमारे प्रधान मंत्री के आने के बाद भी कुछ ऐसा माहौल बना, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हमें कई तरह के युद्धों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, कोविड का युद्ध हुआ था। वह चाइना से कोई वायरस आया था, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन हमें कितना भुगतना पड़ा, यह आप सब जानते हैं। इसी तरह से, जब हमारे ऊपर कश्मीर में अनावश्यक हमले हुए, तब हमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा था। उसके लिए हम दोषी नहीं थे, फिर भी हमें कितना कुछ झेलना पड़ा। अभी जो लड़ाई हो रही है, वह इजरायल और अमेरिका की ईरान और अन्य देशों के साथ में हो रही है। इससे हमारा क्या लेना-देना? आप हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर इसी समय हमला कर रहा है! इससे हमारा क्या लेना-देना? हमने कभी कोई युद्ध नहीं थोपा। पर्यावरण के बारे में भी हम कभी दोषी नहीं रहते हैं, फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जिनके कारण हमें भुगतना पड़ता है। ऐसे संकट के समय में हमारे प्रधान मंत्री जी जिस तरह का बजट लाए हैं और उन्होंने जिस तरह की दूरदर्शिता रखी है, उसके लिए मैं उन्हें

पुनः बधाई देना चाहता हूँ। मैं अपने विपक्षी दलों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने पूर्वाग्रहों से बाहर आकर इस बात को समझें। यद्यपि हमारे विरोधी पक्ष के कई नेताओं ने अच्छी बातें कही हैं, क्योंकि जो संकट हमारे विश्व में छा रहा है, उसका हमारे देश पर जो परिणाम पड़ रहा है, उसके लिए सबको चिंता करना आवश्यक है और सब चिंता कर भी रहे हैं, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कुछ प्वाइंट बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे संकट के समय में भी सरकार के साथ खड़े रहने के बजाय, विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य सरकार के इन सतत एवं अथक प्रयासों का समुचित आकलन करने में असफल रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र हित के व्यापक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर रचनात्मक सहयोग देने के स्थान पर तात्कालिक एवं निरर्थक राजनीतिक विमर्शों में अधिक ऊर्जा व्यय की और सदन का समय वेस्ट किया है। इससे अपेक्षित सहयोग का भाव दृष्टिगोचर होता है। मैं समझता हूँ कि वे इस पर आगे विचार करेंगे। ऐसा संकट, जो हमारे कारण से नहीं आ रहा है, उससे मुकाबला करने के लिए हम सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया है कि हमें इस बजट को वैश्विक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। हाल के समय में भारत को तीन प्रमुख प्रकार के आर्थिक एवं सामरिक दबावों का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रारम्भ किए गए टैरिफ युद्ध से वैश्विक व्यापार व्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जैसा कि आपने देखा कि ताकतवर देशों ने किस तरह से हमारे साथ टैरिफ वॉर छेड़ी, युद्ध छेड़ा, समुचित भाव के साथ, समभाव के साथ हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उसका सामना किया। यह हम सबके सामने है। इस कारण से, इतना कुछ होने के बावजूद भी आज हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, टिकी हुई है और हमें किसी बड़े संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके परिणाम का भी हमें सामना करना पड़ा और भुगतना पड़ा। वर्तमान में, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ईरान एवं अमेरिका-इजरायल के मध्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को अनिश्चितता के घेरे में डाल दिया है। यद्यपि इस दिशा में अभी स्पष्टता नहीं है, तथापि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को ऊर्जा सुरक्षा के विषय में आश्वस्त किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गत दशक में सुदृढ़ की गई हमारी अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेगी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई तात्कालिक संकट नहीं है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि देश के पास 53,00,000 मीट्रिक टन से अधिक का सामरिक पेट्रोलियम भंडार उपलब्ध है। इसके अलावा, अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक भंडारण की क्षमता सृजित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। समस्त वैश्विक चुनौतियों के मध्य यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट एवं लक्षित प्रावधान किए गए हैं। मैं सदन और आदरणीय खरगे साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि विशेष रूप से जो कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण, सीसीयूएस के क्षेत्र में प्रस्तावित पहल उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश होगा। जो कार्बन उद्योगों में जलता है, उस कार्बन को कैप्चर करके कैसे आगे उसका उपयोग किया जाए, इस संदर्भ में बड़ी दूरदृष्टिता के साथ हमारे

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इसका प्रावधान किया है। यह पहल ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी एवं रसायन जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालिक ऊर्जा, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय संतुलन निश्चित करेगी। मैं इसलिए पुनः कहता हूँ कि वे बधाई के पात्र हैं।

महोदय, इसी क्रम में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व रक्षा बजट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। यह कुल सरकारी व्यय का लगभग 14.7 परसेंट है, जिसमें आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन एवं सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यह हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता है कि आगे आने वाले खतरों को समझते हुए उन्होंने बजट में डिफेंस के लिए प्रावधान किया है। किसी देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस बजट का बढ़ना बहुत जरूरी है और आगे आने वाली परिस्थितियों में कब हमारी तरफ किस तरह का संकट आ जाए, उसको देखते हुए उन्होंने बजट में यह प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।

महोदय, इसी तरह से 2,19,306 करोड़ की राशि अत्याधुनिक हथियारों, विमानों पनडुब्बियों एवं उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण हेतु निर्धारित की गई है। साथ ही घरेलू उद्योग से क्रय को बढ़ावा देकर 'मेक इन इंडिया' को सशक्त करने का स्पष्ट प्रयास परिलक्षित होता है तथा डीआरडीओ के लिए भी बढ़ा हुआ प्रावधान किया गया है। 'मेक इन इंडिया' का नारा जब हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने दिया था, तो हमारे कई विपक्षी साथियों ने मजाक उड़ाया था कि यह कैसे हो जाएगा और उन्होंने बब्बर शेर वगैरह कहकर कई तरह के मजाक उड़ाए थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 'मेक इन इंडिया' की वजह से हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है और आज इस विश्व के संकट के समय भी हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो और चाहे अन्न का क्षेत्र हो।

महोदय, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में किया गया व्यापक प्रावधान भी इस बजट की एक प्रमुख विशेषता है, जो आत्मनिर्भर भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों को सुदृढ़ करता है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो अब तक का सर्वाधिक है। यह न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देगा, बल्कि राज्यों को संरचनात्मक सुधारों हेतु प्रोत्साहित भी करेगा। इस दिशा में 1.85 लाख करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान है, जो वित्त आयोग की अनुशंसाओं से परे है और वर्ष-दर-वर्ष 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह हमारी सरकार का अत्यंत सराहनीय कदम है। मैं विशेष रूप से शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास एवं उच्च गति रेल गलियारों के निर्माण हेतु किए गए प्रावधानों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं रेलवे मंत्री जी को, सरकार को और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे देश को जोड़ने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, जो 7 उच्च गति के रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिनको विशेष संपर्क मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह कार्य करने की परिकल्पना क्षेत्रीय इम्बैलेंस को दूर करेगी। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में राष्ट्र के दीर्घकालिक हितों को दृष्टिगत

रखते हुए निरंतर एवं प्रतिबद्ध प्रयास करना तथा विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना निस्संदेह हम सभी के लिए गर्व का विषय है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं जैन समाज से आता हूँ। हमारे जैन धर्म में कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मः। आज इस सदन के माध्यम से, राजदूतों के माध्यम से और आपके माध्यम से अगर यह बात उन लोगों तक पहुंच सके, जिन्होंने आज विश्व में हिंसा का वातावरण बना रखा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं और नागरिक क्षेत्रों में हमले हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे भगवान महावीर का अहिंसा का संदेश - अहिंसा परमो धर्मः, यह पूरे विश्व में जाना चाहिए और विश्व में शांति होनी चाहिए। हमारे जैन धर्म में एक और बात है - 'संयमः खलु जीवनम्', यानी संयम ही जीवन है। इसलिए यह हम सब के लिए आवश्यक बन जाता है कि हम सब लोग संयम से रहें। आपके माध्यम से देश के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है, जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है, कि हम सबको संयम रखना चाहिए, हमें आपाधापी नहीं करनी चाहिए। गैस को लेकर या इस तरह से कई बातों की कमी को लेकर जो आपाधापी मचती है, लोग बिना बात के स्टोरेज करना चाहते हैं, भंडारण करना चाहते हैं, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम इस तरीके की गड़बड़ी नहीं दिखाएं और संयम से रहें। हमें जो-जो चीजें सुविधा से मिलती हैं, हम उनको लेते जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपने घर में 10 या 20 सिलिंडर्स रख लें। अगर बगल वाली झोंपड़ी में गैस नहीं होगी, तो क्या वे लोग आपको रहने देंगे? आपका चूल्हा जलता रहे और पड़ोसियों का चूल्हा बंद हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम सबको संयम से रहना पड़ेगा। इस समय देश के संकट में हम आदरणीय प्रधान मंत्री जी के हाथ मजबूत करें। विशेष रूप से मैं मीडिया के लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे छोटी-छोटी बातों को तूल न दें। मैं देख रहा था कि हमारे एक मीडिया चैनल में फुटपाथ पर एक चूल्हा दिखा कर वे इसको हाईलाइट कर रहे थे। हमें इस तरह की गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए और लोगों की एंगजाइटी को और नहीं बढ़ाना चाहिए।

महोदय, हमारी जो राज्य सरकारें हैं -- जो हमारी सरकारें हैं या अलग भी सरकारें हैं -- उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने-अपने राज्य में वे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उनके यहां कोई इस तरह की ब्लैकमार्केटिंग टाइप की चीज नहीं हो, कोई अनावश्यक भंडारण नहीं करे और ऐसा करने वालों के ऊपर, जो देश की सुरक्षा के समय, संकट के समय अगर इस तरह का कोई कार्य करते हों, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। आपके माध्यम से मेरा यह भी निवेदन है।

महोदय, आपने मुझे 2026 के वित्त विधेयक के ऊपर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं पुनः सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद। The next speaker is Shrimati Mahua Maji.

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दि एप्रोप्रिएशन बिल (नंबर 2) पर चर्चा में भाग लेते हुए यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह केवल एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इस सदन की उस जिम्मेदारी का प्रतीक है, जिसके माध्यम से हम देश की जनता के एक-एक रूप के उपयोग पर निगरानी रखते हैं। दुर्भाग्य से आज इस बिल को जिस तरह से पेश किया जा

रहा है, उससे यह मात्र एक औपचारिकता बन कर रह गया है। यह चिंता का विषय है कि संसद की भूमिका, जो जवाबदेही तय करने की होनी चाहिए, वह धीरे-धीरे सीमित होती जा रही है। इस प्रक्रिया में संसदीय जांच कमजोर हो रही है। जब हम बिना पर्याप्त चर्चा के खर्च को स्वीकृति देते हैं, तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के साथ समझौता है। पारदर्शिता की कमी और ऑफ-बजट बॉरोइंग्स भी अत्यंत गंभीर मामला है। यदि सरकार वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपा कर खर्च कर रही है, तो यह न केवल आर्थिक अनुशासन के खिलाफ है, बल्कि यह जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से झारखंड के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहती हूं। झारखंड एक ऐसा राज्य है, जो देश को खनिज संपदा देता है - कोयला, लोहा, यूरेनियम सहित अन्य कीमती ऊर्जा, लेकिन जब बात आवंटन की आती है, तो हमें हमारा उचित हिस्सा नहीं मिलता। यह विडंबना है कि जो राज्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, वही राज्य आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। झारखंड सरकार सीमित संसाधनों में भी लगातार जनकल्याण के कार्य कर रही है, चाहे वह ग्रामीण विकास हो, जल आपूर्ति हो या सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हों, लेकिन केंद्र सरकार से समय पर फंड रिलीज न होने के कारण इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं आती हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस एप्रोप्रिएशन में आदिवासी बहुल राज्यों के लिए कोई विशेष दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता। क्या यह सदन इस बात को नजरअंदाज कर सकता है कि देश के सबसे कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा समर्थन की आवश्यकता है? यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड, जो पूरे देश को खनिज संपदा से समृद्ध करता है, जैसे बॉक्साइट, लोहा, कोयला, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण और कीमती खनिज सप्लाई करता है, वह देश के पिछड़े राज्यों में नीचे से तीसरे पायदान पर है। क्या यह राज्य की जनता के साथ अन्याय नहीं है कि वे इतने गरीब और पिछड़े हैं? झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमंत सोरेन जी ने खनिजों से समृद्ध इस राज्य को देश का नंबर वन राज्य बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत है। उन्होंने जनहित में जो विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं, जैसे मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, तमाम योजनाएं हैं, लेकिन राज्य को उसके अधिकार का पैसा देने में केंद्र लगातार कोताही बरत रहा है और यह राज्य के साथ अन्याय है। अभी तक उसे कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं मिले। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख आवास की मांग बार-बार की जा रही थी, लेकिन यह नहीं दिया गया, तो राज्य सरकार ने, माननीय हेमंत जी ने इसके लिए अबुआ आवास योजना लॉन्च की, जिसमें तीन कमरों वाले आवास, प्रधानमंत्री आवास से भी अच्छा आवास उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। आज देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दबाव में है। ऐसे समय में हमें उम्मीद थी कि यह बिल इन मुद्दों को प्राथमिकता देगा, ...(समय की घंटी)... लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं दिखता।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल केवल खर्च की अनुमति नहीं होना चाहिए, बल्कि यह इस बात को सुनिश्चित करने का माध्यम होना चाहिए कि हर खर्च जनता के हित में हो, पारदर्शी हो और जवाबदेह हो। अतः मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करती हूं कि राज्यों

को समय पर और पर्याप्त फंड दिया जाए, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाए और विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्यों के साथ न्याय किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल के वर्तमान स्वरूप पर अपनी आपत्ति दर्ज कराती हूँ, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

डा. अजित माधवराव गोपछडे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस गरिमामय सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने इस सदन में युद्धजन्य परिस्थिति के ऊपर चिंता जताकर, हमारे सदन के माध्यम से पूरे देश और जनता को जिस प्रकार से आश्वस्त किया है और जनता का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और कहा है कि हम सब साथ-साथ मिलकर काम करेंगे तथा विपक्ष को भी उन्होंने कहा, आह्वान किया कि हम सब लोग मिलकर, एक साथ 'टीम इंडिया' के माध्यम से काम करेंगे।

महोदय, आज जब उन्होंने यह भाषण किया, वह मेरे जीवन का एक बहुत ही बड़ा पल था, क्योंकि ऐसी ही परिस्थिति 'कोरोना' के समय आई थी। मैं भी मेडिकल का छात्र हूँ, लेकिन जिस विषय को इतनी गंभीर समस्या रहते हुए भी प्रधान मंत्री जी छोटी-छोटी चीजों के बारे में चिंता करते हैं, तो मुझे इसमें हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था का एक लक्षण दिखाई देता है। इसके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो चीजें बताई हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने साढ़े तीन लाख लोगों को वापस लाये। ईरान से हमारे 1,000 मेडिकल छात्र आए हैं, वे संवाद एवं कूटनीतियों के माध्यम से आए हैं। मुझे यह अच्छा लगा कि विनियोग विधेयक और अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, इसकी एक झलक मुझे आज इसके माध्यम से दिखाई दी। इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमें तेल और गैस की सप्लाई तथा फर्टिलाइजर के बारे में भी अभी आत्मनिर्भर रहना है। पहले 21 देशों से हमारा इंपोर्ट होता था, अभी हम 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि ऐसा स्वयं में पूर्ण और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधान मंत्री जी ने रखा है।

महोदय, उन्होंने यह कहा कि हम रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ाने जा रहे हैं। कूड ऑयल की स्टोरेज और ईंधन के माध्यम से हम दूसरे के ऊपर निर्भर न रहते हुए, हम अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए काम करने जा रहे हैं। पीएनजी पर भी जोर दिया जा रहा है और एलपीजी का घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में जिस तरह के विचार हैं, भविष्य को देखते हुए, हमें आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनाने की ओर यह जो सोच है, यह अर्थव्यवस्था का भी एक सबसे बड़ा दायित्व है और जिम्मेदारी है, यह मुझे लगता है।

महोदय, आज मैं प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने 70,000 करोड़ के 'मेड इन इंडिया' जहाज बनाकर हमारी शक्ति, हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे स्वदेशी के अर्थ संकल्प की ओर एक दिशा निर्देश करके आज हमारे देश को एक बहुत बड़ी मजबूती का आश्वासन दिया है। उन्होंने आज मिलिट्री के बारे में भी कहा कि अर्थव्यवस्था के माध्यम से इसे कैसे मजबूत करना है। हम आत्मनिर्भरता के सिस्टम के माध्यम से कैसे अपने

अत्याधुनिक हथियार बनाएंगे, प्रभावी अर्थव्यवस्था का एक यह लक्षण भी मुझे दिखाई देता है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बताया गया। जहां सारी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो चुकी है, लेकिन भारत की इकोनॉमी प्रभावित नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि हमारा देश किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है। हमारा सारा देश एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ रहा है, यह अभी उन्होंने बताया।

सभापति महोदय, विकसित भारत का यह विधेयक केवल कुछ आंकड़ों का पुलिंदा या निर्जीव दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह 'विकसित भारत, 2047' के सपनों को साकार करने वाला एक सजीव आईना है। इस आईने में मुझे बोधिसत्व, भारतरत्न, महामानव, डा. बाबा साहेब अंबेडकर जी की समावेशी सोच और सामाजिक न्याय की झलक दिखाई दी। मुझे वह झलक क्यों दिखाई दी, क्योंकि आज प्रधान मंत्री जी ने एक निवेदन किया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, जैसे कोरोना के समय में उन्होंने लोगों को सुरक्षित मार्ग दिखाया था, उनके लिए सारी चीजों, जैसे अन्न, वस्त्र, निवास आदि की सारी व्यवस्था की थी, उसी तरह से उन्होंने अपने सारे मंत्रीगण और सदस्यों को भी कहा है कि इस संकट के दरम्यान श्रमिकों, मजदूरों और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा हो, यह नहीं होना चाहिए और कोई भूखा रहे, यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे डा. बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो समावेशी सोच है और उनकी जो सामाजिक न्याय वाली छवि है, इस अर्थसंकल्प के माध्यम से मुझे वही समावेशी सोच दिखाई देती है।

महोदय, आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने हमारी इस अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोला, लेकिन आईएमएफ और ओईसीडी जैसी वैश्विक संस्थाएँ हमें दुनिया का 'bright spot' मानती हैं। हम 2014 से पहले 'Fragile Five' थे, यानी दुनिया की पाँच कमजोर अर्थव्यवस्था में हम गिने जाते थे, लेकिन आज प्रधान मंत्री मोदी जी के decisive leadership से हम दुनिया की टॉप फाइव अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं। हमारा विकास दर 7.6 परसेंट है, जो दुनिया में सबसे तेज है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 725 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है, जिससे हम 11 महीने का आयात कर सकते हैं, जबकि दुनिया के कई देश दो या तीन महीने में ही हाँफने लगते हैं।

महोदय, विपक्ष 'tax terrorism' का नया राग अलापती है, लेकिन असली 'tax terrorism' तो तब था, जब 1970-71 में 11 tax slab होते थे और एक सौ रुपए कमाने वाले के पास मात्र 6.5 रुपए बचते थे। उस समय 85 परसेंट तक टैक्स और 10 परसेंट तक सरचार्ज वसूला जाता था। उस समय, यानी 2013-14 में टैक्स फ्री इनकम मात्र 16,667 रुपए प्रति माह थी, जो आज बढ़ कर 1,00,000 रुपए प्रति माह हो गई है। आज हमारा टैक्स सिस्टम transparency, trust, transformation के लिए जाना जाता है। उनके समय में, यानी विपक्ष के समय में बस एक ही नारा था, 'जो मेरा है, वह मेरा है, और जो तुम्हारा है, वह भी मेरा है,' लेकिन हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के इन छेदों को भरा है, जिन्हें यूपीए सरकार ने विरासत में छोड़ा था।

महोदय, आज देश में नारी शक्ति का स्वर्णिम कालखंड चल रहा है। राष्ट्रपति पद से लेकर वित्त मंत्री पद तक महिलाएँ हैं और महिलाएँ देश की हर दिशा में अपना काम कर रही हैं।

Women-led development का ही यह परिणाम है कि आज स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रोथ इंजन बनते जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी का आज का जो निवेदन हुआ..., अभी जब विधेयक पर चर्चा हो रही है, तब मैं देख रहा हूँ कि सदन में विपक्ष की पूरी कुर्सियाँ खाली हैं, कोई भी बैठा नहीं है, क्योंकि उनके चेहरों पर पूरी मायूसी है और मुझे कभी-कभी फिल्म का एक डायलॉग भी याद आती है, 'इतना सन्नाटा क्यों है, भाई?' महोदय, इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि देश के विकास का शोर इतना तेज है कि विपक्ष की नकारात्मकता उसमें दफना गई है। इन्होंने कहा कि "India is a dead economy." मुझे इनकी बुद्धि पर भी तरह से आती है। वे खुद electorally dead हो चुके हैं, चुनावी रूप से समाप्त हो चुके हैं और आज भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे आज यहाँ पर कहना है कि इस माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। युवाओं की शिक्षा के बारे में हमारे एक मित्र सांसद डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे जी ने कहा था कि human capital मिट्टी के उस गोले की तरह है, जिसको अगर सही आकार दिया जाए, तो वह सुंदर बर्तन बन सकता है, वरना वह विनाशकारी भी हो सकता है। मोदी जी के कौशल विकास और स्किल डेवलपमेंट के जरिए मिट्टी को आकार देने का काम किया जा रहा है और इस तरह से हमारे युवा शक्ति को आकार देने का काम किया जा रहा है।

महोदय, हमारे मित्र डा. भीम सिंह जी ने भी नारों के बारे में बताया। इन नारों के महत्व भी बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि शास्त्री जी ने 'जय जवान, जय किसान' कहा था, अटल जी ने उसमें 'जय विज्ञान' जोड़ा और हमारे प्रधान मंत्री जी ने उसमें 'जय अनुसंधान' का नारा देकर भारत के भविष्य की शक्ति बढ़ा दी है और अनुसंधान के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ चुका है।

महोदय, आज सौर ऊर्जा में हमारा देश दुनिया में तीसरा और पवन ऊर्जा में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। हमने 2030 का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। 51.5 परसेंट बिजली क्लीन एनर्जी से आ रही है। 'प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना' से 40 लाख घरों को रोशन किया जा रहा है। आज पश्चिमी बंगाल की स्थिति देखिए। वहाँ की सरकार 'आयुष्मान भारत' और 'सूर्यघर योजना' जैसी योजनाओं को रोक देती है। पश्चिमी बंगाल, जो कभी सबसे अधिक औद्योगिक राज्य था, आज वहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर भाग रहे हैं। महोदय, वहाँ सिंडिकेट का राज है। वहाँ मकान बनाने के लिए सरिया और सीमेंट सिंडिकेट से लेना पड़ता है। महोदय, विपक्ष का हाल ऐसा है कि उन्होंने वहाँ पर विकास के सारे दरवाजे रोक दिए हैं और विकास को स्वीकार करने के लिए वे अभी तक तैयार नहीं हैं। आज माननीय नड्डा जी ने बताया कि उत्तर-पूर्व में मणिपुर से लेकर अन्य सभी राज्यों में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, रोजगार और रेल तक सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। उत्तर-पूर्व में हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारी स्थिति बहुत सुचारू और मजबूत बनती जा रही है।

हम जब प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, तब हमारे विपक्षी विचलित हो जाते हैं। हमारा यह "रामराज्य" धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि यह सबको सम्मिलित करने वाला शब्द है, क्योंकि रामराज्य का असली अर्थ है - समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना, समाज के अंतिम स्तर पर जो दरिद्रनारायण है, उसकी सेवा करना और उसको सुधारना। अभी विपक्ष के हमारे कई साथियों

ने कई चीजों पर कुछ कॉमेंट्स किए थे। जम्मू-कश्मीर के बारे में जिस धारा 370 को विपक्ष ने सहेज कर रखा था, उसे हमारे प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने उखाड़ फेंका। कांग्रेसियों ने मुस्लिम बहनों के हक को छीना, लेकिन ट्रिपल तलाक को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को हमने सम्मान दिया। यह विपक्ष का गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। बंगाल में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और बिहार में तो कुछ सालों के बाद लालटेन लेकर उनको खोजना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आने वाली है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विनियोजन विधेयक नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं है। मुझे विपक्षी भाइयों से कहना है कि यह विधेयक नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं है, यह नेक्स्ट जनरेशन के लिए है और हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां हमारा वैज्ञानिक चंद्रयान को शिवशक्ति पॉइंट तक पहुंचाता है। मुझे आपको यह बताना है, क्योंकि यह प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच है, वित्त मंत्री जी की सोच है। इस विधेयक का हमने तथा अन्य सभी लोगों ने समर्थन किया है। मुझे विपक्षियों से कहना है और जो अपनी-अपनी कुर्सियाँ छोड़कर भाग गए हैं, उनसे भी कहना है कि आज प्रधान मंत्री जी ने सबके साथ संवाद किया है, चिंताओं की परिस्थिति में भी देश को आत्मविश्वास दिलाया है, चिंताओं की परिस्थिति में भी कोरोना की स्थिति से देश को बाहर निकाला है और एक बार फिर से मोदी जी का नेतृत्व उभर कर सामने आया है। उन्होंने आज टीम इंडिया का जिक्र किया है। टीम इंडिया के जिक्र में सारे विपक्षियों के राज्य भी आते हैं। देश का प्रधान मंत्री कैसा हो, तो प्रधान मंत्री, मोदी जैसा हो, क्योंकि उन्होंने सारे राज्यों को, चाहे वे राज्य किसी भी पक्ष के हों, सबको साथ में लेकर चलेंगे, इस तरह का नारा दिया है। प्रधान मंत्री जी के इस वक्तव्य को लेकर हमारे विपक्षियों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे इस आर्थिक विनियोजन विधेयक के समर्थन में विपक्षियों को आगे आकर हमारा साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अभी कहा है कि जनता के दरबार में आपका कार्य दिख नहीं रहा है, इसलिए लालटेन लेकर आपको खोजने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, जिसे मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ:

*"यह भारत जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है,
यह एक जीता-जागता राष्ट्र पुरुष है।
हम जिएंगे तो इस भारत के लिए,
और मरेंगे तो इस भारत के लिए।"*

आज प्रधान मंत्री जी भी अपना खुद का जीवन समर्पित भावना से जी कर जिस प्रकार से गंभीर समस्याओं में भी हमारे देश को आगे लेकर जा रहे हैं, उसमें तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ रहा है। आइए, हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में हम सब जन मिलकर आगे बढ़ें। भारत माता की जय!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shri Masthan Rao Yadav Beedha.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to speak in support of the Appropriation (No.2) Bill, 2026. Under the able leadership of honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, and honourable Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, India has sustained a stable and responsible fiscal framework ensuring sound public finances amidst uncertain global economic conditions.

Honourable Vice-Chairman, Sir, earlier, during the discussion, one of the Members of this House spoke rather negatively about the development in my State, Andhra Pradesh and the country at large. He spoke about limited education and employment outcomes in my State, Andhra Pradesh. I would like to remind him that on the auspicious occasion of Ugadi, our honourable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu *garu*, fulfilled his promise by releasing the State Job Calendar, announcing 10,060 jobs. This reflects a Government that not only makes promises but delivers on them with clarity and commitment. On education, some baseless remarks were made which do not reflect the ground reality. Andhra Pradesh today stands among the top-performing States under PM-Vidyalaxmi, ranking third. Sir, concerns were also raised regarding farmers not receiving adequate support. I would like to place on record that under the leadership of our honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, and honourable Andhra Pradesh Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu *garu*, several concrete steps have been taken for farmers' welfare. Chillli farmers, for instance, received major relief with an MSP of Rs. 11,781 per quintal under the Market Intervention Scheme, enabling procurement of 2.58 lakh metric tons in 2024–25. The Annadata Sukhibhava Scheme has provided Rs. 7,000 directly to 47 lakh farmers as a part of an annual Rs. 20,000 support system. Sir, questions were also raised about infrastructure and accountability. I would like to draw the attention of this House to the Polavaram Project, a critical national irrigation project that suffered severely due to poor execution between 2019 and 2024. While the previous administration stalled progress, our Government, under the leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu, is committed to reviving and completing key projects with accountability and focus, ensuring that the people of Andhra Pradesh finally receive the benefits they were promised. Sir, under the leadership of the Andhra Pradesh Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu, the Andhra Pradesh Government, under the NDA, has delivered its flagship "Super Six" initiatives. They are: Free bus travel for women; Thalliki Vandanam, Rs. 15,000 annual support to mothers for children's education; Annadata Sukhibhava, Rs. 20,000 per year to farmers; Deepam 2.0, provision of three free gas cylinders; enhanced pensions from

Rs. 3,000 to Rs. 4,000; and completion of teacher recruitment within 15 months. Under the leadership of our honourable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu *garu*, Andhra Pradesh is progressing towards the vision of Swarna Andhra and Viksit Aatmanirbhar Bharat, 2047. With these words, I support the Appropriation Bill, 2026. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shri Satnam Singh Sandhu.

श्री सतनाम सिंह संधू (नामनिर्देशित): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे The Appropriation (No.2) Bill, 2026 पर बोलने का समय दिया गया है। सर, मैं The Appropriation (No.2) Bill, 2026 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बिल विकसित भारत की यात्रा में एक माइलस्टोन है, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह बजट उस व्यापक दृष्टि को साकार करता है, जो भारत को तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर कर रही है। वर्ष 2013-14 में देश का बजट केवल 16.65 लाख करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 53.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

वाइस चेयरमैन साहब, हमने कल शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी के शहीदी दिवस पर उन्हें नमन किया। मैं उस धरती से आता हूँ, जहाँ से शहीद भगत सिंह जी का जन्म हुआ और उनकी फांसी के समय की कुछ पंक्तियाँ हैं, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की ओर से लिखी गई हैं:

"मेरा रंग दे बसंती चोला,
माँ ए रंग दे बसंती चोला।
जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे,
जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे।
आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला,
मेरा रंग दे बसंती चोला।
दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है,
एक बार इस राह पे चलना, सौ जन्मों के समान है।"
"देश के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला
मेरा रंग दे बसंती चोला।
बड़ा ही गहरा दाग है यारो, जिसका गुलामी नाम है।
उसका जीना भी क्या जीना, जिसका देश गुलाम है।
वीर वही संगीन के आगे जिसने सीना खोला,
मेरा रंग दे बसंती चोला।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के लिए कितने बड़े पैरोकार थे? उनकी कलम इस बात की गवाही देती है कि उनका सपना एक ऐसे भारत का निर्माण करना था, जो आत्मनिर्भर हो, स्वाभिमानी हो और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला हो। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले बारह सालों में देश इसी दिशा में आगे बढ़ा है। आज का यह बजट उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक और मज़बूत कदम है। शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह ने colonial कानूनों के नेचर को चुनौती देते हुए कहा था कि, 'The law is for man, not man for the law.' उनका स्पष्ट मानना था कि अंग्रेजों के बनाए कानून न्याय नहीं, बल्कि भारतीयों को नियंत्रण करने का माध्यम थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद भी दशकों तक वही अंग्रेजी कानून भारत पर लागू रहे। कांग्रेस की सरकारों ने सत्ता तो संभाली, पर colonial mindset को बदलने का साहस नहीं किया। आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह जी के उस क्रांतिकारी विचार को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है।

महोदय, पिछले ग्यारह वर्षों में 1,600 पुराने कानून समाप्त किए गए हैं, जो अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक थे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जैसे colonial ढांचे को भारतीय न्याय संहिता में बदला गया। जो काम कांग्रेस दशकों में नहीं कर पाई, उसे आज citizen-centric Indianised justice system के रूप में लागू कर शहीद भगत सिंह जी के विजन को वास्तविक रूप में लागू किया गया है।

सर, शहीद भगत सिंह जी ने केवल अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती ही नहीं दी थी, बल्कि उसके प्रतीकों और मानसिकता को भी जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया। राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दिया। एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर श्री सी. राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा को लगाया गया। India Gate Canopy पर किंग जॉर्ज V की विरासत को समाप्त कर सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य प्रतिमा लगाई गई। यह एक सच्चाई है कि आज़ादी के बाद उन सपनों को पूरा करने में दशकों की देरी हुई है। 'गरीबी हटाओ' के नारे लगे। 1967 में रोटी, कपड़ा और मकान की बात हुई और 1974 में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी फ़िल्म ने उस दर्द को परदे पर दिखाया। न रोटी मिली, न कपड़ा मिला, न मकान मिला, लेकिन मनोज कुमार जी की फ़िल्म रोटी, कपड़ा और मकान खूब चली, क्योंकि उसमें लोगों का दर्द था। कांग्रेस ने सपनों का व्यापार किया, लेकिन जमीनी हकीकत में सिर्फ निराशा और संघर्ष दिया। वादा तो मकानों का किया गया था, लेकिन बढ़ गई झुग्गी-झोंपड़ियां। 1981 से 2011 के बीच देश में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाली आबादी 135 परसेंट बढ़ी है। झुग्गी-झोंपड़ी बनने का अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। ये बढ़कर सात करोड़ हो गई। 2014 के बाद देश ने एक नई दिशा पकड़ी है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नीयत भी बदली है, नीति भी बदली है और परिणाम भी बदलने लगे हैं। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत पांच करोड़ से अधिक घरों को सैंक्शन किया गया। अब गरीब केवल छत के नीचे नहीं रहता, बल्कि अपने सपनों के साथ जीता है। इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम रोटी का मामला जो बोला गया था, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त

राशन दिया जा रहा है। यह योजना सरकार की उस संवेदनशीलता का प्रमाण है, जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं पंजाब से आता हूँ और 'Punjab is not just a state, it is the spirit of India', इस बजट में पंजाब के लिए 5,421 करोड़ रुपये से अधिक का रेल निवेश रखा गया है और पिछले 12 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के National Highways के विकास का बजट रखा गया है। केंद्र सरकार ने पंजाब के विकास लिए पूरी प्रतिबद्धता दर्शायी है। आज पंजाब की तस्वीर बदल रही है। पंजाब में नेशनल हाईवेज, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ हमारे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है।

चेयरमैन सर, पंजाब का किसान देश की रीढ़ है और उसने foodgrains में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार ने हर साल MSP में record growth दर्ज कराई है। किसानों के लिए MSP procurement 214% बढ़ा है। जो MSP 2013 में 1.06 लाख करोड़ रुपये था, वह बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके साथ ही पंजाब में AIIMS भटिंडा, IIM अमृतसर और होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों की स्थापना ने पंजाब को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 1984 के दंगों के दोषियों को सजा दिलाना भी इस सरकार की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है कि न्याय देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। पंजाब ने अपने इतिहास में कई गहरे जख्म सहे हैं। Operation Blue Star का दर्द आज भी लोगों के दिलों में है। जहाँ अपने ही देश की आर्मी ने, अपने ही देश के उस मुक्कदस मुकाम को, जिसके दरवाजे चारों वर्णों के लिए खुलते हैं, जहां हर कम्युनिटी के लोग जाकर नतमस्तक होते हैं, जहां संतों की बाणी दुनिया भर में गूंजती है। हर धर्म के संतों की बाणी जिस गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, उस पवित्र धाम को आर्मी ने टैंको और तोपों के साथ ढहाने का पाप किया था।

सर, पंजाब पर 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज, किसानों पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज और लगातार गिरता हुआ groundwater level - ये सभी हमें याद दिलाते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह आर्थिक चुनौती तो है ही, साथ ही सामाजिक अस्तित्व को भी चुनौती देता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम केवल समस्याओं की बात न करें, बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, पंजाब में narco-terrorism और drug trafficking की बढ़ती गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने Roadmap for Drug-Free India (2026-2029) के तहत एक three-year action plan शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह इस चुनौती को जड़ से खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मैं इसके लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश में होम और कॉर्पोरेटिव मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में cooperative क्रांति चल रही है। आज देश में 8.5 लाख से अधिक cooperative

societies कार्य कर रही हैं और इससे लगभग 30 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। यह नेटवर्क भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देता है। मेरे गृह राज्य पंजाब में cooperatives का गौरवशाली इतिहास रहा है, जो करीब डेढ़ सौ साल पुराना है। पंजाब में, गाँव की आम ज़मीन को control करने के लिए 1891 में cooperative lines पर एक society की शुरुआत की गई थी। डिप्टी चेयरमैन साहब, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज पंजाब के MILKFED, MARKFED और Punjab State Cooperative Bank जैसे पंजाब के cooperative institutions ने देश में सफलता की नई मिसालें कायम की हैं। Union Budget 2026-27 इस सहकारी आंदोलन को और मजबूती देता है। सबसे पहली बात यह है कि इस बजट में primary cooperative societies के लिए income tax deduction को विस्तार दिया गया है। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर cattle feed और cotton seed तक भी लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण कदम है - inter-cooperative dividend income पर deduction की अनुमति। अब यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि cooperatives के बीच प्राप्त dividend income पर double taxation न हो, और इसका लाभ सीधे सदस्यों तक पहुँचे। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय है नोटिफाइड नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन को तीन वर्षों तक डिविडेंड इनकम पर एग्जेम्प्शन देना। इससे कोऑपरेटिव फेडरेशंस की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी और पूरा कोऑपरेटिव इकोसिस्टम सशक्त होगा।

वाइस चेयरमैन सर, विकसित भारत - जी राम जी की परिकल्पना इस बजट में ग्रामीण भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँवों के इन्फ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, सैनिटेशन और वाटर सिविलिटी को एक साथ मजबूत करना है। इस मिशन के तहत, सरकार ने 95,692 करोड़ का प्रावधान किया है, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। साथ ही, मनरेगा, जो पुरानी स्कीम है, उसके लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया।

वाइस चेयरमैन साहब, इस मिशन के अंतर्गत वॉटर बॉडीज़ की कंज़र्वेशन पर विशेष जोर दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब में गिरता हुआ ग्राउंड वाटर का स्तर हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। खास करके, पंजाब के ग्रामीण इलाके में जो पॉड्स हैं, जिन्हें हम छप्पड़ बोलते हैं, वे हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन कर उभरे हैं। मुझे लगता है कि वीबी - जी राम जी योजना पंजाब के लिए वरदान साबित होगी। **...(समय की घंटी)...** वाइस चेयरमैन साहब, आज का यह बजट फार्म टू फोर्क वैल्यू चेन को मजबूत करने वाला है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 4,061 करोड़ का एलोकेशन यह दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार वैल्यू एडिशन पर ध्यान दे रही है। यह सेक्टर आज किसानों की आय बढ़ाने, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को कम करने और गाँवों में रोजगार पैदा करने का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। **...(समय की घंटी)...** प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट का हिस्सा 13.7 परसेंट से बढ़कर 20 परसेंट से अधिक हो जाना यह साबित करता है कि भारत अब ग्लोबल फूड बास्केट बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वाइस चेयरमैन सर, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Next speaker is Shri Raghav Chadha, not present. Then, the next speaker will be Shri Sat Paul Sharma.

श्री सत पाल शर्मा (जम्मू-कश्मीर): उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे आज इस Appropriation (No. 2) Bill, 2026 के समर्थन में खड़ा होने का मौका दिया है। मान्यवर, यह बिल खर्च करने के अधिकार को लेकर पारित हो रहा है। बजट के बाद सरकार के माध्यम से अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर, अलग-अलग मुद्दों को लेकर, जहाँ भी यह राशि आवंटित की गई है, उसके खर्च को लेकर -- नॉमिनल जीडीपी का 357.14 लाख करोड़ तक पहुंचना और 686 बिलियन डॉलर्स के विशाल मुद्रा भंडार का संचय 2047 के विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। विकसित भारत के लिए ऐसा वातावरण आवश्यक है, जिसमें हम लोग विकेंद्रीकरण, वोकल फॉर लोकल और घरेलू विकास से समझौता किए बिना बाहरी प्रेशर, बाहरी झटकों को सहन कर सकें। आर्थिक स्थिरिकरण कोष (ईसीएस) 57,381.84 करोड़ का है। यह कोष सुनिश्चित करता है कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर रहे और रहनी भी चाहिए। जब हम लोग 2047 के रोडमैप की बात करते हैं, तब हम विकसित देशों की श्रेणी में भारत के सर्वप्रथम रहने की बात करते हैं। आज यह सपना मात्र प्रधान मंत्री जी का ही नहीं है, बल्कि सभी भारतीयों का बन चुका है। हर कॉर्नर पर जो भी भारतीय हैं, जो देशभक्त हैं, जो इस देश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, उन सबके मन में यही है कि जब 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तब विकसित देशों की श्रेणी में होगा। 2047 का रोडमैप मात्र इसी सिद्धांत पर बना है कि विकास सार्वभौमिक और समावेशी होना चाहिए और इस बजट का एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2, जिसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वह उसकी तरफ अग्रसर है, यह सरकार की नीतियों से स्पष्ट है। सरकार ने इन नीतियों को स्पष्ट किया है। यह हमने माननीय मंत्री जी की स्पीच के माध्यम से देखा था और प्रधान मंत्री जी के आज के भाषण में भी सीधे तौर पर देश की नीतियां स्पष्ट हैं और सरकार की नीतियां भी स्पष्ट हैं। आज इन्हीं नीतियों के चलते 7 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की गई है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। हम 1984 की बातें करें, तो उस समय देश में एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी थी और वह देश की सर्वप्रथम पोलिटिकल पार्टियों में से एक थी, लेकिन आज के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, उनका एक ही नारा था कि गरीबी हटनी चाहिए और गरीबी को हटाते-हटाते उन लोगों ने देश में इतने गरीब बना दिए कि देश के प्रधान मंत्री जी को - कोरोना के समय के वातावरण को हम सब जानते हैं - 80 करोड़ गरीब जनता के लिए राशन भी उपलब्ध करवाना पड़ा था। आज सरकार की नीतियां के चलते 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है।

मान्यवर, मैंने देखा कि हर ऑनरेबल मेम्बर अपने प्रदेशों के संबंध में उनके कार्यकाल में जो कुछ नहीं हुआ था, उसके बारे में और पिछले कार्यों की त्रुटियों के बारे में बता रहे थे। जल-जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ घरों को नल के माध्यम से जोड़ा गया है। मुझे ध्यान है कि जब मैं जम्मू-कश्मीर में विधायक बना था, उस वक्त वहां भी पानी की समस्या थी। उन दिनों में भी हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के ध्यान में लाते थे कि यहां पर हर जगह पर पानी की समस्या है और देश के प्रधान मंत्री जी ने यह मन में विचार बनाया कि अब देश भर में लोगों को किसी

किस्म की समस्या नहीं होगी। पहाड़ी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर पानी पहुंचना दूभर है। वहां पर नल का पहुंचना बहुत दूभर है। वहां पर कुएं नहीं खोदे जा सकते हैं। ऐसे समय में लगभग 13 करोड़ घरों को नल के माध्यम से पानी से जोड़ा गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से 13 करोड़ घरों को पानी उपलब्ध हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारी मातृ शक्ति के लिए पूरे देश भर में एक अच्छा वातावरण बनाया गया है। पहले मातृशक्ति को रात्रि का इंतजार करना पड़ता था और ऐसे-ऐसे क्षेत्र और गांव होते थे, जहां पर टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। लोग उनको बनाने में अक्षम थे। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। इनको इज्जत घर का नाम दिया गया है। खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर गरीब लोगों के लिए शौचालयों का निर्माण करना बहुत मुश्किल होता था, तो अब 12 करोड़ से भी ज्यादा अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है।

पीएम आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है। मुझे ध्यान है कि किसी एक प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास योजना थी। एक-एक पंचायत में एक-एक मकान के लिए भी लड़ाई होती थी। एक सरपंच होता था, उसके साथ 8-10 या 11-12 पंच होते थे। अगर किसी को दो मिलते थे या तीन मिलते थे, तो उन सबके बीच में लड़ाई होती थी कि कौन एक घर को बनवाएगा और कौन दूसरे घर को लेगा, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, पीएम आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ करोड़ घरों का निर्माण करवाकर गरीब लोगों को स्थाई आसरा प्रदान किया गया है। यह सब अगर संभव हुआ है, तो यह डीबीटी प्रणाली के माध्यम से हुआ है। एक समय 1986 में ऐसा भी था कि उस समय के प्रधानमंत्री जी ने बिहार में भाषण देते हुए कहा था कि मैं ऊपर से 100 रुपये भेजता हूं, यह समाचार पत्रों में वर्णित है कि उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपये भेजता हूं...

4.00 P.M.

यह ठीक है, उन्होंने कहा होगा कि मैं सौ रुपए भेजता हूं, तो 15 पहुंचते हैं और 85 बीच में चले जाते हैं। उन्होंने अपने दिल की बात कही होगी, मन की बात कही होगी। लेकिन आप सोचिए कि उस वक्त सरकार की क्या परिस्थिति थी। कारण यह था कि उस समय डीबीटी नहीं था। कारण यह था कि सीधे तौर पर पैसा नीचे जाता था और वह धीमे-धीमे ऐसा खुरद-बुर्द होता था कि 85 रुपए दलालों की जेब में चले जाते थे और मात्र 15 रुपए पहुंचते थे। लेकिन मान्यवर, आज की परिस्थितियां अलग हैं। आज सौ रुपए ही चलते हैं और डीबीटी के माध्यम से सौ रुपए ही लोगों के खाते में जाते हैं। इस डीबीटी के माध्यम से आज तक लाभार्थियों के खाते में 43.45 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, यह ठीक है कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति सोचता है कि मुझे खाने को क्या मिलेगा, लेकिन आप सोचिए कि वह सिर्फ इस माध्यम से भी प्रफुल्लित है कि वह उच्च विकास वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकता है।

मान्यवर, कभी जनधन योजना के माध्यम से खाता खोलना मुश्किल होता था। जो आम गरीब गृहिणी थी, वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बैंक में मेरा खाता खुलेगा, लेकिन बैंक में खाते खुले और डीबीटी के माध्यम से उनके ही खाते में पैसे पहुंचे। कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि उनके खाते में तीन बार 500-500 रुपए आए। यह अपने आप में दर्शाता है कि देश के प्रधान मंत्री जी जो पारदर्शिता चाहते थे, उन्होंने कहा था कि 'न खाएंगे, न खाने देंगे', हमने इस डीबीटी के माध्यम से उसी की तरफ काम किया।

मान्यवर, एमएसएमईज़ का सशक्तिकरण होना, यह भी भारत के विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मात्र बड़ी इंडस्ट्री का लगना ही अपने आप में यह नहीं कहता कि हम लोग किस दिशा की तरफ अग्रसर होते हैं। छोटी इंडस्ट्री, लघु उद्योग, ये भी अपने आप में जब काम करते हैं और जब बड़े पैमाने पर काम करते हैं, तो मान कर चलिए कि देश सशक्तिकरण की दिशा में जाता है। अगर भारत विकसित देशों की श्रेणी में इसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, तो मान कर चलिए कि एग्रिकल्चर के बाद एमएसएमई ही एक हमारा सेक्टर है, जो इस देश को आगे की दिशा की तरफ ले जा रहा है।

मान्यवर, इसी तरह से कृषि की तरफ बढ़ता हुआ हमारा कदम है। 14.27 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण कृषि को व्यावसायिक बनाने की दिशा की तरफ एक आवश्यक कदम है। जब हम लोग कहते हैं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो उसमें कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को लेकर उर्वरक स्टॉक को 26 प्रतिशत बढ़ाया गया। एक समय ऐसा था कि जब इसकी परचेज़ के लिए भी लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था। पूरे देश में एक ऐसा वातावरण क्रीएट हुआ था कि बड़े लोगों को ही ये चीजें उपलब्ध होती थीं। इसको 26 प्रतिशत बढ़ा कर 163 लाख मीट्रिक टन किया गया है। कृषि उत्पादकता को उच्च बनाने की प्रक्रिया की तरफ यह एक बहुत बड़ा कदम है। हम लोग यहां पर इसको इस्तेमाल करने के साथ ही अगर हम पूरे विश्व में भी इसको सप्लाय करना चाहेंगे, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे छोटे देश हैं, जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। इससे विश्व बंधु की भूमिका में भी भारत अग्रणी रहेगा, मेरा ऐसा मानना है।

मान्यवर, इसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। विकसित राष्ट्र वही है और वही राष्ट्र विकसित बन सकता है, जो अपने हितों की रक्षा कर सकता है, क्योंकि जो अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता, अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता, वह किसी भी तरीके से एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। रक्षा के लिए 26,236 करोड़ और ईसीएचएस के लिए 6,144 करोड़ राष्ट्रीय शक्ति के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। कारण यह है कि देश की रक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। सीमाओं की रक्षा करने वाले, सीमा पर कार्य करने वाले हमारे प्रहरी, ये वे लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। क्या उनके लिए सरकार कुछ कर सकती है, इस सरकार ने इस बजट के माध्यम से यह काम भी किया है। पूर्व सैनिकों का सम्मान भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मैंने पहले भी कहा कि कोई समय ऐसा था कि इन लोगों ने सीमा पर प्रहरी बन कर हमारी रक्षा की थी। आज की परिस्थितियां अलग हैं। आज की परिस्थितियों में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश सीधे तौर पर आगे बढ़ रहा है। अगर हम कहें, तो कोई ऐसा भी

समय था, जब हम लोग विश्व में आर्थिक दृष्टि से भी और अपने आपको बचाने की दृष्टि से भी कहीं आगे नहीं थे। ऐसे समय में भी उन सैनिकों ने जिस तरीके से हमारे देश की रक्षा की है, तो उनका सम्मान भी भारत सरकार की प्राथमिकताओं में है और जिन लोगों ने उस वक्त में काम किया है, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, सरकार ने अपनी इस पहल में रखा है। इसके लिए भी मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ।

महोदय, निरंतर आर्थिक विकास और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के नाते मोदी सरकार ने स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और मध्यम मुद्रास्फीति सुनिश्चित की है। 7 प्रतिशत का विकास दर और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ, भारत fragile five से निकलकर एक मजबूत स्थिति में आया है। जब मैं वर्ष 2026-27 के debt और GDP ratio की बात करता हूँ, तो यह 55.6 प्रतिशत तक अनुमानित है, जिसे 2031 तक 50 प्रतिशत के लक्ष्य की तरफ लाया जा रहा है।

[उपसभाध्यक्ष (डा. मु. तंबी दुरै) पीठासीन हुए।]

महोदय, इस बजट के माध्यम से fiscal deficit की हम लोग बात करते हैं। 2025-26 तक यह अनुमानित था कि सरकार इसे 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने की तरफ काम करेगी। इसके बारे में लगभग 3 वर्ष पूर्व बजट के माध्यम से विचार किया गया था, लेकिन आज fiscal deficit 4.3 प्रतिशत पर आया है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मानते हुए, राज्यों का 41 per cent vertical devolution बरकरार रखा गया है।

मान्यवर, मैं कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर अपनी बात कहना चाहूंगा, जिनमें राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए किया जाएगा। मैं कुछ बड़े बिंदुओं पर क्रमवार अपनी बात कहना चाहूंगा, जिनके लिए इस बजट के माध्यम से एक बड़ी अमाउंट आवंटित की गई है। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देखें, तो 2.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि कृषि और 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। यह राशि किसानों को सीधे लाभ देने, उर्वरक सहायता, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण सड़कों और आवास योजनाओं में उपयोगी होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन में कमी आएगी। हम लोग देखते हैं कि लोग गांवों से शहरों की तरफ अग्रसर होते हैं। देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि किसी न किसी तरीके से किसान की आय को हम लोग डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, तो ऐसे समय में यह उसकी तरफ ही बढ़ता हुआ कदम है कि किसानों को उनका हक मिले। किसान जो काम करते हैं, उसके मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक उनको हक मिले, इसी के लिए इतना बड़ा बजट आवंटित किया गया है, जिसको इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से खर्च किया जाएगा।

मान्यवर, खाद्य सुरक्षा के लिए 2.35 लाख करोड़ से भी अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि गरीबों को मुफ्त या सस्ती दरों पर अनाज मिलता रहे। यह राशि भंडारण, परिवहन और वितरण प्रणाली को भी मजबूत करेगी, जिससे खाद्य आपूर्ति सुचारू रहेगी। यह बात हम सबके ध्यान में है कि उस समय देश भर में कैसा वातावरण बना था, जब गरीब को खाने के लिए अन्न नहीं था, क्योंकि काम नहीं था। उस वर्ष जो एक साल की

प्रक्रिया रही, तो अब मान कर चलिए कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने उस वक्त भी कहा था और पूरे देश भर में एक ऐसा वातावरण बना था कि लोग खड़े हुए थे, सरकार खड़ी हुई थी और 80 करोड़ गरीब जनता को खाने को अन्न मिला था। उसी की तरफ उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है, जो आज की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश हमेशा से रहे हैं, हमारे दाएं-बाएं ऐसे ही देश हैं, जिनसे हमारी सीमाओं को लगभग हमेशा खतरा रहता है। चाहे वह लद्दाख बॉर्डर की तरफ चाइना हो या हमारे जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ राजस्थान और गुजरात के साथ सटता हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र हो, ये ऐसे देश हैं, जो कभी नहीं चाहते कि भारत वर्ष की सीमाएं सुरक्षित हों। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय कैसा वातावरण यहां पर क्रीएट किया गया। पाकिस्तान के साथ 90 घंटे का युद्ध चला। हालांकि इस 90 घंटे के युद्ध में ही पाकिस्तान घुटनों के बल आया। हमें हमारे क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता है। चूंकि मैं बॉर्डर से संबंधित हूँ और मुझे ध्यान है कि इस बॉर्डर पर हमारे सैनिक किस तरीके से काम करते हैं। रक्षा क्षेत्रों में भारी निवेश करते हुए 3.63 लाख करोड़ से अधिक राजस्व और 2.19 लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। आज इसकी जरूरत है। जब हम लोग 'वोकल फॉर लोकल' की बात करते हैं, 'मेक इन इंडिया' की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ ही मैनुफैक्चरिंग की जाए, इसके लिए भी इस बजट के माध्यम से भारी निवेश का प्रावधान किया गया है। यह राशि आधुनिक तकनीक, रक्षा उपकरणों की खरीद और 'मेक इन इंडिया' के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने में उपयोगी होगी, जिससे देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रेलवे और सड़क निर्माण पर बड़ा निवेश किया गया है। यह राशि न केवल बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी, बल्कि निर्माण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करेगी और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगी, जिससे उद्योगों को लाभ मिलेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): There are other Members to speak, please conclude.

श्री सत पाल शर्मा: मान्यवर, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, लेकिन मुझे जम्मू-कश्मीर के विषय में भी संक्षिप्त में बोलने का मौका दिया जाए, जिसके लिए इस बजट के माध्यम से प्रावधान हुए हैं।

मान्यवर, देश को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन उस समय जम्मू-कश्मीर में हमलोग एक अनभिज्ञ स्थिति की ओर अग्रसर हुए थे, जब हमारे ऊपर धारा 370 थोपी गई थी। धारा 370 का दर्द हम लोगों को मालूम है। वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई शांति का माहौल नहीं था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद ...(व्यवधान)... ये वही लोग हैं, जिनके पूर्वजों ने हमारे ऊपर धारा 370 थोपा था। ...(व्यवधान)... आज के वातावरण में जब मैं बात करता हूँ, तो जम्मू-कश्मीर को 2026-27 के लिए 43,290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जब मैं मंत्री था, तो उस वक्त का हमारा बजट मात्र 18,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज प्रधान मंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 43,290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और होम अफेयर्स के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

मान्यवर, मैं बहुत-सी बातें करना चाहता था, चूँकि कम समय मिला है, इसलिए जितनी योजनाओं के बारे में मैंने कहा, उनके लिए हम प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए जो अच्छा वातावरण क्रिएट किया है, उसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे। मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ और मैं इसका समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): The next speaker is Shriman Ghanshyam Tiwari.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 'दि एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2026' पर बोलूँ, उसके पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी आज सदन में पधारे थे और वह ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने देश में 8,932 दिनों तक मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के पद पर रहने का एक अद्भुत रिकार्ड बनाया है, उसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह जो रिकॉर्ड बना है, उसका भी कारण है। श्रोताओं में एक हमारे श्रीमान् जयराम रमेश जी बैठे हैं, पर उसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रोता यदि ज्ञान निधि होता है, तो वक्ता को आनंद आता है। आप ज्ञान निधि के रूप में वहाँ विराजमान हैं, इसलिए मैं आपका भी स्वागत करता हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने आर्थिक मामलों के बारे थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। सब लोगों ने इसको, यानी विनियोग विधेयक को बार-बार 53.58 लाख करोड़ रुपए का बताया, जबकि 53.58 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। यह जो विनियोग विधेयक है, वह 162.85 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें दो प्रकार के व्यय शामिल हैं। इसमें पूंजीगत व्यय है, राजस्व व्यय है और भारित व्यय है। भारित, मतलब दत्तमत है और प्रदत्त है। इसमें कुछ charged expenditure शामिल है, लेकिन हम लोन की जो किस्त चुका रहे हैं, उसके 95 लाख करोड़ रुपये अलग से हैं। उसके ब्याज के 14.10 लाख करोड़ रुपये अलग से हैं और उन सबका विवरण इसमें दिया गया है। वह वित्तीय भार नहीं है, वह उधार से आएगा, इधर से आएगा और उधर चला जाएगा, लेकिन इस बिल में उसका भी पूरा विवरण दिया गया है, इसलिए यह एप्रोप्रिएशन बिल है। यह मैं पहली बात कहना चाहता हूँ।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि यह जो एप्रोप्रिएशन बिल है और जो बजट है, इसको हम किन-किन आधार पर देखें। इसका पहला काम यह है कि यह आम जनता के लिए एक लोक कल्याणकारी बजट हो। इसका दूसरा काम कमजोर वर्ग की सुरक्षा है। इसका तीसरा काम है - मजबूत आर्थिक आधार और चौथा काम है - नैतिक एवं अनुशासित शासन। यह हमको देखने की बात है। अगर हम इसको इन चार कसौटियों पर कसते हैं, तो हमको इसके बारे में पता लगता है। कौटिल्य का एक श्लोक है, जिसको बोलकर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ:

*"प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।
न आत्म प्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥"*

यानी, राजा का सुख, शासन करने वाले का सुख प्रजा के सुख में है और प्रजा के हित में ही उसका हित है। एक आदर्श कल्याणकारी राज्य वही है, जो आम जनता के हित को सर्वोपरि रखे। यह कौटिल्य का अमर वाक्य है और इस वाक्य को नरेन्द्र मोदी जी ने प्रमाणित किया है। उदाहरण के लिए, हम आर्थिक, राजस्व और महंगाई के मामले में देखें। हमारे मित्र, डांगी साहब ने जब अपने भाषण की शुरुआत की थी, तो उन्होंने गैस सिलेंडर लेने में लाइनें लगवा दी थी, उन सब पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पहले इस बात पर आना चाहता हूँ कि मोदी जी ने एक टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की है। उन्होंने आर्थिक क्रांति के साथ-साथ वैचारिक क्रांति भी की है। आज हम यहां बैठे हैं, यह संसद भवन बना है, यह राज्य सभा बनी है, यह लोक सभा बनी है। इसकी जो गैलरीज बनी हैं, उनको अगर हम देखेंगे, तो पता लगेगा कि हम आज इस लोकतंत्र के मंदिर में हैं। इसके पहले भारत में लोकतंत्र का क्या स्वरूप था, युग-युग में भारत किस प्रकार का था, उसका वर्णन इन गैलरीज में है। आज यदि कोई भारत की संसद देखने आएगा और भारत की संसद की गैलरीज को देखेगा, तो उसको पता लगेगा कि यह किस देश की संसद है। यह विचार, इस प्रकार की कल्पना करके इस संसद भवन का निर्माण किया गया है। जिस समय इस संसद भवन का निर्माण किया गया, उस समय उनके ध्यान में एक बात और भी रही कि चूंकि जो पुराना संसद भवन है, उसने संविधान दिया है, इसलिए उसको "संविधान सभा" का नाम दिया गया। इस तरह, उसका भी सम्मान रखा गया और यह भी सम्मानित हुआ। मैं यह चिंतन की बात बता रहा हूँ। उसी प्रकार, पहले जो राजपथ था, उस पर अंग्रेजों के किंग्स आते थे, इसलिए वह राज का पथ हो गया, लेकिन अब लोकतंत्र में जो जीतकर आए हैं, वे केवल राज करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वे प्रशासन चलाने के लिए आए हैं और वे कर्तव्य के पथ पर आते हैं, इसलिए उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। आज सुभाष बाबू की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक यह जो कर्तव्य पथ बना है, यह हमारे कर्तव्य को हमेशा याद दिलाता रहे, इस प्रकार की सोच के साथ वे चल रहे हैं। फिर, कर्तव्य पथ के साथ-साथ कर्तव्य भवन भी बना दिया गया। जब अधिकारी ऑफिस में बैठते थे, तो अफसर बनकर बैठते थे और वे सोचते थे कि हम अफसर हैं। भाई, आप अफसर नहीं, लोक सेवक हो, इसलिए आप कर्तव्य भवन में बैठो। आपको कर्तव्य करना है, काम करना है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए। हमेशा पीएमओ, पीएमओ बोला जाता था, जिसको अब "सेवा तीर्थ" कर दिया गया है। मैं यहाँ सेवा करने के लिए बैठा हूँ, इसलिए उसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया। यह एक टोटल रिवोल्यूशन है, सिर्फ एक काम ही नहीं हुआ है। आप दिल्ली का यह रिवोल्यूशन देखें — पहले नॉर्थ विंग और साउथ विंग थे, अब उनके सारे दफ्तर बदल गए हैं। प्रधान मंत्री जी का भी हो गया है, गृह मंत्री जी का भी हो गया है, सबका हो गया है और अब वह विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनेगा। वह होगा — “युगे युगेन भारते” — सतयुग से कलयुग तक जिस भारत के रथ की महिमा को कालचक्र मानता है, उस कालचक्र का पूरा विवरण “युगे युगेन भारत” में होगा। यह मोदी जी की सोच है। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत है, “स्वयमेव मृगेन्द्रता”। जंगल में जब शेर रहता है, तो वह स्वयं ही मृगों का राजा बन जाता है, लेकिन मैं इसको बदलकर कहना चाहता हूँ, “विक्रमार्जितकार्येषु स्वयमेव नरेन्द्रता।” अपने विक्रम से अर्जित कार्यों के कारण 8,932 दिन तक शासन करने का काम उनके कार्यों के कारण संभव हुआ है। इसलिए मैं उन्हें बधाई देते हुए अब विनियोग विधेयक पर आगे बढ़ना चाहता हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और दीर्घकालीन स्थिरता — ये तीन किसी भी अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत होते हैं। आर्थिक विकास होना चाहिए, सामाजिक कल्याण साथ-साथ होना चाहिए। अगर भारत सोने की चिड़िया हो, लेकिन गाँव का आदमी गरीब हो, तो वह सोने की चिड़िया किसी काम की नहीं है। इसलिए आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण भी चाहिए और दीर्घकालीन स्थिरता भी चाहिए, यानी ऐसा काम चाहिए जो लंबे समय तक चलने वाला हो और इसका एक छोटा-सा उदाहरण आपने देखा होगा। माननीय मोदी जी जब आए और जब वे बोल रहे थे, तो उन्होंने गंभीरता के साथ चुनौती भी स्वीकार की और गंभीरता के साथ सावधान भी किया। देश के हित में, राष्ट्र के हित में और विश्व शांति के हित में क्या करना चाहिए, उसका भी पूरा विवरण उन्होंने दिया।

अब मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा कि हमारे लोग कह रहे थे कि गैस की लाइन लग गई, गैस की लाइन लग गई। ऐसा कौन-सा देश है इस समय दुनिया में, जिसके तट पर अमेरिका का जहाज भी आकर खड़ा हो और रूस का जहाज भी आकर खड़ा हो और दोनों आकर कहें कि यह तेल भारत के लिए है? यह काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। अमेरिका का जहाज भी एलपीजी लेकर आया और रूस का जहाज, जो चीन जा रहा था, वह भी रास्ता बदलकर भारत आ गया। उस होर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज नहीं निकल रहा था, जबकि अपने 5 जहाज निकल कर आ गए हैं। यह काम वे इसलिए कर रहे हैं, ताकि भारत के आम आदमी को कोई तकलीफ न हो। यही काम शासन करने वाले का कर्तव्य होता है। उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि हम इसकी कमी नहीं आने देंगे। पहले 27 देशों से आता था, अब 41 देशों से खरीद रहे हैं। यह एक शासक का कर्तव्य होता है, वे उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर युद्ध लंबा चलेगा, तो कई समस्याएँ भी पैदा होंगी। वे समस्याएँ केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए पैदा होंगी। मैं एक छोटी-सी बात के माध्यम से आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब और ओमान पर, सब पर हमला किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि वे तेल और गैस उत्पन्न करने वाले देश हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त मीठा पानी नहीं है। इसलिए उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठा करके पीने के लिए संयंत्र लगा रखे हैं और ईरान ने उनको चेतावनी दी है कि अगर मेरे पावर प्रोजेक्ट्स पर हमला होगा, तो मैं तुम्हारे पीने के पानी के प्लांट्स को बंद कर दूँगा। जब उनका पानी नष्ट होगा, तो भारत में पेट्रोल-डीजल कहां से आएगा? इस बात की ओर भी उन्होंने ध्यान दिलाया। इसलिए मैं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि वे भी इन बातों को गंभीरता से सुनें। ये सारी बात कही। फिर उन्होंने कहा कि भारत के स्थान को बढ़ाव कर दिया। उन्होंने सबसे बात की। इजरायल से बात की, ईरान से बात की, सारे खाड़ी के देशों से बात की। एक बार नहीं, बल्कि दो बार बात की। पुतिन साहब से बात की और भारत की ध्वजा को ऊंचा रखने का काम किया। उनका मूल काम भारत की ध्वजा को ऊंचा रखने का था। उन्होंने वह काम किया। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो चिंतन है और चिंतन के आधार पर उन्होंने जो काम किया है, उसके आधार पर हम आर्थिक स्थिति को देखें। उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास पहले और उपभोग बाद में - इस नीति को इस बजट के और एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से आपको सोचना चाहिए।

दूसरा, आत्मनिर्भरता बड़ा प्वाइंट है। मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस पर सोचें। जब-जब कोई संकट आया है, तो चेंज लाना पड़ता है और खाड़ी का विषय, भारत के लिए चिंतन का विषय भी है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ कि इतना पेट्रोल लगता था, इतना डीजल लगता था। अभी भारत सरकार ने पंद्रह हजार इलेक्ट्रिक बसें खरीद कर सभी राज्यों को दी हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वह ईवी पर आ जाओ। भारत सरकार ने सारा ब्रॉड गेज की 90 परसेंट से 99 परसेंट ट्रेनों को इलेक्ट्रीफाई कर दिया, जिससे डीजल का, पेट्रोल का उपयोग कम हो गया। यह ईवी से कम हो रहा है। अब मैं अपील करना चाहूंगा कि पहले हम लकड़ी चूल्हे में डालकर खाना बनाते थे। फिर कोयले पर आ गए। फिर केरोसीन पर आ गए, स्टोव पर आ गए, एलएनजी पर आ गए, पीएनजी पर आ गए और अब समय आ गया है कि जब बिजली पर आना पड़ेगा। हमें इंडक्शंस के आधार पर काम करना पड़ेगा। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। कल कोई देश ही अपने खिलाफ हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए, तो मोदी जी ने इसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और इसलिए हमको भी इसको स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार से बिजली के लिए भी नया काम कर दिया। सोलर एनर्जी — ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ जैसे काम करें। ये सारी चीजें जब हमारे पास आएंगी, तो हम उस ओर बढ़ेंगे। उन्होंने यह दूसरा बड़ा काम किया। आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। आज इस बात को सोचने के बजाय, एक-साथ खड़ा होने के बजाय हमने कितना पैनिक क्रिएट किया। लोकसभा, राज्यसभा, कई विधानसभाओं में भी सिलेंडर ले-लेकर बैठ गए। जहां रोज पचास लाख सिलेंडर बुक होते थे, उस पैनिक के कारण से 95 लाख सिलेंडर बुक होने लग गए। एक पैनिक क्रिएट कर दिया। अभी बुक किया और अभी जाकर लाइन में लग गए। अरे भाई, पचीस दिन में तुम्हारा सिलेंडर आएगा, पैंतालीस दिन में तुम्हारा आएगा। इसके बारे में नहीं सोचा। अगर चार-पांच दिन इस बारे में सोच लेते, लेकिन अब वह काम फेल हो गया। खाली डिब्बा खाली बोतल, क्योंकि वह लाइन तो खत्म हो गई और वापस पचास लाख पर आ गए। इससे शॉर्ट टर्म का कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, पर देश का नुकसान हो जाता है। इसलिए राजनीतिक लाभ लेने के बजाय आज मोदी जी ने अपील की है कि हम सबको एक-साथ खड़ा होना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि सबको इस समय एक-साथ खड़ा होना चाहिए। यही आज की राष्ट्रीय आवश्यकता है और यह इसका संदेश है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से क्या-क्या काम किए हैं? गैर-महंगाई वाली वृद्धि - जीडीपी बढ़े, अर्थव्यवस्था बढ़े, लेकिन महंगाई नहीं बढ़े, इस मूल सिद्धांत पर सरकार चली है। आज आस-पास के देशों को देखिए। मैं उनकी तुलना नहीं करता, लेकिन श्रीलंका ने तीन दिन का सप्ताह कर दिया। पेट्रोल, डीजल इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान ने पहले 55 रुपये बढ़ाए, फिर 20 रुपये और बढ़ा दिए। बर्मा की यह हालत है, नेपाल की यह हालत है। अभी वहाँ चीन में ईरान से आ रहा है। उन सभी की हालत खराब है, लेकिन उस परिस्थिति में, जो चारों तरफ कांटे बिछे हुए हैं, उनमें भारत को कमल के फूल की तरह से जिस प्रकार से खिलाकर रखा गया है, वे परिस्थितियां यहाँ नहीं लाने देंगे — मोदी जी ने यह काम किया है। यह लोटस इसीलिए है। मैं कह रहा था कि जीडीपी का लक्ष्य है - 7 परसेंट। हमारा वह प्राप्त हो रहा है। उसके साथ ही महंगाई नियंत्रित है, जो 4.4 - 5 परसेंट के बीच में है।

अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि अगर 9 से नीचे इन्फ्लेशन रहता है, तो देश की आर्थिक नीति बिल्कुल ठीक है। भारत की आर्थिक नीति बिल्कुल ठीक है कि 4 और 5 के बीच में महंगाई की दर रहती है। यह है मोदी जी का काम।

महोदय, बजट का जो सबसे बड़ा सूचकांक है, वह राजकोषीय घाटा है। वह जीडीपी का कितना होना चाहिए? हमारे यहाँ एफआरबीएम एक्ट भी बना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जीडीपी के साथ-साथ राजकोषीय घाटा 4.3 की दर पर है। इससे बढ़िया कोई राजकोषीय नियंत्रण नहीं हो सकता। सरकार ने वह किया है। आप आगे चलकर ऋण और जीडीपी का अनुपात देखिए। अगर ऋण में और जीडीपी के अनुपात में 50 परसेंट है, तो 2030 तक हमारी घोषित नीति के आधार पर उसको 50 परसेंट तक लाने का काम होना है। जिस दिन, 2030 तक यह काम हो गया, उस दिन भारत विश्व की तीन बड़ी आर्थिक शक्तियों में समाहित हो जाएगा। इस बजट का एक काम यह है और हम उस ओर चल रहे हैं। ज्यादा रोजगार, काम और विकास होता है पूंजीगत व्यय से। इस साल के बजट में, अप्रोप्रिएशन बिल में हम जो रुपए दे रहे हैं, वे 12 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सरकार एक साल में खर्च करेगी। इतना बड़ा काम करना है और यह इस बजट और अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से होना है। इसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय विकास को बल देना है। यानी, हमारा जो मूल ढांचा है, अर्थव्यवस्था उस ढांचे को मजबूत करती है और वह सबसे बड़ा काम होता है, जो इसमें रखा गया है। इसका जो पहला प्वाइंट है, जो आर्थिक है, मैं वह आपको बताना चाहता हूँ।

महोदय, मैं दूसरी बात पर आता हूँ। दूसरी बात बाहरी स्थिरता की है। जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है, उसमें हमारी क्या स्थिति है? अगर हम उसमें जाएंगे, तो मजबूत विदेशी मुद्रा का भंडार है। हमारा 800-900 अरब डॉलर के करीब विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। जिसमें अगर हम एक्सपोर्ट भी नहीं करें और लड़ाई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 5-6 महीने तक पेमेंट करने का सामर्थ्य भारत के पास है। ऐसी विदेशी मुद्रा की स्थिति है, हमारे पास ऐसा फॉरेन रिजर्व है और यह हमारी अर्थव्यवस्था के कारण है।

महोदय, इस बार का जो बजट है, इसमें जो घाटा होगा, वह 2.3 परसेंट है। सरकार ने यह एक बहुत बड़ा काम आर्थिक रूप से तय किया है। सेवाओं का निर्यात — मैं इस पर कहना चाहूंगा कि हमें जो पैसे आते हैं, हमारे जो लोग बाहर जाते हैं — वह भी बहुत बड़ा काम है। माननीय मोदी जी ने आज कहा भी है कि हमारे 1 करोड़ लोग, जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनमें से 3,75,000 लोगों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है और बाकी को ला रहे हैं। यह बड़ा काम हुआ है। जो सेवाओं का निर्यात है, वह 387 अरब डॉलर का है। यह बहुत बड़ा काम है। हमारी जो विदेशी मुद्रा की आय है, उसमें यह सबसे बड़ा काम है, जो हमें इस बजट में, इस अप्रोप्रिएशन बिल में साफ दिखाई दे रहा है।

महोदय, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हमारी रणनीतिक उद्योगों में भागीदारी है। हमने आगे चलकर क्या काम किये हैं? हमने और बहुत-से चेंज किये हैं। हमने रेल कॉरिडोर, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डे आदि पर काम किया है। परिवहन, यातायात और आवागमन

अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से मजबूत करते हैं। ये रोजगार बहुत उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए, मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कहना चाहूँगा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप गाँव में जाओ, जिस गाँव का बस स्टैंड है, वहाँ आपको 20-25 दुकानें सड़क के किनारे मिल जाएंगी। रोड ग्रामीण विकास का, ग्रामीण रोजगार का बहुत बड़ा पहिया है, इसलिए इस रोड पर इतना काम किया जा रहा है। रेल कॉरिडोर, मालवाहक कॉरिडोर और जलमार्ग की परियोजनाएं - इनमें हमारा बहुत काम हो रहा है।

महोदय, हमारा एफडीआई एक ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का बहुत बड़ा आधार है। गैर-पेट्रोलियम निर्यात 374.1 अरब डॉलर का हो गया है। यह हमारी निर्यात की वृद्धि है। आयात में 50% कमी हुई है और निर्यात में वृद्धि हुई है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 38 अरब डॉलर का हो गया है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब सरकार की बातों की चर्चा करें, तो यह दशक सामरिक ही नहीं, सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि मोदी जी का यह दशक आर्थिक आधार पर भी उड़ान भरने का है। उन्होंने इतने काम किये हैं। अब आप देखिए कि यह सारा काम तो हुआ, लेकिन इन्हें चलाने वाली संस्थाओं में संस्थागत सुधार होना जरूरी था। संस्थागत सुधार के लिए सबसे पहला काम यह किया कि नौकरशाही में निर्णय लेने की गति को बढ़ाया। यह फाइलें इधर-उधर फिरती थीं। फाइलों के बारे में एक कहावत चलती थी कि भाई, इस पर कुछ बोझ रखोगे न तो फाइल आगे चलेगी, मतलब इसमें कुछ रुपया-पैसा, कुछ कमीशन रख दो, तब फाइल आगे चलेगी, लेकिन अब ये फाइल बिना कमीशन के ही चल रही है। महोदय, जवाबदेही और साहसिक निर्णय क्षमता मजबूत करना। मोदी जी ने बहुत साहसिक निर्णय लिए हैं, एक के बाद एक साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्हें गिनाने का समय नहीं है। मैं आज आर्थिक मामलों पर चर्चा कर रहा हूँ। ये सारे निर्णय प्रशासनिक ढांचे से लिए गए हैं।

महोदय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग लाइफ के लिए जन विश्वास कानून लाया गया। जन विश्वास कानून में इतने संशोधन कर दिए कि दो जन विश्वास कानून आ गए। उसमें आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। मैं उन पर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसमें परिवर्तन किए हैं। कुछ वन विभाग के ऐसे कानून थे, जिनमें यह था कि एक बकरी या भेड़ किसी आरक्षित जंगल में घुस गई, तो बेचारे किसान उसे वापस ले आते थे। इसके लिए तीन महीने की सजा होती थी। अब उन सबको हटा दिया गया है। इसमें जो क्रिमिनलाइजेशन का प्रावधान था, अब उसे आर्थिक जुर्माने के आधार पर करने का काम किया है।

महोदय, टैक्स की अवधारणा को बदल दिया। अब नया इनकम टैक्स का कानून आ गया है, जिसके अंतर्गत अब फेसलेस काम हो रहा है। मैं रिटर्न भर रहा हूँ, तो मेरी रिटर्न किसके पास जाएगी और उस पर निर्णय कौन लेगा, यह आयकर भरने वाले को भी पता नहीं है और आयकर का निर्णय लेने वाले को पता नहीं है कि मैं किसके आयकर का निर्णय ले रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि मेरे आयकर का निर्णय कौन लेगा। इस प्रकार के बहुत से काम किए गए, जिनका परिणाम हुआ कि आयकर की सारिणी भरने वालों की संख्या बढ़ गई, आयकर देने वालों की संख्या बढ़ गई और यह काम बहुत बड़ा हुआ। इसी प्रकार का टैक्स सुधार जीएसटी में भी कर दिया। उसे गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे थे, जबकि आज तो वह राज्यों की और भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी बन

गया है। इससे दो लाख करोड़ रुपए साल के आ रहा हैं और 30, 40 परसेंट राज्यों को भी जा रहा है। वे कभी कहते हैं कि हम 20 यूनिट बिजली फ्री देंगे और एक-एक स्कूटी फ्री दे देंगे, यह दे देंगे, वह दे देंगे। वह सारा का सारा राजस्व एक जीएसटी के एक काम से आ रहा है। फिर जीएसटी में जो सेकंड जेनरेशन का सुधार किया, वह आर्थिक हिसाब से अभूतपूर्व निर्णय था। वह सब राज्यों ने मिलकर किया और इतनी बड़ी छूट दी। उसके बाद में भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा और लोगों की खरीदारी बढ़ी। यह टैक्सों के बारे में सरकार की नई सोच है। यह सोच आर्थिक विकास को गति देने वाली है और यह भारत सरकार का खजाना बढ़ाने वाली सोच है। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है।

महोदय, अब मैं विश्व बैंक से हमारी साझेदारी के बारे में कहना चाहूंगा। विश्व से हमारे कैसे आर्थिक संबंध हैं, उसका भी इसमें उल्लेख है। 8-10 अरब डॉलर की हमारी विश्व बैंक से साझेदारी है। हमने एआई-आधारित कई काम किए हैं। एक तो होती है जॉबलेस ग्रोथ, मतलब ग्रोथ तो हो रही है, पर लोग बेकार हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की जॉब-लेड ग्रोथ है। यह बिल्कुल बदला हुआ काम है। जॉब-लेड ग्रोथ हो रही है और एमएसएमई में 6.3 करोड़ उद्यम हैं और 1.5 करोड़ नौकरियां संरक्षित हैं। कल बात हो रही थी कि एमएसएमई पर हमला किया गया है और एमएसएमई की ऐसी हालत थी। मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के दौरान 1.13 करोड़ एमएसएमईज को चालू रखने के लिए सहायता दी गई। उसी प्रकार 2.39 लाख करोड़ का ऋण देकर उनको एनपीए बनने से बचाया गया। इस प्रकार से काम किया गया है।

महोदय, आज मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। भारत की बैंकिंग व्यवस्था आज विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अमेरिका के कई बैंक फेल हो जाते हैं। यह कानून 1835 में बनाया गया और यह कानून भी अंग्रेजों के समय में माननीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ही बनाया हुआ कानून है। अंग्रेजों के समय रिज़र्व बैंक का कानून भी उन्होंने ही बनाया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वह कानून के ज्ञाता तो थे, इसके साथ वे संविधान के ज्ञाता भी थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में उनका स्टैच्यू लगा हुआ है कि वे अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। सबसे ज्यादा डिग्रियां अगर भारत में किसी ने लीं, तो वे बाबा साहेब अम्बेडकर ने ली हैं। इसके साथ मैं एक तथ्य भी बता दूं। इसमें थोड़ा बहुत हमारा और जयराम जी का भी थोड़ा योगदान है, क्योंकि यह अम्बेडकर शब्द शैड्यूल्ड कास्ट का शब्द नहीं है, यह ब्राह्मणों का शब्द है। जब उनको लोगों ने पढ़ने से रोका, तो जो उनके टीचर थे, उन्होंने उनको अपना नाम दे दिया और इस कारण से वे भीमराव अम्बेडकर बने और भारत के इतने बड़े महान नेता बने, तो इसमें सबका थोड़ा बहुत योगदान है। **...(व्यवधान)...** पिछली बार बैंकों में केवल 2.5 परसेंट एनपीए रहा है। एनपीए बैंकों का कम हो गया। बैंकों का विलयीकरण हुआ। इससे बैंकों की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। बैंक लोन खूब दे रहे हैं, बिना गारंटी के भी लोन दे रहे हैं और मुद्रा लोन भी दे रहे हैं। सारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हुआ है। **...(व्यवधान)...** अब भारत 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है। जीडीपी 106.57 लाख करोड़ रुपये की हो रही है और यह 331.3 लाख करोड़ रुपये तक चली जाएगी। इसमें वृद्धि दर 6.3 से 6.8 परसेंट है। इसी प्रकार निर्यात में 76 परसेंट की वृद्धि हुई है। सेवाओं के निर्यात के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। इसी प्रकार से एफडीआई और रिटेल लेन-देन की स्थिति है। इसी प्रकार आप देखें कि महंगाई का नियंत्रण,

बैंकिंग सुधार और राष्ट्रीय राजमार्ग में बहुत कार्य किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 91,287 किलोमीटर हैं और 1,46,204 किलोमीटर और बने हैं। इसके अलावा 160 हवाई अड्डे बन गए हैं, तो इस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट का काम हुआ है, वह भी बहुत बड़ा काम हुआ है। निवेश और विनिर्माण में बहुत कार्य किए गए हैं। डिजिटल क्रांति के तहत डिजिटल भुगतान, जो यूपीआई, भीम ऐप आदि माध्यमों से किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2018 में 2,071 करोड़ का लेन-देन हुआ है और वित्तीय वर्ष 2024 में 18,737 करोड़ का लेन-देन हुआ है। वैश्विक लेन-देन का 50 प्रतिशत अकेला भारत करता है। यह 49 परसेंट से कुछ ऊपर है, मतलब 50 परसेंट है। जब मोदी जी के समय यह काम हुआ, तो कहा गया कि भारत तो गांवों का देश है, भारत में कौन पढ़ा-लिखा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम बाई रोड जा रहे थे। साथ में मेरी पत्नी भी थीं और ड्राइवर भी था। हम बाई रोड यहां से जयपुर जा रहे थे, तो हम राव तुला राम रोड पर आ गए। वहां जो ब्रिज है, वहां पर गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकी, तो कुछ मांगने वाले आते हैं, वे आए। उन्होंने आकर कहा कि दो, तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि खुले नहीं है, तो उन्होंने एक क्यूआर कोड आगे कर दिया कि इस पर भेज दो। यानी डिजिटल लेन-देन यहां तक बढ़ गया है कि एक पान वाला, चाय वाला, वे सब भी इस तरह से लेन-देन करते हैं। इस तरह से यह वहां तक चला गया। इस तरह से यह वित्तीय समायोजन भी हुआ है। यह सारा काम करके हम आगे बढ़े हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Please conclude.

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सर, क्या मेरा समय पूरा हो गया? मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे 30 मिनट का टाइम दिया गया था। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण क्रांति हुई है, आर्थिक क्रांति हुई है, राजनीतिक क्रांति हुई है, सांस्कृतिक क्रांति हुई है, टोटल रिवॉल्यूशन हुआ है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Shriman Raghav Chadha.

श्री राघव चड्ढा (पंजाब): सर, वेस्ट एशिया में जो ऑन-गोइंग एस्केलेशन चल रहा है, उसके चलते ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक वोलैटिलिटी देखी जा रही है और भारत में भी इन्वेस्टर वेल्थ में शार्प इरोज़न देखा गया है। सर, यह इंडिया का क्राइसिस नहीं है, इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी इस जियोपॉलिटिकल ग्लोबल शॉक के चलते हमारी अर्थव्यवस्था और खास तौर पर भारत के बाजार, इंडियन स्टॉक मार्केट को एक शॉक लगा है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि 28 फरवरी को जब पहली बार यह युद्ध शुरू हुआ, पहला एक्ट ऑफ एग्रेसन किया गया, तब से लेकर 23 मार्च तक, that is yesterday, भारत के इन्वेस्टर्स के लगभग 48 लाख करोड़ रुपए इरोड हो गए, मार्केट से गायब हो गए, शून्य हो गए। एफपीआईज़ ने 52 हजार करोड़ रुपए एक मार्च से लेकर 15 मार्च के भीतर भारतीय बाजार से निकाल लिया, रुपया 94 पर पहुंच गया, ये तमाम चीजें एक रूटीन करेक्शन नहीं हैं, बल्कि यह एक कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवेन शॉक है। सर, मेरी चिंता है कि भारत में लगभग 13.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, जो लगभग 21 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के माध्यम से निवेश

करते हैं। खास तौर पर इस वर्ग में एसआईपी इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम रिटेल पार्टिसिपेंट्स, सेलरीड मिडल क्लास और रिटायरीज हैं, जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए निवेश करते हैं। मुझे उनकी चिंता है, जो मैं सदन में व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, वेस्ट एशिया की जो जंग है, वह हमारी जंग नहीं है, लेकिन उसके शॉक भारतीय बाजार में देखे गए। It is a black swan event because it has been triggered suddenly, externally and it is unrelated to the underlying Indian economic fundamentals. But, Sir, Bharat may not be feeling but India is certainly being hit by this shock. मेरा सरकार से यह अनुरोध रहेगा, that the Government, when they encourage citizens to enter the global markets or the capital markets in particular, the Government cannot disappear when external shocks hit the household wealth. इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि भारत के इन्वेस्टर्स को सरकार द्वारा कुछ रिलीफ दी जाए।

सर, जो पहली रिलीफ हो सकती है, वह यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेटेड रिलीफ दी जाए। आज जब भारत का कोई इन्वेस्टर बाजार में शेयर खरीदता है, रिटेल इन्वेस्टर, तो उसे ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज चार्ज, सर्विस चार्ज पर जीएसटी और स्टॉप ड्यूटी देनी पड़ती है। यह सब जूझने के बाद यदि मुनाफा होता है, तो उस पर 20 परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 12.5 परसेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर सरकार लिमिटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर कोई रिलीफ दे, तो इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट बूस्ट हो सकता है। I am not asking for market populism, Sir. I am asking for targeted investor protection.

सर, मेरा दूसरा सुझाव है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर को टाइम बाउंड एसटीटी रिलीफ दी जाए -- एफएंडओ सेक्टर को नहीं, एफएंडओ सेक्टर में एसटीटी बढ़ा कर सरकार ने अच्छा काम किया है, मैं सरकार की सराहना करता हूँ -- लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर एसटीटी की रिलीफ दी जाए, तो हमारे बाजारों को एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, भारत के रिटेल इन्वेस्टर को बूस्ट मिलेगा। सर, मेरा थर्ड सुझाव यह है कि capital loss को carry forward कीजिए। अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। Sir, I just need half a minute.

Extend capital loss carry forwards. आज बाजार में जो लॉसेज होते हैं, उन्हें भारत का इनकम टैक्स 8 साल तक carry forward करने की अनुमति देता है। इसे बढ़ाकर 12 से 15 साल किया जाए। इस crisis window में जो loss book हो रहा है - Sir, I am just finishing.

Next is special crisis period tax treatment. This is one-time relaxation for retail taxpayer for this notified stress period.

Sir, finally, my suggestion is कि mutual fund investor अगर portfolio में low-friction rebalancing करता है, मान लीजिए वह इस SEBI-notified stress period में equity से debt fund की ओर जाना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए, with very limited expense ratio.

Lastly, the Government must emphasize on strong public communication. हमारा बाजार, RBI, SEBI, Exchanges, वित्त मंत्रालय भारत की macro stability और energy preparedness पर जनता से बात करे। In conclusion, permit me to say that India's fundamentals are strong. What needs strengthening is the policy shield that surrounds our investors. Because this is not a war, but our investors are paying the price. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Shri Brij Lal.

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं अपने भाषण की शुरुआत संत शिरोमणि रविदास जी की एक उक्ति के साथ करता हूँ। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था:

*"ऐसा राज चाहिए, जहां सबको मिले अन्न,
छोटे-बड़े सब सम रहें, रैदास होएं प्रसन्न।"*

यह हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था और वही तो अब मोदी सरकार कर रही है।

महोदय, यह जो बजट है, जिस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, The Appropriation (No. 2) Bill, 2026, इसका थीम क्या है? इस बजट में किसानों, महिलाओं, वंचितों और पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनना है। 'विकसित भारत' बनने के लिए, जब तक ये जो वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ये समृद्ध नहीं होंगे, किसान समृद्ध नहीं होंगे, महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक 'विकसित भारत' बनने में दिक्कत होगी।

महोदय, अब मैं इसी बात पर आता हूँ कि रविदास जी ने जो कहा था "सबको मिले अन्न..", तो मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री अन्न योजना की शुरुआत की, उससे आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न मिल रहा है। एक गरीब आदमी की क्या हालत होती है - मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मैंने गरीबी देखी है। मैंने वह दिन देखा है। हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं। हमारे गांव में कुछ ऐसे परिवार थे, जो गोबरैला अनाज खाते थे। महोदय, क्या आप जानते हैं कि 'गोबरैला अनाज' क्या होता था? जब बैल से धान, गेहूं, जौ की मड़ाई होती थी, तो वह बैल उस अन्न को खा लेता था। गेहूं उसके पेट में पूरा पचता नहीं था और वह गोबर के माध्यम से बाहर आ जाता था। गरीब लोग उस गोबर को पानी में धोकर वह अनाज निकलते थे और उसको खाते थे, वह 'गोबरैला अनाज' होता था। महोदय, तब यह आम बात थी, यह मैंने देखा है। आज अन्न की चिंता नहीं है, आज कोई भूखा नहीं रह रहा है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश का कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। एक गरीब आदमी की चिंता क्या रहती है, यही कि उसको और उसके बच्चों को दो समय की रोटी मिल जाए। रोटी के अलावा वह मकान के बारे में तो सोचता नहीं था। वह झोपड़ी में, कच्चे मकान में रहता था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? महोदय, जो प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण है, अब तक इसके तहत 11 वर्षों में

3.7 करोड़ मकान बना करके दिए जा चुके हैं और अभी लक्ष्य 4.95, यानी लगभग 5 करोड़ मकान बनाने का है। इसके बेनिफिशियरीज कौन हैं - दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं। महोदय, इन लोगों को ये आवास मिले हैं। अब उनको आवास की चिंता नहीं है। आवास के मालिक महिलाएँ हैं। उनको सम्मान मिला है। गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है। मकान की चिंता प्रधान मंत्री जी ने की। इसी तरह से, पूरे देश में जो शहरी विकास योजना है, उसके तहत 2015 से अब तक शहर में एक करोड़ आवास बन चुके हैं और अभी हमारा लक्ष्य 1.22 करोड़ मकान बनाने का है। हम यह इसलिए कर रहे हैं, ताकि भारत में कोई भी आदमी बिना छत के नहीं रहे।

महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ की आबादी 25 करोड़ है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा लाभ मिला है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, उसके माध्यम से अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 50 लाख मकान बना कर दिए जा चुके हैं और हम 60 लाख मकान तक पहुँचेंगे और उनको देंगे। इसी तरह, हम लोग शहरी क्षेत्र में 18 लाख मकान दे चुके हैं। देश में कई राज्य हैं। मैं पश्चिमी बंगाल में कई बार गया हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे वहाँ एट्रोसिटीज की जांच के लिए भेजा था। वहाँ पर तमाम जगहों पर 'पीएम आवास योजना' का पैसा खर्च ही नहीं हुआ है। उनको इस बात की सबसे बड़ी चिढ़ है कि उसमें प्रधान मंत्री मोदी जी का नाम आ जाएगा - 'पीएम', इसलिए वहाँ वे सब योजनाएँ लागू नहीं की गईं। कई लोग कहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। महोदय, जमीन की कमी नहीं है। अगर इसको देखना है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहाँ पर जो माफिया थे, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए थे, उनकी जाँच कराई, उनको आइडेंटिफाई किया और अब तक 66,000 हेक्टेयर, यानी 1.63 लाख एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ा ली गयी है, जिसकी कीमत करीब 14,000 करोड़ रुपए है। इन जमीनों का क्या इस्तेमाल हो रहा है? इन जमीनों का इस्तेमाल गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए किया जा रहा है, सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

महोदय, मैं एक शब्द 'बुलडोजर' के बारे में जरूर बात करूँगा। हमारे कुछ विरोधी साथियों ने उसका बड़ा ही गलत इंटरप्रेटेशन किया है कि कुछ हुआ, बुलडोजर लिया और जाकर गिरा दिया। ऐसा नहीं है, सर। अगर कोई अवैध मकान है और वह सरकारी जमीन पर है तथा उस जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया गया है, तब उसके लिए जो प्रक्रिया है, उसको रेवेन्यू विभाग करता है, नगर निगम करता है, नगर पालिका करती है और उसके बाद उसकी जाँच होती है और जाँच के बाद नोटिस देकर ये गिराए जाते हैं। यह विकास के लिए जरूरी है। इसलिए किसी राज्य में कहीं भी विकास के लिए जमीन की कमी नहीं है, बशर्ते उस राज्य सरकार की इच्छा शक्ति हो, सरकार की उन जमीनों को लेने के लिए इच्छा शक्ति हो। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस तरह की जमीनें ली हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि वहाँ पर इस तरह की 66,000 हेक्टेयर जमीनें ली गई हैं और उनकी कीमत 14,000 करोड़ रुपए है। ये जमीनें फ्री कराई गईं। इन जमीनों को किस कानून के तहत लिया गया? यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत इनको लिया गया। जिनके पास ये जमीनें थीं, उनमें करीब 142 गैंगस्टर थे। अभी रीसेंट में, यानी 2025-26 में, एक नाम लेना उचित नहीं होगा, सहारनपुर का एक माफिया,

जो विरोधी पार्टियों का बड़ा नजदीक रहा है, उसी से केवल 276 करोड़ रुपए की जमीन अभी-अभी मुक्त कराई गई है। प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, वहाँ एक माफिया था, जो मारा गया। उससे भी 38 बीघा जमीन ली गयी, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। वहाँ पर गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं और बेनेफिशियरीज़ को मकानों की चाबियाँ दे दी गई हैं। उन बेनेफिशियरीज़ में बहुत-से अल्पसंख्यक हैं। लखनऊ में मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। डीजीपी ऑफिस के ठीक सामने कीमती जमीन थी, जिस पर गाजीपुर के एक माफिया ने कब्जा किया था, उस करोड़ों रुपए की जमीन को लिया गया।

5.00 P.M.

वहाँ बुलडोजर चलाया गया और अब वहाँ गरीबों को मकान दे दिया गया है। यह हजरतगंज, बिल्कुल heart of the city की बात है। इस तरह, ऐसी जमीनों की कोई कमी नहीं है, बस इच्छाशक्ति होनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ है।

महोदय, आदिवासी के विकास की भी बात की गई है। कुछ सरकारें ऐसी थीं, अगर उनकी चल गई होती, तो आदिवासी और गरीब भूमिहीन हो गए होते। उत्तर प्रदेश में 2004 और 2007 के बीच में एक सरकार थी, जो एक बिल ला रही थी। अभी यह व्यवस्था है कि अगर किसी आदिवासी और दलित को जमीन बेचनी होती है और वह जमीन कोई गैर-दलित खरीदना चाहता है, तो उसके लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसके माध्यम से एक प्रोटेक्शन दिया गया है, ताकि उनको बहला-फुसलाकर कोई उनकी जमीन न ले पाए। वह समाजवादी सरकार थी। उन्होंने एक बिल लाना चाहा कि इसमें डीएम के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। उस समय एक अनुसूचित जाति के मंत्री थे, जो पिछले मंत्रिमंडल में भी थे और वे उस सरकार में थे। He put his foot down. उन्होंने कहा कि हम यह नहीं होने देंगे। अगर वह हो गया होता, तो आज किसी दलित आदिवासी के पास 10 गज जमीन भी नहीं होती। महोदय, मोदी सरकार तो मकान दे रही है, जमीन दे रही है और वहाँ ऐसा प्लान बना था कि अगर वह सफल हो गया होता, तो आज उत्तर प्रदेश के आदिवासी और गरीब के पास जमीन नहीं होती।

महोदय, इतना ही नहीं, मैं एक और मामला बताना चाहता हूँ। एक घटना सोनभद्र, मिर्जापुर में हुई थी। हमारे अरुण सिंह जी वहीं के रहने वाले हैं। 1970-80 के दशक में कांग्रेस की सरकारों के दौरान मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओं के फार्म हाउस थे। वहाँ एक सतिया कांड हुआ था। तब क्या-क्या हुआ था, उस समय हम अखबारों में बहुत पढ़ते थे। उसमें एक आदिवासी लड़की का रेप और मर्डर हुआ था। महोदय, 2019 में भी एक कांड जिस स्थान पर हुआ, उसका नाम गांव उम्मा घोरावल है। वहाँ पर जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया। आदिवासी उन जमीनों को जोत रहे थे, उनको लग रहा था कि यह हमारी जमीन है। उन बेचारों को कुछ पता नहीं था। उसके लिए 1955 से शुरुआत हुई और कांग्रेस के रसूखदार लोगों ने उनकी 90 बीघा जमीन आदर्श सोसाइटी बनाकर कब्जा कर ली। उस कब्जे में कई रेवेन्यू अधिकारी भी शामिल थे। जब आदिवासी उनके पास अपनी जमीन के लिए गए, तो उन पर हमला किया गया और 10 लोग मारे गए। जब उस घटना की पूरी जांच हुई, तो पता चला कि वह जमीन

1955 से कांग्रेस के रसूखदार लोगों के कब्जे में थी और तब इस तरह से आदिवासियों को उनकी जमीन से वंचित किया गया। महोदय, पहले ऐसी सरकारें थीं। एक तरफ जहां हम दलितों और आदिवासियों को empower कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी सरकारें थीं, जो उनकी जमीनें छीनती थीं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को कानून बनाकर empower किया है। आर्टिकल 370 को हटाने से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? उससे दलितों को फायदा हुआ। महोदय, 1958 में प्रताप सिंह कैरों साहब मुख्य मंत्री होते थे। यहाँ कश्मीर के हमारे मित्र बैठे हैं। उस समय कश्मीर का मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री कहलाता था, जो उस समय बख्शी गुलाम मोहम्मद थे। इस पर उस समय डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनको बलिदान देना पड़ा, उन्होंने कहा था - एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेगा। फिर, बख्शी गुलाम मोहम्मद प्रताप सिंह कैरों के पास आए और कहा कि हमारे पास सफाईकर्मी नहीं हैं, हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। इस पर उन्होंने कहा कि हम अच्छा व्यवहार करेंगे और यह कहकर वे उनको अपने साथ ले गए। जब 2019 में वहां से आर्टिकल 370 हटा, तो उन 262 परिवारों की संख्या लाखों में हो गई थी। उन्होंने जो permanent residents का कानून लागू किया, उसके कारण बाल्मीकि परिवार का बच्चा अगर PhD भी कर ले या वह कुछ भी कर ले, उसको सफाईकर्मी की ही नौकरी मिलती थी। महोदय, इतने दिनों से वहाँ उनकी चौथी पीढ़ी है। उनको विधान सभा में voting right नहीं था। वे पार्लियामेंट के चुनाव में वोट दे सकते थे, लेकिन विधान सभा के चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे। महोदय, जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तो उससे सबसे बड़ा फायदा दलितों और आदिवासियों को हुआ। उन्हें empower किया गया। महोदय, सीएए में सबसे बड़ा जो फायदा हुआ — बंटवारा हुआ और उसमें जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के first Law Minister बने थे, उन्होंने बाबा साहेब की बात नहीं मानी और कहा कि हमारे दलित इस्लामिक कंट्री में अच्छे रहेंगे और वे पाकिस्तान चले गए। जिन्ना ने उनको बनाया, first Law and Labour Minister of Pakistan. लेकिन पाकिस्तानी अपने एजेंडे पर आए, तो वहां जो दलित थे, जिनको नमोशूद्र कहा जाता है, उन पर अत्याचार शुरू हो गया। 1950 में पाकिस्तान के कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल भारत वापस भाग आए। उसके बाद दलितों में भगदड़ मच गई। जिनको नमोशूद्र और मतुआ कहा जाता है, उन्हें बंगाल, बिहार में - मैं पीलीभीत का एसपी रहा हूँ - और लखीमपुर खीरी जैसे क्षेत्रों में उनको बसाया गया, लेकिन उनके पास नागरिकता नहीं थी। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में जो सीएए लागू किया, इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जितने लोगों को नागरिकता मिली है, उसमें लगभग 70 से 75 परसेंट नागरिकता दलितों को मिली है। महोदय, इस तरह से कानूनी प्रावधान बनाकर दलितों को empower किया गया है।

महोदय, अब मैं किसान के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं किसान पुत्र हूँ। किसानों के लिए जो मोदी जी ने किया है, वह उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या-क्या चाहिए? खाद चाहिए, बीज चाहिए। तो किसानों को जो 2,000 रुपये हर तीन महीने में मिलते हैं — यानी 6,000 रुपये साल में — कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यह छोटी राशि हो,

लेकिन महोदय इसके दो बड़े फायदे हैं। आज वह गरीब किसान, जिसके पास मान लीजिए केवल दो बिस्वा जमीन थी, लोग कहते थे कि वह खेती नहीं कर पाएगा, जमीन बेच देगा। आज उस दो बिस्वा जमीन के लिए उसे साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, तो उसकी जमीन बच गई और समय पर छोटे किसानों को खाद और बीज मिल जाता है।

महोदय, अब खाद की बात आती है। आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है - खाद ऐसी चीज है, जिसे हम पहले ज्यादातर इंपोर्ट करते थे, लेकिन मोदी जी ने 2024 में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट (झारखंड) को 1 मार्च, 2024 को शुरू किया है। बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट (बिहार) को अक्टूबर, 2022 में शुरू किया गया। मेरे घर के पास गोरखपुर में भी एक खाद फैक्ट्री बनी थी, जो 1968 में जापान के सहयोग से स्थापित हुई थी। महोदय, वहां गैंगवार चला और नेचुरली वह गैंगवार फैक्ट्री में भी पहुंचा, वह फैक्ट्री 1990 के आसपास बंद हो गई थी, मर्डर्स हुए, वह close हो गई। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्य मंत्री बने, तब उस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने उसकी आधारशिला रखी, उसका renovation हुआ और अब वह गोरखपुर की फैक्ट्री फिर से चालू हो गई है। आज वहाँ नैनो यूरिया का उत्पादन हो रहा है, जो वेस्टर्न यूपी जैसे पिछड़े क्षेत्रों की आपूर्ति कर रहा है। इसी तरह रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट (तेलंगाना) और नामरूप फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट (असम) — ये सभी मोदी काल में शुरू हुए। आज हम किसानों को खाद प्रोवाइड कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की कीमत 3,000 रुपये से ज्यादा है, लेकिन मोदी सरकार किसानों को उसी पुराने रेट पर खाद उपलब्ध करा रही है। भले ही इंटरनेशनल लेवल पर दाम बढ़ें, लेकिन किसानों के लिए दाम नहीं बढ़ने दिए गए। इसके अलावा माननीय प्रधान मंत्री जी की एक स्कीम है — “विकसित भारत के लिए समृद्ध किसान”। किसान समृद्ध हो, इसके लिए क्या किया गया? तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोका और काजू जैसे प्लांट्स को बढ़ावा दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, पाइन नट - चिलगोजा जैसे उत्पादों को बढ़ावा दिया गया है। इसी तरह तिलहन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, सोयाबीन और यहाँ तक कि पाम ऑयल के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है। हम पाम ऑयल मुख्य रूप से मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आज हम पाम ऑयल का भी production कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे मछुआरे भाई समुद्र के अलावा जो फ्रेश वाटर फिश है, उसके लिए मोदी जी ने पहले ही आधारशिला तैयार कर दी थी। इसमें अमृतसरोवर बना। इतने अमृतसरोवर बन गए हैं कि उसमें मछली पालन हो रहा है और गरीब मछुआरे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। पशुधन विकास हो रहा है। मैं Agro forestry के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं असम में अपनी कमेटी लेकर गया था। अभी वहाँ पर चुनाव हो रहा है। वहाँ के मुख्य मंत्री जी ने agro forestry शुरू किया। आप तमाम प्लांट्स काट नहीं सकते। वहाँ पहले बम्बू नहीं काट सकते थे। वहाँ उन्होंने अगरवुड लगाना शुरू किया, जिसके नाम पर अगरतला है। उसका ऑयल करीब एक करोड़ रुपये लीटर बिकता है। वहाँ इत्र बनता है। वहाँ अगर लगाइए, सीसम लगाइए, बम्बू लगाइए और फसल की तरह से काट लीजिए। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास हुआ है। मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ पक्की सड़कें हैं। ‘पीएम सूर्य घर योजना’ से घर अब बिजली के ऊपर निर्भर नहीं है, वे खुद बिजली पैदा कर रहे हैं। ‘कुसुम योजना’ से सोलर लाइट से हम अपनी खेती का पानी चला

रहे हैं। इस तरह से जहां दलितों को, गरीबों को, आदिवासियों को मजबूत किया गया, वहीं पर किसानों की मजबूती के लिए बड़ी तेजी से काम चल रहा है।

महोदय, मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूं। अगर मैं ग्रेपर और डिफेंस पर नहीं बोलूंगा, तो उचित नहीं होगा। अब मैं गृह मंत्रालय पर आता हूं। इस साल कुल बजट 2 लाख, 55 हजार 233.53 करोड़ रुपये दिया गया है, जिसमें CRPF को 38 हजार 517 करोड़ BSF को 29 हजार 568.64 करोड़ CISF को 15 हजार 973.85 करोड़ ITBP को 11 हजार 324.08 करोड़ SSB को 10 हजार 984.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी था। आंतरिक सुरक्षा नहीं होगी, तो आप विकास नहीं कर सकते। पहले क्या होता था? यूपीए सरकार में धड़ाधड़ ब्लास्ट होते थे। न राजधानियां छूटती थीं, न बॉम्बे छूटती थीं। Naxalism ने hostage बना रखा था। आज ये बजट दिए गए और उसके बाद naxalite areas में जहां हमारी Central Paramilitary Forces तैनात थीं, उनको WAP (Wheeled Armoured Platform) दिया गया।

महोदय, बढ़िया weapons दिए गए। Under Barrel Grenade Launcher दिए गए। AK series की राइफलें दी गईं, X95 rifles दी गईं, ड्रोन दिया गया, UBGL दिया गया और वहां जो आज हम naxalism खत्म कर रहे हैं, जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। यह प्लेटफॉर्म दिया गया, वह बुलेट प्रूफ है। उसमें ऊपर मीडियम मशीनगन है, बुलेट प्रूफ है और जब वह फायर करती हुई 360 degree चलती है और बढ़कर फिर हम अपना एडवांस पोस्ट बनाते हैं। इस तरह से एडवांस पोस्ट, जो वहां तीन दशकों तक कोई गया नहीं, आज उसको naxalites से फ्री कर लिया गया है। इसमें सबसे बड़ा फायदा आदिवासियों का हुआ है। वे सड़क नहीं बनने देते थे, schools demolish कर दिए गए थे, हाट बंद हो गए थे, पढ़ाई बंद हो गई थी, तो यह कार्रवाई होम डिपार्टमेंट की वजह से हुई है, उसका श्रेय हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को जाता है।

सर, अब मैं डिफेंस पर बोलना चाहता हूं। इस साल डिफेंस को 7.85 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। यह 2026-27 में है और पिछला बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये का दिया गया था। इसमें डीआरडीओ को 29 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। डीआरडीओ हमारे लिए तमाम नए-नए तरह के वेपन बना रही है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसे देख लिया। हमें सक्सेस मिली। अभी जो ईरान, इजरायल और अमेरिका में युद्ध हो रहा है। यह बता रहा है कि शायद अब जो हमारा infantry soldier है, उसके बजाय मिसाइल्स और ड्रॉन्स से युद्ध होंगे। जब तक आपके पास आधुनिक armaments नहीं होंगे, तब तक आप इस प्रकार की लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं मोदी सरकार का आभारी हूं कि हम अब An-12, An-32, Il-76 - ये सब जो एयरफोर्स में military carriers थे, उन पर डिपेंड नहीं हैं। अब हम C295 Aircraft खुद बना रहे हैं। अब बोइंग भी मोदी जी के प्रयासों से वडोदरा में बन रहा है और 2026 में पहला modern C295 Aircraft आ जाएगा, जो Indo-China border पर, Tibet border पर छोटे-छोटे airports पर उतर सकता है। महोदय, यह हमारी प्रगति है। हम advance plane बना रहे हैं। हमारा Tejas अब MiG-21 की जगह ले रहा है। मैं AMCA fifth generation plane पर कहूंगा। आप किसी भी दिन देखेंगे कि माननीय मोदी जी जा रहे हैं। उन्होंने fifth generation plane - AMCA निकाला है। आज हम दूसरों पर डिपेंडेंट

नहीं हैं। तेजस हमारे यहाँ शामिल हो चुका है। इसके अलावा मिसाइल्स हैं। अग्नि सीरीज से पूरी दुनिया काँपती है और हमारी अग्नि 5 की जो डिक्लेयर्ड रेंज है, वह करीब 5 से 8 हजार किलोमीटर है, लेकिन शायद कुछ और भी है, जो अभी कहना फिलहाल उचित नहीं होगा।

महोदय, पहले क्या था? 1962 में हमारे पास राइफलें नहीं थीं। हमारे पास क्या था? हमारे पास थी सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ी हुई 303 rifle bolt-action. उसके बावजूद भी हमारे सैनिकों का मनोबल बहुत ऊँचा था। मेजर शैतान सिंह - परमवीर चक्र, उन्होंने अपने 125 जवानों के साथ अकेले लड़ते-लड़ते 3,460 चाइनीज को मार दिया। वे शहीद हुए। हम आज कांस्टेबल जसवंत सिंह रावत को सैल्यूट करते हैं। वे उत्तराखंड के थे। वे अकेले लड़ रहे थे और वहाँ पर अरुणाचल की तीन बेटियाँ उनका साथ दे रही थीं। उन्होंने अकेले ही करीब हजारों चाइनीज को मार दिया। आप सोचिए कि अगर हमारे पास अच्छे हथियार होते, तो चाइना में हमारा वह हाल नहीं होता, जो Brigadier J. P. Dalvi ने 'Himalayan Blunder' में लिखा है। वे लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। ये सभी चीजें हैं।

महोदय, कोई भी देश हो, लेकिन आपकी तभी सुनी जाती है, जब आप आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से मजबूत होते हैं, अदरवाइज़ गरीब की कोई आवाज़ नहीं सुनता। आज भारत की आवाज़ सुनी जाती है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और नैतिक रूप से सक्षम हैं। यह जो सक्षमता प्राप्त हुई है, वह माननीय मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त हुई है। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।

उपसभाध्यक्ष (डा. मु. तंबी दुरै): श्री बंशीलाल गुर्जर, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

श्री बंशीलाल गुर्जर (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लगातार सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। सर्वहारा वर्ग के लिए क्या बजट प्रावधान होने चाहिए - उस दिशा में भी सरकार लगातार हर बजट में वैसा प्रावधान करके कल्याण की ओर योजनाएँ बना रही है। आज हमारे देश के प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने विश्व में जो अस्थिरता है, उस अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए देश की जनता के नाम इस महान सदन में एक संदेश दिया है और सबको भरोसा दिया है कि सभी व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से चलेंगी और इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, विगत बारह वर्षों में मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भारत की आर्थिक यात्रा स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, सतत वृद्धि तथा संयत मुद्रास्फीति से युक्त रहे। यहाँ तक कि अनिश्चितता और व्यवधान के काल में भी, जहाँ पूर्ववर्ती सरकारों के समय भारत फ्रैजाइल फाइव में गिना जाता था और अकार्यकारी ऋण (एनपीए) एक गंभीर चुनौती बना हुआ था, वहाँ

मोदी सरकार ने लगभग 7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर के साथ गरीबी में उल्लेखनीय कमी करने की दिशा में ठोस प्रगति की है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, आज 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उनका जीवन बेहतर हुआ है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। महोदय, सरकार ने सामाजिक आवश्यकताओं से समझौता किए बिना राजकोषीय प्रतिबद्धताओं का सतत पालन किया है। ऋण से जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2026-27 में 55.6 प्रतिशत और आरई 2025-26 में 56.1 प्रतिशत से कम आंका गया है, जो 2030-31 तक 50 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। माननीय तिवारी जी ने भी इसका उल्लेख किया था। जब यह लक्ष्य भारत हासिल कर लेगा, तो उस समय निश्चित तौर पर भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, राजकोषीय घाटा भी 2026-27 में जीडीपी का 4.3 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे 2021-22 में की गई इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने की प्रतिबद्धता पूर्ण होती है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपए तथा शुद्ध उधारी 11.7 लाख करोड़ आंकी गई है, जिससे निजी क्षेत्र के ऋण के लिए उपलब्धता का संतुलन बना रहेगा।

16वें वित्त आयोग की 41 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर कर वितरण की संस्तुति स्वीकार की गई है तथा राज्यों को अनुदान के रूप में 1,40,000 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे राज्यों में भी विकास की गति तेज होगी। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। यह राजकोषीय अनुशासन भारत की साख को सुदृढ़ करता है, जिसका परिलक्षण प्रमुख ऋण निर्धारण संस्थाओं द्वारा सम्प्रभु आउटलुक में किए गए उन्नयन में भी हुआ है।

महोदय, इस बजट के पूर्व पिछले वर्ष जब हमारे देश की वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, तब मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा था। जिस मध्यम वर्ग को कभी इस बात की शिकायत होती थी कि मध्यम वर्ग की कोई नहीं सुनता है, उस मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए, गत वर्ष के बजट में 12 लाख तक आय पर शून्य कर के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर यह बजट विवादों से विश्वास अर्जित करने वाला है, अर्थात् यह करदाता पर प्राथमिक विश्वास की सरकार की सोच को आगे बढ़ाता है।

महोदय, नए कर ढांचे का अधिसूचन तथा नियमों के साथ पुनर्रचित आयकर विवरणी (आईटीआर) प्रपत्र अनुपालन को सरल बनाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। महोदय, छोटे करदाताओं, जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के पेशेवर तथा स्थानांतरित अनिवासी भारतीयों के लिए छः माह की विदेशी सम्पत्ति प्रकटीकरण योजना प्रस्तावित है। उदारीकृत प्रेषण योजना एलआरएस के अंतर्गत शिक्षा एवं चिकित्सा प्रयोजन हेतु स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर पाँच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत की गई है।

महोदय, इस बजट में रोगियों को, विशेषकर जिन्हें असाध्य बीमारियाँ हो जाती हैं, उनके उपचार की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इनसे पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए 17

औषधियों को मूल सीमा शुल्क से छूट तथा सात अतिरिक्त दुर्लभ रोगों के लिए व्यक्तिगत औषधि आयात पर शुल्क छूट में विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे इन बीमारियों से पीड़ित नागरिक हैं, उन्हें उपचार में सुविधा मिलेगी। वाद-विवाद में कमी हेतु आकलन और दंड की कार्यवाहियों का एकीकरण, अपील हेतु अग्रिम जमा 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत, छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण, अधिकतम कारावास अवधि को घटाकर दो वर्ष करने और न्यायालयों को अर्थदंड में रूपांतरण के अधिकार का प्रस्ताव है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। वैश्विक पूंजी आकर्षित करने हेतु भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी साधनों में निवेश की अनुमति दी जाएगी तथा निवेश सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही क्रमिक स्टैगर्ड आईटीआर समय-सीमाएं तथा नाममात्र शुल्क के साथ 31 मार्च तक संशोधित विवरणी दाखिल करने की अवधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसको और सरल किया गया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। भारत की वृद्धि, कुशल मानव बल का निर्माण करने की दिशा में भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। मोदी सरकार ने युवाओं के कौशलवर्धन को प्राथमिकता देते हुए उनकी रोजगार योग्यता बढ़ाने तथा विभिन्न क्षेत्रों को स्थानीय प्रतिभा उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया है। बजट में शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर एक उच्च स्तरीय स्थाई समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का प्रमुख प्रेरक बनाने हेतु उपाय सुझाएगी। लक्ष्य यह है कि 2047 तक वैश्विक सेवा हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचे तथा उच्च वृद्धि, रोजगार और निर्यात संभाव्यता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिले।

महोदय, इस बजट में विशेषकर टियर-2 और टीयर-3 नगरों में ICAI, ICSI और ICMAI जैसे व्यावसायिक संस्थानों द्वारा अल्पकालिक खंडित मॉड्यूलर पाठ्यक्रम और व्यावहारिक साधन विकसित कर कॉरपोरेट मित्र का एक प्रशिक्षित समूह तैयार करने का प्रस्ताव है। कौशल निर्माण को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए सरकार मुख्य औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर के निकट 5 विश्वविद्यालय नगर समूह विकसित करने हेतु राज्यों को सहायता देगी, जिनमें विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान कौशल केंद्र और आवासीय सुविधाएं एकीकृत होंगी। महोदय, विविध कुशल आजीविका पथों के निर्माण हेतु सहायक स्वास्थ्य पेशेवर संस्थानों का उन्नयन तथा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है, जिससे 10 चयनित अनुशासनों में अगले 5 वर्षों में 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर जुड़ेंगे। देश में विकसित लेखांकन एवं परामर्श संस्थानों को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने की दृष्टि से बजट में safe harbor नियमों के लिए लेखाकार की परिभाषा का युक्तिकरण किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति का सशक्तिकरण इस सरकार का लक्ष्य है। महोदय, मोदी सरकार ने देश की युवा शक्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व को भली-भांति समझने की कोशिश की है और बजट में राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खाद्य प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन कर राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है, जिससे शिक्षा जगत, उद्योग तथा सरकार के बीच प्रभावी सेतु स्थापित हो सके। Orange Economy and animation, visual effects, gaming and comics क्षेत्र में महत्व को स्वीकार करते हुए बजट में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के सहयोग से देश भर

के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC content creator labs स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय अभिकल्प डिजाइन उद्योग के तीव्र विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए अभिकल्प शिक्षा और विकास को गति देने के लिए एक नए राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है। निश्चित ही यह हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

महोदय, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमता का पूर्ण उपयोग कैसे हो सकता है? इस दिशा में भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने दशकों से जो लघु और सूक्ष्म उद्योग ठप पड़े हुए थे और मध्यम उद्योग उद्योगों को पर्याप्त नीतिगत सहयोग तथा पूंजी की सुगम पहुंच उन तक नहीं हो रही थी, वैसे उद्योगों के लिए संघर्ष का रास्ता बना हुआ था। मोदी सरकार लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को वृद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण इंजन मानती है और भावी अग्रणी उद्यमों के विनिर्माण हेतु तीन-आयामी उपाय प्रस्तावित किया गया है। इक्विटी सहायता के लिए बजट में 10 हजार करोड़ के समर्पित एसएमई वृद्धि कोष का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट प्रावधान के बाद इन उद्योगों की गति और तेज होगी और ये हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म उद्योगों को निरंतर सहायता देने के लिए स्वावलंबी भारत कोष में भी 2 हजार करोड़ की अतिरिक्त पूंजी का प्रस्ताव है। महोदय, इससे भी सूक्ष्म उद्योगों को गति मिलेगी और वे तेज गति से देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे।

महोदय, तरलता सहायता के लिए बजट में यह प्रस्ताव है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा की जाने वाली सभी खरीदारियों के भुगतान निपटान हेतु व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टी.आर.ई.डी.एस) को अनिवार्य लेन-देन निपटान मंच बनाया जाए; बीजक (इनवॉइस) छूट हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण प्रत्याभूति कोष न्यास (सी.जी.टी.एम.एस.ई) के माध्यम से ऋण प्रत्याभूति सहायता प्रदान की जाए; सस्ती एवं शीघ्र वित्तीय सुविधा के लिए सरकारी ई-बाजार (जी.ई.एम.) को टी.आर.ई.डी.एस. से जोड़ा जाए; तथा द्वितीयक बाजार के विकास हेतु टी.आर.ई.डी.एस. प्राप्यों को परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत किए जाने का भी इसमें प्रस्ताव किया गया है।

महोदय, वृहद एवं तीव्र गति से विनिर्माण विस्तार के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की मंशा के अनुरूप मोदी सरकार घरेलू क्षमता के विनिर्माण तथा आयात निर्भरता में कमी हेतु सात रणनीतिक एवं अग्रगामी क्षेत्रों में विनिर्माण का वृहद विस्तार कर रही है। इसी प्रकार, बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य उन्नयन हेतु बायोफार्मा रणनीति) 5 वर्षों में 10 हजार करोड़ के परिव्यय के साथ जैव औषधियों तथा जैव-समान औषधियों के लिए भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए तीन नए एन.आई.पी.ई.आर., सात विद्यमान एन.आई.पी.ई.आर का उन्नयन तथा एक हजार मान्यता-प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थलों का जाल विकसित किया जाएगा।

महोदय, श्रम-प्रधान वस्त्र हेतु पांच उप-घटकों वाला एक एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित है - नेशनल फाइबर स्कीम। इसके साथ ही, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टैक्स इको पहल तथा समर्थ 2.0, साथ ही, चुनौती पद्धति पर मेगा टेक्सटाइल पार्कों का प्रस्ताव है। महोदय, पात्र (कंटेनर) विनिर्माण के लिए 5 वर्षों में 10 हजार करोड़ की योजना से वैश्विक प्रतिस्पर्धी पारितंत्र का निर्माण किया जाएगा। दो स्थानों पर उच्च-प्रौद्योगिकी औजार कक्ष (टूल रूम) को अंकीय रूप से सक्षम स्वचालित सेवा केंद्रों के रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है।

महोदय, निर्माण और आधारभूत संरचना उपकरण हेतु एक योजना उच्च-मूल्य निर्माण और आधारभूत संरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करेगी, लिफ्ट तथा अग्निशमन उपकरण के लिए सुरंग छेदन यंत्रों तक। खेल सामग्री हेतु समर्पित पहल उपकरण अभिकल्प तथा पदार्थ विज्ञान के विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को भी इस बजट में महत्व दिया गया है। महोदय, बजट में आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से 200 विरासत औद्योगिक समूहों के पुनर्जीवन का प्रस्ताव भी किया गया है।

महोदय, आधारभूत संरचना आधारित दीर्घकालिक वृद्धि के लिए जहां पूर्ववर्ती सरकारों ने आधारभूत संरचना की उपेक्षा की, वहीं मोदी सरकार ने सतत पूंजी निवेश के माध्यम से विकसित भारत की सुदृढ़ नींव रखी है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014-15 में जहां 2 लाख करोड़ रुपए था, सरकार ने उसे बढ़ा कर 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निजी क्षेत्र के विकास को सुदृढ़ करने हेतु बजट में आधारभूत संरचना जोखिम प्रत्याभूति कोष का प्रस्ताव है, जो ऋणदाताओं को आंशिक ऋण प्रत्याभूति प्रदान करेगा।

बजट में समर्पित आरईआईटी के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की अचल संपदा परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण को तीव्र करने का प्रस्ताव है। पर्यावरण-संगत माल ढुलाई हेतु बजट में डानकुनी से सूरत को जोड़ने वाले नए समर्पित माल कॉरिडोर, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के परिचालन, जिसकी शुरुआत ओडिशा के राष्ट्रीय जलमार्ग-5 से होगी, जो कि तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को पारादीप एवं धामरा पत्तनों से जोड़ेगा, तथा तटीय ढुलाई प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

महोदय, वाराणसी और पटना में पोत मरम्मत पारितंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। अंतिम छोर तक संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु समुद्री विमान के स्वदेशी विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन के साथ ही समुद्री विमान व्यवहार्यता अंतर सहायता योजना का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है।

महोदय, निर्यात को सतत गति देकर विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ाने के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जहां पूर्ववर्ती सरकारों के समय में मध्य भारत की निर्यात क्षमता ठहराव का शिकार रही, वहीं मोदी सरकार ने भारत को वैश्विक व्यापार की एक सशक्त शक्ति के

रूप में रूपांतरित किया है। वैश्विक बाजार और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में बाधाएं तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद, भारत का कुल निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा है और मोबाइल फोन जैसी प्रौद्योगिकी निर्यात में 127 गुना की असाधारण वृद्धि दर्ज हुई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारी यह प्रौद्योगिकी लगातार प्रगति कर रही है। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए, बजट में क्षेत्रक और मंत्रालय-स्तरीय लक्ष्यों सहित निर्यात प्रोत्साहन मिशन का प्रस्ताव है, जो निर्यात ऋण, सीमा पार फैक्ट्रिंग तथा गैर-शुल्क बाधाओं के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सहायता की व्यवस्था करेगा।

महोदय, व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण हेतु एकीकृत मंच के रूप में 'भारत ट्रेडनेट' नामक अंकीय लोक आधारभूत संरचना स्थापित की जाएगी, जो एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का पूरक होगी।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M.THAMBIDURAI): Please conclude.

श्री बंशीलाल गुर्जर: सरकार राज्यों को टियर-2 नगरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा उपलब्धता, आधारभूत संरचना और उद्योग सहयोग में सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वायु माल ढुलाई हेतु आधारभूत संरचना और भंडारण, जिसमें उच्च मूल्य, शीघ्र नष्ट होने वाले उद्यानिकी उत्पाद भी शामिल हैं, का उन्नयन कर निर्यात क्षमता को बढ़ाने तथा परिवहन हानि घटाने का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, 'पूर्वोदय' के माध्यम से पूर्वी भारत का सशक्तीकरण - दशकों तक पूर्ववर्ती सरकारों ने प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न होने के बावजूद पूर्वी भारत की उपेक्षा की। मोदी सरकार का 'मिशन पूर्वोदय', जिसे केंद्रीय बजट 2024-25 में आरंभ किया गया था, वह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को 'विकसित भारत' का वृद्धि इंजन बनाने की दिशा में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा। इसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए, बजट 2026-27 में दुर्गापुर को एक नोड बनाकर एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे, पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन गंतव्यों तथा 4,000 ई-बसों का प्रस्ताव किया गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M.THAMBIDURAI): Please conclude.

श्री बंशीलाल गुर्जर: महोदय, ये जो सारी विशेषताएं इस बजट में दी गई हैं, इनके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत के विकास को और तेज़ गति देने के लिए प्रस्ताव किया है। इसलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय!

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have a point for clarification, which I am submitting before you.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Nothing will go on record.

DR. JOHN BRITTAS: That is the question which Ayodhya Rami Reddyji wants to raise.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Now, Shri Naresh Bansal. ...(*Interruptions*)... Dr. John Brittas, you have already raised the point. I can understand more than you. ...(*Interruptions*)... What he said, I can understand. This is the Finance Bill and the Appropriation Bill. We are discussing both. You know the Finance Bill is very important. You are quite an expert journalist. Especially, you are always fighting for the cause of Kerala. The election is coming. The financial aspect is very important. That is why, they are speaking. If you want to speak, I will give you a chance. You give other names also, we will include. There is no problem. ...(*Interruptions*)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, now, you have raised a very important point. ...(*Interruptions*)... My party got six minutes and our time got exhausted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): I will give time.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, let me submit. ...(*Interruptions*)... Now, you are saying that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): I have understood your point.

DR. JOHN BRITTAS: Now, you are saying that if we want to speak,...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Please listen to me. I can understand. If other Members from your party want to speak, give the names. I will permit you.

DR. JOHN BRITTAS: But, can others speak or not? Will you give chance to others also?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): I will give chance to others also. Let them speak.

* Not recorded.

DR. JOHN BRITTAS: That is not the point. You had earmarked a time limit.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): As the Chair, I am ready to permit. If you give the name, I will allow you to speak. ...(*Interruptions*)...

DR. JOHN BRITTAS: What if I want to speak?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Now, Shri Naresh Bansal.

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड): उपसभाध्यक्ष जी, आज आपने मुझे 'यूनियन बजट, 2026-27' के अंतर्गत प्रस्तुत 'दि एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2026' पर विचार रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह विनियोग विधेयक मात्र खर्च की अनुमति का कोई माध्यम ही नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए किए जाने वाला निवेश है। महोदय, यह बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेकर अंत्योदय तक की यात्रा का दृढ़ संकल्प है। सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाई वैल्यू उद्यमिता, शहरी और ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि आधुनिकीकरण, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, सेवा क्रांति और डिजिटल निर्यात आदि में बड़े निवेश की दिशा तय कर रही है। मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं:

*'कर्म योग की अग्नि में तपकर,
चल जन सेवा के कर्तव्य पथ पर।
आज वह सवेरा आया है,
वैश्विक पंकिल की परिधि में,
जिसने भारत का कमल खिलाया है।'*

उपसभाध्यक्ष जी, एक दशक से अधिक के कठोर तप का आज यह परिणाम है कि जब विश्व के अंदर अर्थव्यवस्थाएँ लड़खड़ा रही हैं, अनिश्चितता है, बड़ी-बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति डाँवाडोल है, पश्चिम एशिया को युद्ध के बादलों ने घेरा हुआ है, दुनिया में आर्थिक संकट की स्थिति है, ऐसे में संकटमोचन भारत सूर्य लाने पर निवेश कर रहा है। हमारा भारत बुलंदी के साथ सात प्रतिशत से अधिक ग्रोथ रेट के विजय रथ पर सवार है, जिसका गंतव्य है विकसित भारत। आज नॉमिनल जीडीपी 357.14 लाख करोड़ तक पहुँची है और 686 बिलियन डॉलर का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है। 57,381.84 करोड़ रुपए का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (ईएसएफ) यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी। वैश्विक वित्तीय एकीकरण में सॉवरेन बॉन्ड के माध्यम से 1,730 करोड़ रुपए जुटा कर यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। 41 प्रतिशत का फंड devolution growth की गाथा में राज्यों की पार्टनरशिप को मजबूत हिस्सेदारी देता है। उत्तराखंड को मिलने वाले फंड में भी लगातार वृद्धि हुई है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए उसकी कुछ चर्चा आवश्यक है। वर्ष 2026-27 के लिए ऋण से जीडीपी अनुपात 55.6 प्रतिशत अनुमानित है, जिसे 2030-31 तक 50 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर ले जाया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 2021 में

यह कहा था कि वे 2025-26 तक डेफिसिट को 4.5 प्रतिशत से कम करके दिखाएंगी। हमने देखा है कि 2025-26 के बजट में उसे हम 4.4 प्रतिशत तक लाने में सफल हुए हैं और 2026-27 में उसको 4.3 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। हमारे यहां कहते हैं - "सत्यं वद, धर्मं चर।" सत्य बोलने के लिए और धर्म मात्र बोलने के लिए नहीं, बल्कि चलने के लिए है। मैं आज इस सदन के माध्यम से उन्हें उनकी धर्मपरायणता के लिए नमन करता हूँ। उन्होंने जो कहा, वह करके दिखाया है। वहीं कांग्रेस में कल्वर रहा है - "असत्यं वद, पापं चर।" वे कहते थे - गरीबी हटाओ, पर करते थे - प्राथमिकता से गरीब को ही हटाओ। उनकी योजनाओं में गरीब का कोई स्थान ही नहीं था। मैंने देखा कि सत्तर के दशक में गरीबी हटाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तब बड़ा नारा लगाया गया - गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब को उसमें कोई स्थान नहीं मिला। मैंने 24 साल बैंक में नौकरी की है। मैंने देखा है कि गरीब आदमी अपना खाता नहीं खोल पाता था, गरीब आदमी बैंक में नहीं आ पाता था। उसके नाम पर वोट तो लिए गए, पर योजनाओं में उसको कोई स्थान नहीं मिला। पहली बार गरीब मां के बेटे, नरेन्द्र मोदी जी ने उनके जनधन खाते खुलवा कर बैंकों में उनको स्थान दिया, उनको आर्थिक गतिविधियों में समावेश किया। पहले जब कोई गरीब बैंक में खाता खोलने जाता था, तो उससे यह पूछा जाता था कि तुम्हारी शिनाख्त कौन करेगा, who will introduce you? इस पर वह बेचारा अपना-सा मुंह लेकर वापस आ जाता था। जब उसी गरीब का खाता कैप लगा कर बैंक के लोगों ने खोला, तब लोगों ने कहा कि मोदी जी यह तो बिना पैसे के खाता खुलवा रहे हैं, बैंकों पर बर्दन बढ़ा रहे हैं, बैंक की स्टेशनरी का खर्चा बढ़ा रहे हैं। लेकिन, हम सबने देखा कि कोरोना काल में भी किस प्रकार से गरीब के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचा कर मोदी जी ने उसको सार्थक करके दिखाया। आज 57 करोड़ जनधन के खाते देश के अंदर हैं, जो गरीब की चिंता करते दिखाई देते हैं और उन खातों में 40 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से गया है, जिससे 4 लाख करोड़ रुपए की देश की बचत हुई है। पहले हमारे एक प्रधान मंत्री कहते थे कि सौ रुपए भेजते हैं, तो पंद्रह रुपए पहुंचते हैं। वे 85 रुपये कहां जाते थे, किसकी जेब में जाते थे, यह किसी को नहीं पता। डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने से वह pilferage रुका है, जेबों में जाने वाला पैसा रुका है और वह देश के विकास में उपयोग हुआ है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज अन्याय और अधर्म को समाप्त कर धर्मपरायणता का एक और उदाहरण देते हुए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र फिर भी कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं? मुफ्त राशन आप भी दे सकते थे, पर आपने नहीं दिया। आपके गोदामों में राशन सड़ता रहा। आपने अगर वह राशन किसी को दिया, तो अपने उन शराब के कारोबारियों को दिया, जिनको औने-पौने दामों पर बेचकर आपने गरीब के मुंह का निवाला छीनने का काम किया। मोदी जी ने वह राशन गरीबों को देकर उनकी hand-holding की है, ताकि वे दोबारा गरीबी रेखा से नीचे जाएं और एक neo middle class खड़ा करने का काम किया है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया है। आज ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ की तरफ भी भारत के ट्रस्ट की विजय हुई है। आज भारत और भारतीय, दोनों मजबूत हुए हैं और बड़े लक्ष्य की हुंकार के लिए तैयार हैं। यह बिल विकसित भारत की मजबूत इमारत का भूमिपूजन है। पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया। हम जिस काम में अच्छे हैं, उसे स्केल किया गया,

स्किल पर काम हुआ और इंडिया की ब्रांड वैल्यू पर काम हुआ। आज इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल तैयार करके भारत में बिज़नेस लाया गया और कैपिटल भी लाई गई। अब मौका और मुहूर्त है कि रणनीतिक फैसलों में निवेश कर देश एक लंबी छलांग मारे। ऐसे में विनियोग बिल के माध्यम से होने जा रहा वह ऐसा निवेश है जो कि रणनीतिक है। जो भारत की अर्थव्यवस्था को टेक्नोलॉजी और स्किल ओरिएंटेड आत्मनिर्भर भारत बनाने और भविष्य के लिए तैयार होने वाले देश के रूप में कंपिटीटिव बनाने का काम करेगा और भारत एक मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में भी सामने आएगा। सरकार ने जो रणनीतिक फैसले लिए हैं, उनमें पहला बायोफार्मा शक्ति है - भारत का लक्ष्य जेनरिक दवाओं के निर्माताओं में आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाला वैश्विक बायोफार्मा लीडर बनना है। मोदी जी के आने के बाद गरीब आदमी गरीबी के कारण दवाओं का उपयोग नहीं कर पाता था। उपसभाध्यक्ष जी, गरीब आदमी दवाओं के अभाव में दम तोड़ता था, जहां 80 करोड़ लोगों को राशन देकर यह किया गया कि गरीब आदमी भूख का शिकार न हो, वह भूख के कारण न मरे, ऐसे ही गरीब आदमी दवा के अभाव में इलाज के कारण न मरे, यह व्यवस्था की गई। जन औषधि केंद्र खोले गए। जहां 2014 से पहले केवल 80 जन औषधि केंद्र थे, वहां 2014 के बाद 12 वर्षों में आज 18,500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं, जिसके माध्यम से गरीब को 50 परसेंट से लेकर 80 परसेंट तक सस्ती दवाएं मिलती हैं और गरीबों के करीब 30 हजार करोड़ रुपये जन औषधि केंद्र से दवाएं खरीदने में बचे हैं। यह मोदी जी की गरीबोन्मुख नीति का परिणाम है। इसी के साथ भारत चिप मैनुफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। हमने सेमी कंडक्टर की फैक्ट्रियां लगाई हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम रक्षा के उत्पादन में भी आगे बढ़े हैं। महोदय, आज मैं डिफेंस की कमेटी में हूँ। मैंने जगह-जगह जाकर मालूम किया। मैं हैदराबाद गया, तो वहां पर जो ब्रह्मोस बन रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ब्रह्मोस, नाग और पिनाक मिसाइलों में स्वदेशीकरण कितना हुआ है? उन्होंने मुझे बताया कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत अब ब्रह्मोस 85 प्रतिशत स्वदेशी है, जो कि 2014 से पहले 35 प्रतिशत स्वदेशी थी और बड़ी जल्दी वह 100 प्रतिशत स्वदेशी होने की ओर अग्रसर है, क्योंकि सेमी कंडक्टर की फैक्ट्रियां लग गई हैं। उस चिप के निर्माण होते ही हम 100 प्रतिशत मिसाइलों का भी स्वदेशीकरण कर सकेंगे। आज भारत डिफेंस के क्षेत्र में मैनुफैक्चरर है, निर्यातक है, जहां पहले हम 2014 से पहले तीन-साढ़े तीन सौ करोड़ का निर्यात करते थे, आज हम 25 हजार करोड़ से ज्यादा का निर्यात कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का स्वदेशी उत्पादन कर रहे हैं, तो रक्षा के क्षेत्र में भी हम सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे हैं। आज भारत दुनिया के लगभग बीस प्रतिशत चिप डिजाइन टैलेंट का घर है। आज हम असेम्बलिंग से आगे बढ़कर पूरी चिप मैनुफैक्चरिंग और IP ओनरशिप की दिशा में चलने का काम कर रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में, जिनका भारत के पास दुनिया का करीब तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व है, लेकिन उसकी एक्सप्लोरिंग नहीं थी, उसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे थे। आज उस ओर भी हम आगे बढ़े हैं। प्रोसेसिंग के लिए जो हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, यह तो वही बात हो गई कि "घर की खेती, पर भूखा बालक"। इसलिए हमारा focus mining, processing, research और manufacturing तक पूरी value chain भारत में ही विकसित करने पर है। High-tech construction machines को अपने देश के निर्माण के लिए इन्हें आयात करना पड़ता है। अब मान लीजिए आप युद्ध पर निकले हैं और तलवार मांगने पड़ोसी के यहां जाएं। पहले यही स्थिति थी। आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए Make in India के अंतर्गत ऐसी

मशीनों का घरेलू निर्माण कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। Electronic component outlay, जिससे पूरा भारत electronic manufacturing ecosystem को विकसित कर रहा है और फिर National Fiber Scheme, Chemical Parks और container manufacturing को मिलने वाला boost बजट के माध्यम से है, जो यह दिखाता है कि कैसे हम ऊंची उड़ान भरते हुए high-value manufacturing पर shift हो रहे हैं। इन सबसे high-paying रोजगार भी भारत में ही मिलेगा। यूपीए ने brain drain की स्थिति पैदा की थी। हमने भारत में रहकर gain कर पाने के अवसर पैदा किए हैं। इस रणनीति में अश्वों के साथ विकसित भारत के रथ में चार पहिए हैं। पहला - Nation First है। रक्षा के लिए 26 हजार 236 करोड़, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए 6 हजार 144 करोड़ है। यह प्रतिबद्धता घरेलू रक्षा उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ मिलाकर यह सुनिश्चित करती है कि 2047 तक भारत की सुरक्षा विदेशी इच्छाओं पर नहीं, बल्कि घरेलू नवाचार पर एक मजबूत, सुरक्षित पूर्व सैनिक समुदाय पर निर्भर होगी।

दूसरा, infrastructure, manufacturing और स्किल आधारित कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का निर्माण।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं, जहां चीन से चुनौती रहती है। ऐसे में जवाब देना तो दूर, यूपीए की सरकार ने उत्तराखंड को ही चुनौतियों के बीच छोड़ दिया था। परंतु आज का चलन दूर, सुदूर गांव तक कनेक्टिविटी देकर उन्हें फर्स्ट विलेज बनाने का है। बढ़ता capex उभरते उत्तराखंड की कहानी लिख रहा है। पहले जो हमारी सीमा से लगे हुए गांव थे, उनको आखिरी गांव कहा जाता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने वहां पर उनको फर्स्ट विलेज कहकर टूरिज्म के लिए बढ़ाया है और वहां पर जो पलायन हुआ था, उसको रिवर्स पलायन में बदला है, जिससे हमारी सीमाओं पर सैनिकों का मनोबल भी बढ़ता है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी से आता हूं, जिसने उत्तराखंड को बनाया भी और संवारा भी है। अटल जी ने उत्तराखंड बनाया था और आज मोदी जी उसको संवारते हैं।

मैं पच्चीस वर्षों के उत्तराखंड का चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अभी हिमाचल गया था। जब मैं हिमाचल में गया, मैंने वहां पर पूछा, तो हिमाचल का बजट 58 हजार करोड़ रुपये का था और हिमाचल के बराबर होने के बाद भी पच्चीस वर्षों के अंदर आज जिस उत्तराखंड ने दस करोड़ लोन लेकर के राज्य प्रारंभ किया था, आज उसका बजट एक लाख ग्यारह हजार करोड़ का है। उसका बजट लगभग दिल्ली के बराबर है। हमने 25 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में इतनी प्रगति की है। जहां 2004 से लेकर के 2014 तक हमें 187 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार से मिलता था, आज 4,617 करोड़ रुपया हमें मिलता है। इस प्रकार से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं उत्तराखंड में क्रियान्वित हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग जैसी महत्वाकांक्षी योजना हमारे tourism को बढ़ाएगी, spiritual tourism को बढ़ाएगी, wellness tourism को बढ़ाएगी, सब प्रकार के टूरिज्म को बढ़ाने का काम करेगी। देहरादून- दिल्ली एक्सप्रेस-वे, जिसका अभी कुछ दिन में ही उद्घाटन होने वाला है। इस कनेक्टिविटी से आज उत्तराखंड की कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी जबरदस्त बढ़ी है। जिसके कारण हमारी सब प्रकार की प्रगति हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा देश में प्रथम स्थान आया है।

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Honourable Members, now, it is 6.00 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6.00 p.m. to allow more speakers to participate in the discussion and also to take up Special Mentions permitted for today. Does the House agree?

SOME HONOURABLE MEMBERS: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Okay. You please wind up now.

श्री नरेश बंसल: मैं खत्म कर रहा हूँ। सर, नीति आयोग के एसडीजी गोल्स में, हमारा प्रथम स्थान आया है। हमने उत्तराखंड में खनन के क्षेत्र में जो सुधारात्मक काम किए हैं, उसमें हमें प्रोत्साहन राशि मिली है। हमें उसमें 200 करोड़ रुपये मिले हैं। परिवहन, जो 25 सालों से घाटे में था, हम उसको प्रोफिट में लेकर आए हैं। हम देश के 10 टॉप राज्यों में सरप्लस बजट देने वाले राज्य बन गए हैं। डबल इंजन की सरकार में इस प्रकार से काम हुए हैं। सर, अभी मेरा समय है। मैं अभी कन्क्लूड कर रहा हूँ। तीन-चार बार मना होने के बाद बड़ी मुश्किल से समय मिला है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, दस हजार प्रमाणित टूरिस्ट गाइड्स के प्रशिक्षण से स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आज भारत में होने वाला हर निर्माण देश के पुनर्निर्माण का साक्षी बनेगा। मैं एमएसएमई के लिए कहना चाहूंगा कि आज विकसित भारत के लिए एक जीवन्त और तकनीक सक्षम एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकता है। एमएसएमई के लिए मांगे गए 3,788 करोड़ और सिडबी के लिए 3,000 करोड़ के लक्ष्य की बात है। इस क्षेत्र में कार्यरत 11 करोड़ नागरिकों के लिए ऋण के अंतर, क्रेडिट गैप को पाटना है। टियर-टू और टियर-थ्री शहरों में ग्रोथ हब बनाने का संकल्प छोटे उद्योगों को ही नहीं, बल्कि भारत को भी चैंपियन बनाने वाला है।

महोदय, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कहूं तो यह उत्तराखंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल राज्य के लिए अवसर हैं और इसमें मैनुफैक्चरिंग को भी बल मिलेगा। भारत एक सर्विसेज पावरहाउस बना है। सेवा निर्यात अप्रैल-जनवरी 2025-26 के बीच 354.13 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। पहली बार सेवा निर्यात हमारी कुल जीडीपी का 10 प्रतिशत है। उद्योग मित्र बनाने की घोषणा में अब एमएसएमई ऑर्गनाइज होकर उद्यम पोर्टल से भी जुड़ेंगे और ग्लोबली स्पर्धा भी कर सकेंगे। डिजिटल लेन-देन का दबदबा, अकेले जनवरी 2026 में यूपीआई ने 21.7 बिलियन डॉलर, 28.33 लाख करोड़ संसाधित किए हैं, जो विश्व स्तर पर होने वाले सभी रियल-टाइम भुगतान का लगभग आधा है। बजट में शिक्षा को एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ने के साथ ही हर क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग पर दिया गया विशेष जोर, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी को भी बिल्ड करेगा। आज देश का युवा आकांक्षी है और देश महत्वाकांक्षी है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी भी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए ऐसे में मैं यही कहूँगा कि:

*“उद्यमिता के पंख लगाकर उड़ने को युवा तैयार है।
कह दिया है विश्व से हमने, हर चुनौती हमें स्वीकार है।”*

महोदय, तीसरा बिंदु है — ‘सबका साथ, सबका विकास।’ सबको साथ लेकर चलने का प्रधानमंत्री जी का विजन इस बजट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसमें कृषि आधुनिकीकरण में व्यावसायिक कृषि की ओर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना और किसानों को 14.27 लाख करोड़ का स्थानांतरण देना है। यह कृषि को व्यावसायिक बनाने की दिशा में उठाया गया एक आवश्यक कदम है। उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा तथा उर्वरक स्टॉक को 26 प्रतिशत बढ़ाकर 163 लाख मीट्रिक टन करना एक रणनीतिक निर्णय है। इस समय जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है, उसमें भी जो दस-बारह वर्षों में काम हुए हैं, जैसे हमारे छह फर्टिलाइजर के कारखाने प्रारंभ हुए, जो पहले बंद हुए थे। इसी प्रकार से हमने एथनॉल की 20 परसेंट ब्लेंडिंग की, जो पहले 1-1.5 परसेंट थी। इससे हमारा डीजल-पेट्रोल का करोड़ों लीटर कंजम्पशन बचा है। आज की जो वैश्विक परिस्थिति बन रही है, उसमें भी जहाँ हम रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से एलपीजी, डीजल और फर्टिलाइजर लाने में सफल हो रहे हैं, वहाँ हमने अपना उत्पादन भी बढ़ाया है और उसे डाइवर्सिफाई भी किया है। भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद कृषि उत्पादकता उच्च बनी है। यह खाद्य सम्प्रभुता राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। भारत अपनी आबादी का भी पेट भर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिन देशों को आवश्यकता है, उन्हें निर्यात भी कर रहा है। अभी हमने युद्ध के समय में भी ईरान को दवाइयाँ आदि भेजी हैं। मैं आज ही देख रहा था कि ईरान के दूतावास ने भारत की मानवता और करुणा की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और कहा है कि हम इसे कभी भूल नहीं सकते। यह है - मोदी है तो मुमकिन है।

महोदय, जहाँ तक मातृ शक्ति की बात है, तो अब बहनों को लखपति दीदी से शी-मार्ट एंटरप्राइज मालिक बनाने का संकल्प है। जहाँ तीन करोड़ लखपति दीदी बनाई गई हैं, वहीं अब उन्हें उद्योगपति बनाने के लिए कि आने वाली कम्पनियों में वे डायरेक्टर बनें, मैनेजिंग डायरेक्टर बनें, इस ओर मोदी जी की सरकार काम कर रही है।

महोदय, मैं चौथी बात रिफॉर्म एक्सप्रेस के बारे में कहना चाहता हूँ। आज ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और ईज ऑफ़ लिविंग पर जोर है। हमने जीएसटी 2.0 के माध्यम से रिफॉर्म किए हैं, जिनके द्वारा 28 परसेंट और 12 परसेंट के जीएसटी रेट को समाप्त किया है और उसे 18 परसेंट और 5 परसेंट किया है। साथ ही, 90 परसेंट चीजों से तो जीएसटी समाप्त ही हो गया है।

नई आयकर व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। हमने पिछले बजट में ही मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक की टैक्स-फ्री इनकम करके दिखाई, जिसे लोग मानते भी नहीं थे, समझते ही नहीं थे कि यह किस प्रकार से होगा। इसके माध्यम से जहाँ मिडिल क्लास की, सर्विस क्लास की 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री हुई है, वहीं ऐसे सीनियर सिटीजन, जिनके

पास केवल रेंटल इनकम है, कोई और इनकम नहीं है, उनकी 17 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री हुई है।

उपसभाध्यक्ष जी, हमने श्रम कानूनों में सुधार किए हैं। जो 29 अलग-अलग कानून थे, उन्हें चार कोड में बदल करके, हमने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, उनके वेतन और उनके लिए सभी तरह के प्रावधान किए हैं। साथ ही, इंडस्ट्री भी चले, यह भी ध्यान रखा है। जन विश्वास पहल के तहत, 300 से अधिक आपराधिक प्रावधानों का गैर-आपराधीकरण किया है। अंग्रेजों के जमाने के दो हजार के लगभग ऐसे कानून थे, जिन्हें हमारी न्यायपालिका, हमारे व्यापारी, हमारे नागरिक बेकार में ढो रहे थे, उन्हें समाप्त किया है। अंग्रेजों के जमाने की संहिताएं, इंडियन पीनल कोड, एविडेंस कोड, हमने इन्हें बदला है। तीन न्याय संहिताएं भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के हित में बनाई गई हैं। इस प्रकार से हमने व्यापक सुधार किए हैं। हमारी सरकार रोडब्लॉक्स में नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक्स में इन्वेस्ट करती है। आज व्यवसाय को दंडित नहीं, काबिलियत को मंडित किया जाता है। पॉलिसिंग बेस्ड सिस्टम को परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम बनाया जा रहा है। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह व्यवधान का नहीं, समाधान का काल है। आज कंसोलिडेटेड फंड से निकला एक-एक रुपया ग्रोथ के वटवृक्ष का बीज है। पहले कहते थे कि दिल्ली से चला एक रुपया लोगों तक घिसता हुआ पहुंचता है, जबकि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा सीधे भारत के सामान्य मानव की जेब में पहुंचता है। पहले की सरकारों की जेब काटने में स्पेशलाइजेशन थी, हमारा गरीब की जेब तक पैसा पहुंचाने का संकल्प है। वे देश में अनिमियाताये करते थे, हम दिल जीतना जानते हैं, सेवा करते हैं, उनकी हैंडहोल्डिंग करते हैं। बिल के माध्यम से एक ऐसे भारत की नींव रखने जा रहे हैं, जो विकसित होगा, वैश्विक महाशक्ति होगा और जहाँ का जन-जन सुखी, सक्षम, समृद्ध और सशक्त होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ:

“है पुकार रही मां भारती,
मत भिन्न मन एक करना होगा,
कह रहा शंखनाद उत्तिष्ठ भारत,
हमें कदम मिलाकर चलना होगा।”

THE VICE-CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Shriman Govindbhai Laljibhai Dholakia; not present. Shriman Ram Chander Jangra.

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एप्रोप्रिएशन (नंबर 2) बिल, 2026 के ऊपर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है। मेरे से पूर्व माननीय सांसदों ने काफी आंकड़ों के ऊपर और बजट के मुख्य जो विशेषताएं हैं, उनके ऊपर भी बात की है। मान्यवर, आमतौर पर बजट के विषय में लोग अनुमान लगाते हैं कि इसमें करों में क्या छूट दी गई है, कर किस वस्तु के ऊपर बढ़ाया गया है, इनकम टैक्स में कितनी छूट दी गई है या मुफ्त की

योजनाएं कितनी बनाई गई हैं। यह बजट उन बातों के ऊपर फोकस नहीं करता है। इस बजट का मुख्य लक्ष्य 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।

मान्यवर, अगर बजट को किसी विशेष वोट बैंक को, किसी क्षेत्र विशेष को लक्ष्य करके बनाया जाएगा कि हमें इसके माध्यम से कोई राजनीतिक लाभ मिल सकता है, तो हम उसको संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण का बजट नहीं कह सकते। वह एक वोट बैंक का बजट हो सकता है। 2014 के बाद से इस परिपाटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब भी देश का बजट बनता है, तो देश के संपूर्ण विकास के लिए बजट बनता है। किसी वोट बैंक को लक्ष्य करके बजट नहीं बनता है। पीछे का अगर इतिहास देखेंगे, तो हमारे देश में राजनैतिक लाभ के लिए जो एक मुफ्त का कल्चर चला, उसने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। हम चुनाव के पूर्व घोषणाएं कर देते हैं कि अगर हम सत्ता में आए, तो बिजली फ्री दे देंगे, अगर हम सत्ता में आए, तो आपके बिजली के बिल माफ कर देंगे, अगर हम सत्ता में आए, तो आपका कर्जा माफ कर देंगे। इस किस्म की जो मुफ्त के कल्चर की बात होती है, उसके माध्यम से बजटों का निर्धारण होता रहा है। उसके कारण आज राष्ट्र के अंदर बहुत सी समस्याएं पैदा हुई हैं। आज हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं? उन चुनौतियों को हम किस तरह से बजट के अंदर प्रावधान करके, लक्ष्य बनाकर उन चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं? आज हम हमारे सामने समस्याएं क्या हैं? उन समस्याओं के समाधान के लिए बजट के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं? यही बजट का एक मुख्य लक्ष्य होता है। यही बजट की एक सुंदरता होती है।

मान्यवर, देश के सामने पर्यावरण की एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि वह वायु सांस लेने के लायक नहीं रहती है। पीछे इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। मैं उसी को फिर रख रहा हूँ। जो देश के बड़े-बड़े शहर हैं, चाहे मुंबई है, चाहे चेन्नई है, चाहे कोस्टल एरिया है, वहां जब भी बारिश होती है, तो शहर भी एक किस्म का समुद्र बन जाता है। वहां वाटरलॉगिंग की समस्या आती है। कितना ही हमारा जो खेती का क्षेत्र है, वह थोड़ी वर्षा के बाद ही जलमग्न हो जाता है, बाढ़ का क्षेत्र हो जाता है। आज अगर हम गांव के अंदर भी देखते हैं, तो किसी तालाब में भी पीने के लायक पानी नहीं बचा है। कभी हम तालाबों में नहाते थे। गांव में ही हम पैदा हुए हैं। हम वृक्षों के ऊपर से तालाब के अंदर छलांग लगाते थे और वहां नहाते थे। पशु भी तालाबों से पानी पीते थे। आज गांव के तालाब बहुत प्रदूषित हैं। आज गांव के तालाब इतने प्रदूषित हैं, पशु के पानी पीने की बात छोड़िए, अगर गलती से पशु उस तालाब के अंदर एंटर कर जाए, तो ट्रैक्टर से रस्सा बांध कर निकालना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत है!

मान्यवर, अब देखने की बात यह है कि ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हुई हैं। मैं इसमें एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा मैं कह रहा था, जब ये लोक लुभावनी और मुफ्त कल्चर की घोषणाएं होती हैं और चुनाव से पहले कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, जिनके माध्यम से राष्ट्र का कितना ही नुकसान हो, लेकिन हमें चुनाव में वोट मिल जाए, तो ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं बात करूंगा, बहुत समय पहले हमारे हरियाणा में ही एक नेताजी ने कह दिया कि हम सत्ता में आए, तो हम सबके कर्जे माफ कर देंगे। अब लोगों ने कर्ज इसलिए ले लिया कि भरना तो है ही

नहीं, माफ तो हो ही जाना है। मतलब कर्ज किसी काम करने के लिए नहीं लिया गया, कर्ज लेने का टारगेट ही यह था कि ले लो, यह भरना तो है ही नहीं, माफ हो जाना है। किसी ने घोषणा कर दी कि हम बिजली फ्री कर देंगे। पंजाब के अंदर एक बार ऐसी घोषणा हुई थी कि हम बिजली फ्री कर देंगे। अब वे लोग सत्ता में भी आ गए। अब बिजली आने लगी दो घंटे, फिर लोगों ने कहा कि नेताजी, यह क्या है, बिजली तो दो घंटे भी नहीं मिलती, सारी रात मच्छर काटते हैं, सारे दिन हम पसीने के अंदर तरबतर रहते हैं! फिर वे कहते हैं कि मुफ्त में तो इतनी ही मिलेगी। फ्री की कल्चर तो ऐसी ही होती है।

इसी तरह, जैसे मैं हरियाणा प्रदेश की चर्चा कर रहा था, पहले घोषणा कर दी कि हम सत्ता में आए, तो सबका कर्जा माफ कर देंगे। अब लोगों ने कर्जा इसलिए ले लिया कि यह भरना तो है ही नहीं, माफ तो हो ही जाएगा। लेकिन जब बैंकों से नोटिस गए कि आपकी जमीन जब्त की जाएगी, बैंक को दे दी जाएगी और जब लोग वहां पर गए कि नेताजी, यह क्या हुआ, आप तो कह रहे थे कि कर्जा माफ कर देंगे, तो वे कहते हैं कि अपना कर्जा आप भरो और नेताजी को माफ करो। कर्जा माफी नहीं हुई। यानी इस किस्म से इस देश के अंदर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए घोषणाएं की गईं, इसके कारण सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने इन बातों के ऊपर काफी चर्चा की है। अभी जैसे मैं बिजली की बात कर रहा था, 2014 में हरियाणा में भी पहली बार बीजेपी की सरकार आई। हालात ये थे कि वहां गांव के अंदर दो घंटे बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन आज के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री, हमारे माननीय मनोहर लाल जी उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, बिजली के ऊपर बहुत काम किया गया। 'मेरा गांव जगमग गांव' के नाम से योजना चलाई गई; सभी गांवों के अंदर बाहर खंभे के ऊपर मीटर लगाया गया; बिजली का बिल भरने के लिए इंसेंटिव्स दी गईं, प्रेरणाएं दी गईं; पीछे के उनके जो एक्स्ट्रा चार्जज लगे हुए थे, वे माफ किए गए; बिजली निगमों में बिजली के उत्पादन में सुधार के लिए योजनाएं शुरू की गईं; और आज मैं कह सकता हूं कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें 24 घंटे बिजली मिलती है। यह होता है देश का विकास! आप मुफ्त की घोषणा कर देंगे, तो लोग क्या करते हैं? हमने देखा है, आपने घोषणा कर दी कि हम बिजली माफ कर देंगे, मुफ्त में बिजली दे देंगे, तो 'माले मुफ्त दिल-ए-बेरहम', मुफ्त का माल बेरहमी से खर्च किया जाता है। मुफ्त के माल को लोग इसी तरह से खर्च करते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे उदाहरण देखे कि गांव में ऊपर पानी की टंकी है, एक डंडे के ऊपर तार लपेटी, बिजली के खंभे के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन किया और टंकी के अंदर वह तार छोड़ दी, ताकि सारा पानी गर्म हो जाए और गर्म पानी से सारा घर नहाता रहे, क्योंकि बिजली का बिल तो आना नहीं है। 'माले मुफ्त दिल-ए-बेरहम'। लेकिन उससे क्या होता है कि जिस ट्रांसफार्मर के ऊपर 100 किलोवाट का लोड है और हमने 400 किलोवाट का लोड कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मर जल जाता है। फिर कई दिनों तक ट्रांसफॉर्मर चेंज नहीं होता और फिर लोग चिल्लाते रहते हैं। यह स्थिति, राजनीतिक लोग तात्कालिक लाभ के लिए जो ऐसी घोषणाएं करते हैं, इसके कारण ये समस्याएं पैदा होती हैं और देश का विकास अवरुद्ध होता है। मान्यवर, भारत के अंदर 2014 के बाद से, जब से नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए यह सरकार बनी है, तब से अगर हम एक-एक योजना की समीक्षा करें, तो पाएंगे कि किसी वोट बैंक को टारगेट करके योजना नहीं बनाई गई है, वोट बैंक को टारगेट करके बजट के अन्दर प्रावधान नहीं किया गया है,

बल्कि समग्र विकास के लिए देश के बजट का निर्माण किया गया है, पैसों का निर्धारण किया गया है। अभी मेरे से पूर्व नरेश बंसल जी बात कह रहे थे। एक दिन हम पढ़ रहे थे कि जब रशिया के अंदर कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है, तो वह पूरे देश का भ्रमण कर चुका होता है, उसे अपने पूरे देश के बारे में पता होता है, लेकिन हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर जाते हैं, लेकिन उनको अपने प्रदेश का भी पूरा पता नहीं होता है। अब इसके लिए भारत सरकार ने कितने ही ऐसे कॉरिडोर विकसित किए हैं और उसके साथ-साथ, जैसे बंसल जी भी कह रहे थे, 10,000 युवाओं को गाइड का प्रशिक्षण देने का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है, ताकि वे अच्छी तरह से – आज हमारे देश में जो तीर्थाटन है, वह मात्र तीर्थाटन नहीं रहा, बल्कि वह उसके साथ-साथ टूरिज्म भी हो गया है। हम हरिद्वार में कभी न कभी केवल गंगा स्नान के लिए जाते थे, लेकिन आज लोग हरिद्वार केवल गंगा स्नान के लिए ही नहीं जाते, बल्कि टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। वहां ठहरने के लिए फाइव स्टार होटल भी बन चुके हैं। तो देश का यह विकास है कि यहां तीर्थाटन के साथ-साथ टूरिज्म का भी विकास हुआ है। इसके लिए जो हमारे देश के प्रमुख तीर्थ हैं, उनको कैसे रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाए और उनके समुचित विकास के लिए बजट के अंदर क्या-क्या प्रावधान हों, तो इस बजट के अंदर उन सब के लिए राशि रखी गई है। चाहे वह वाराणसी के काशी विश्वनाथ का हो, या अपने तेलंगाना में, हैदराबाद में जितने भी हमारे तीर्थस्थल हैं, उनका हो या देश में किसी भी कोने में जितने भी हमारे तीर्थस्थल हैं, उन सबका हो – जैसे, इसमें मैं अभी जिक्र कर रहा था कि सबको आपस में जोड़ कर, उनको एक रैपिड रेल के साथ जोड़ने की व्यवस्था की गई है, ताकि पूरे देश के लोग उनको जान सकें, देश की संस्कृति को जान सकें।

महोदय, मैंने पिछले अपने वक्तव्यों में भी जिक्र किया था कि अभी मेरे हरियाणा के राखीगढ़ी के अंदर खुदाई चल रही है। वहां हड़प्पाकालीन संस्कृति थी। मान्यवर, हमारे हरियाणा प्रदेश में 8,000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन संस्कृति मिली है। उसके साथ-साथ लोथल, धौलावीरा, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह महल सहित सभी पुरातात्विक स्थलों को ethnic, vibrant and experiential culture destinations के माध्यम से - ताकि लोगों को जीवंत अनुभव हो, उनको उसी स्थान पर जाकर देख सकें कि इस भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है और हमारे देश की संस्कृति कितनी समृद्ध थी। यह जानकारी देश के प्रत्येक बालक को, प्रत्येक स्टूडेंट को हो सके, इस बजट के अंदर उन बातों का प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, लंबे समय से इस देश के अंदर क्लर्कों के निर्माण की शिक्षा चलती रही, मैकाले की शिक्षा पद्धति चलती रही और उसके माध्यम से देश में क्लर्क पैदा होते रहे। उस शिक्षा का परिणाम क्या आया? आज एक graduate, post-graduate student के हाथ में कोई हुनर नहीं होता है। वह peon की नौकरी के लिए apply करता है, ताकि उसका गुजर-बसर हो जाए। यानी यह एक देश के लिए शर्म का विषय है। अगर कोई graduate और post-graduate student एक peon की नौकरी के लिए apply करता है, उसके हाथ में कोई हुनर नहीं होता है, तो उस शिक्षा के क्या मायने हैं? इस बजट के अंदर देश के 15,000 विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रावधान किया गया है, टेक्निकल एजुकेशन का प्रावधान किया गया है, ताकि मेरे देश का कोई भी graduate या post-graduate student वहां से निकले, तो उसके हाथ में भी एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि वह सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाए, बल्कि वह

अपना कोई न कोई काम-धंधा विकसित करके अपनी रोजी-रोटी कमा सके, अपना गुजारा कर सके। यही तो शिक्षा की सार्थकता है। मान्यवर, किसी को केवल क्लेरिकल ज्ञान दे दिया गया और एक post-graduate लड़का एक चपरासी की नौकरी के लिए apply करता हो, तो उस शिक्षा के मायने क्या हैं? मैं यह बात कह रहा था कि देश की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं.. देश के अंदर बीमारी कहाँ पर है, उस बीमारी के निराकरण के लिए बजट के अंदर क्या प्रावधान है। यही बजट की एक सुंदरता होती है। यही बजट की विशेषता होती है।

मान्यवर, जैसे मैं कह रहा था कि इस बजट के अंदर केवल लोक-लुभावन घोषणाओं की बात नहीं है। भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है और देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, लेकिन कृषि की देश की जीडीपी में जो भागीदारी थी, आज वह धीरे-धीरे करके घट रही है। हमने लंबे समय तक एक शिक्षा के माध्यम से सर्विसेज सेक्टर में तो पूरी दुनिया को सर्विस दे दी। आज अगर आप बाहर जाएँगे, तो आपको भारत के इंजीनियर अमेरिका में मिल जाएँगे, भारत के प्रोफेसर अमेरिका में मिल जाएँगे, कनाडा में मिल जाएँगे, इंग्लैंड में मिल जाएँगे, भारत के डॉक्टर वहाँ पर मिल जाएँगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पर मिल जाएँगे। हमने सर्विसेज सेक्टर में तो पूरी दुनिया को सेवाएँ दे दीं और देश की 50 प्रतिशत जीडीपी सर्विस सेक्टर के ऊपर निर्भर हो गई। आज उसके कारण क्या हुआ? सॉफ्टवेयर कंपनियाँ खड़ी हो गई। आज हम हैदराबाद जाएँ, यहाँ दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम है, वहाँ कंक्रीट की दीवारें खड़ी हो गई, कंपनियों ने अपने ऑफिसेज बना लिए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का जो वास्तविक आधार था, हम गुड्स का निर्माण करते थे और उनका निर्यात करते थे, उस विषय में लंबे समय से देश में कोई चिंता नहीं की गई। खासतौर पर 2014 के बाद से जितने भी बजट रखे गए हैं और उस बजट के अंदर भी स्वदेशी, यानी प्रत्येक वस्तु का निर्माण भारत के अंदर हो, भारत आयातक नहीं, निर्यातक हो, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात की कि हम सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हर छोटी-सी-छोटी चीज बाहर से आयात करते रहे। मैंने पीछे भी यह उल्लेख किया था कि भारत के अंदर बेरोजगारी क्यों हुई? यह इसलिए हुई, क्योंकि शिक्षा में वोकेशनल, टेक्निकल, जो एक रुझान था, वह चला गया और देश को क्लेरिकल शिक्षा दी जाती रही। जब कभी भी कोई जरूरत पड़े, जैसे पिस्टल की जरूरत पड़े, तो स्पेन से मँगा लो, चक्कू की जरूरत पड़े, तो इंग्लैंड से मँगा लो, कार की जरूरत पड़े, तो जापान से मँगा लो, कंप्यूटर की जरूरत पड़े, तो जापान से मँगा लो, घड़ी की जरूरत पड़े, तो स्विट्जरलैंड से मँगा लो। फिर देश का कारीगर क्या करता? देश का कारीगर तो निहत्था हो गया। अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी कि इस देश का कच्चा बाहर ले जाकर और वहाँ से निर्माण करके इसी देश में फिर निर्यात कर दें, वही नीति आजादी के बाद भी चलती रही और धीरे-धीरे इस देश का कारीगर समाज ओबीसी की सूची के अंदर आ गया, पिछड़े वर्ग की सूची में आ गया, जो कभी-न-कभी अग्रणी सूची के अंदर था और देश की अर्थव्यवस्था का आधार था। इसका मैंने पहले भी उल्लेख किया था। आज देश के जितने भी कारीगर क्लास के लोग हैं, जिनको विश्वकर्मा जातियाँ बोलते हैं, उनका अगर हम पूरे देश के अंदर निरीक्षण करेंगे, तो वे ओबीसी की सूची के अंदर आ रहे हैं। जो लोग एक-एक चीज का निर्माण करते थे और पूरी दुनिया के अंदर उनका निर्यात होता था, आज वे आर्थिक रूप से पिछड़ कर सामाजिक रूप से भी पिछड़

गए। उनके सामने देश के अंदर यह परिस्थिति आ गई। इस बात की तरफ आजादी के बाद ध्यान ही नहीं दिया गया। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई और 2014 के बाद से लक्ष्य इस ओर किया गया। प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे देश के विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं, चाहे बढ़ई हैं, चाहे लोहार हैं, चाहे सुथार हैं, चाहे कुम्हार हैं, चाहे स्वर्णकार हैं, चाहे ठठेरा हैं - ये लोग ही देश के असली निर्माता हैं और यही देश में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। यही लोग देश में 'मेक इन इंडिया' का सपना साकार करेंगे। यह बात भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने बार-बार अपने संबोधन में कही है। अब सवाल पैदा होता है कि इन लोगों के हाथ में स्किल देने के लिए क्या योजनाएँ बनाई गई हैं? ये लोग अपना धंधा स्थापित करें, इसके लिए बजट में क्या प्रावधान है? आज तक कभी इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और किसी बजट के अंदर इसके लिए प्रावधान ही नहीं किया गया। इस बजट के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए और देश के अंदर कारीगर क्लास के जो लोग हैं, वे अपना काम-धंधा स्थापित कर सकें, उसके लिए without any collateral गारंटी ऋण देने की व्यवस्था की गई है ताकि देश के अंदर प्रधान मंत्री जी का आत्मनिर्भरता का जो सपना है, वह पूरा हो और हर चीज का निर्माण इस देश के अंदर हो। मान्यवर, अब मैं खेती की बात करूंगा। हमारे देश के अंदर एक समय ऐसा था जब हमारे पास खाने के लिए पूरा अनाज नहीं था। फिर, देश में हरित क्रांति आई, बीजों का विकास हुआ, पेस्टीसाइड्स आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, सिंचाई के साधन बढ़े, ट्यूबवेल्स बढ़े, देश के किसान ने मेहनत की और आज 140 करोड़ की आबादी में इतने बड़े जनसमूह को मुफ्त में अनाज देने के बाद भी भारत के पास सरप्लस अनाज है। वह विदेशों को भी अनाज निर्यात करता है और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आज भारत है। मान्यवर, हरित क्रांति के साथ-साथ खेती के एक ऐसे सिस्टम के ऊपर हमारे देश का किसान चल पड़ा, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी की consumption हो और ज्यादा से ज्यादा खेती के अंदर लागत आए। उसके बाद क्या हुआ? किसान की बात तो वाजिब है, उसको एमएसपी मिलनी चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उसकी डिमांड वाजिब है और वह सरकार दे रही है। हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है और पूरे देश में भी माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प है कि हम किसान की आमदनी को दोगुनी करना चाहते हैं और उस तरफ कदम बढ़ाए गए हैं। लेकिन, कई क्षेत्रों में जमीन की उत्पादक क्षमता खत्म हो गई और बिना यूरिया के इस्तेमाल के जमीन के अंदर से कुछ पैदावार हम ले ही नहीं सकते। खाद्यान्नों की गुणवत्ता के ऊपर भी इतना असर पड़ा कि बहुत से खाद्यान्न खाने के लायक नहीं रहे। आज पंजाब में कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई है, हर आदमी डायबेटिक है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई हार्ट अटैक का मरीज है। यानी, इस तरह से छोटी-छोटी उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से सोचा। उन्होंने देखा कि हमारा देश मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, हिंदुस्तान मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो क्यों न हम किसान को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करें। हमारे देश का एक बड़ा बजट यूरिया के आयात पर खर्च होता है, डीएपी के आयात के ऊपर खर्च हो जाता है। आज पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति के कारण हमारे कितने ही जहाज बीच रास्ते में ही रुक गए। उधर से हमारा यूरिया-डीएपी वगैरह भी आता था। फसल की बुआई के लिए डीएपी चाहिए, फिर उसके बाद यूरिया चाहिए। यह स्थिति अब पैदा न हो,

इसके लिए गांव के अंदर पशुधन का विकास हो, पशु का गोबर और मूत्र, इन दोनों से हम स्वदेशी खाद के माध्यम से प्राकृतिक खेती करें, जिसमें खाद्यान्न की गुणवत्ता भी बढ़े, देश में बीमारियों की समाप्ति भी हो और उसके साथ-साथ देश का जो बहुत बड़ा बजट यूरिया और डीएपी आयात पर खर्च होता है, वह पैसा देश के विकास के ऊपर लगे, इस ओर बजट के अंदर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। मान्यवर, मैं कह सकता हूँ कि आज पूरी दुनिया को जी20 के माध्यम से हमारे देश के प्रधान मंत्री ने समझा दिया कि खाद्यान्न के मामले में जो मोटा अनाज है, वह सेहत के लिए सबसे बढ़िया अनाज होता है। जी20 में पूरी दुनिया से कई देशों के जो प्रतिनिधि आए, उनको प्रधान मंत्री जी ने वह अनाज दिखाया, खिलाया और दुनिया तथा देश को यह बता दिया कि अगर हमें अपनी सेहत अच्छी रखनी है, तो खाद्यान्न में मिलेट्स का उपयोग कीजिए, मोटे अनाज को खाइए। इस बजट के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसान को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

[THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK) *in the Chair.*]

महोदया, आजादी से पहले भारत जब एक था, तो हमारे देश में हथकरघा उद्योग बहुत ही विकसित उद्योग था। कहते हैं कि ढाका की मलमल इतनी मशहूर थी कि जुलाहा एक मलमल के थान को अंगूठी के अंदर से गुजार देता था। उस समय हस्तशिल्प के माध्यम से हमारे हथकरघा उद्योग की इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी। लेकिन, अंग्रेजों के कालखंड के अंदर विदेशी कंपनियों में से कपड़े के उत्पादन की पहली कंपनी सूरत के अंदर लगी तथा हमारे देश का बाकी मलमल और कपास इंग्लैंड में जाता रहा और वहां से उसका कपड़ा बनकर हमारे देश में आता रहा। इस तरह, हमारे देश का जुलाहा बेरोजगार हो गया। आजादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ, तो वह टेक्नोलॉजी, जो आज बंगलादेश के अंदर तो है ही, लेकिन वह हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, क्योंकि मैं वहाँ खुद गया हूँ। मैं जब हरियाणा प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस कल्याण निगम का चेयरमैन था। उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे देश में जितने भी अलग-अलग राज्यों के कल्याण निगम हैं, उनके कार्यों को जाकर देखूँ और कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिनके हाथों में यह टेक्नोलॉजी है — उन्हें कैसे दोबारा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित किया जा सकता है और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से मैं वाराणसी गया। वहाँ वाराणसी के बाहर मैंने जुलाहों के क्लस्टर में जाकर उनके घरों के अंदर खड़ियों को देखा। उन्होंने मुझे बताया कि हम एक साड़ी को हाथ से तैयार करने में कम से कम 10 दिन लगा देते हैं और हमें लगभग 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है, यानी 10 दिन में 4,000 रुपये मिलते हैं। उस साड़ी के अंदर लगभग 3,000 रुपये का मैटीरियल लगता है और 4,000 रुपये बनाने का खर्च आता है। इस तरह वह साड़ी 7,000 रुपये में तैयार होती है। लेकिन जब वही साड़ी फिनिशिंग के बाद शोरूम में जाकर बिकती है, तो 20,000 से 25,000 रुपये तक की बिकती है। यानी जो व्यक्ति उस साड़ी को बनाता है, उसे केवल 400 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। उसका पूरा परिवार दिन-भर खड़ी पर मेहनत करता है और जो व्यक्ति उसे मैटीरियल देता है, वह उसी साड़ी को अपने शोरूम पर ले जाकर 25,000 से 30,000 रुपये तक बेचता है। मैं कहूँगा कि देश के अंदर यह एक बड़ा अन्याय है। निर्माता, जिसके पास सारी टेक्नोलॉजी है, उसका परिवार दिन-भर मेहनत करता है, वह तो दिन में 400 रुपये कमाता है और जो 3,000 रुपये का मैटीरियल देकर उसे तैयार करवा लेता है, वह

उसी साड़ी को बेचकर 20,000 रुपये कमा लेता है। उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको रॉ मैटीरियल खरीदने के लिए, उन्हें मशीनरी और आधुनिक टेक्नोलॉजी देने के लिए क्या किया गया, वे हाथों से ही साड़ियां बनाते रहे। उन्होंने बताया कि अगर हमें 3 लाख रुपये का लोन मिल जाए, तो हम हाथ से चलने वाली खड़ी की जगह मशीन से वही साड़ी, जो हम 10 दिन में बनाते हैं, उसे डेढ़ दिन में तैयार कर सकते हैं। इससे हमारी लागत घट जाएगी और मजदूरी फिर भी 4,000 रुपये मिल जाएगी। इन विषयों पर देश में लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से इन एक-एक चीज़ पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है कि देश के जुलाहे को कैसे काम दिया जाए, देश के बढ़ई को कैसे काम दिया जाए, देश के स्वर्णकार को कैसे काम दिया जाए, देश के कुम्हार को कैसे काम दिया जाए। ये सभी छोटे-छोटे शिल्पकार केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आधार थे। इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। वर्ष 2014 के बाद से लगातार जितने भी बजट बने हैं, उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

महोदय, इस बजट के अंदर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए ब्रांड निर्माण, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, कौशल विकास, प्रक्रिया की गुणवत्ता तथा उत्पादन में सुधार के द्वारा एक सुदृढ़ विकास करके बुनकरों, ग्राम उद्योगों, “एक जिला, एक उत्पाद” ...(समय की घंटी)... (One District, One Product) जैसी पहल के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, मेरा बोलने का समय कम है, लेकिन यह विषय काफी लम्बा है।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

श्री रामचंद्र जांगड़ा: आप मेरी पार्टी के समय में से काट लीजिए। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के कारीगरों और शिल्पकारों में हुनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज समय की आवश्यकता है क्या है? एक गाँव के अंदर बढ़ई बहुत अच्छा हल बनाना जानता है, लेकिन अब हल की डिमांड नहीं है। वह बहुत अच्छी बैलगाड़ी बनाना जानता है, लेकिन बैलगाड़ी की डिमांड नहीं है। जब तक हम उसे आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे, तब तक वह अपने हुनर का विकास देश के अंदर कैसे दिखाएगा? आज जो समय की आवश्यकता है - इलेक्ट्रिकल चीज़ें आ गई हैं। आज हमें चटनी बनानी हो या मसाला पीसना हो, तो घर में मिक्सर के माध्यम से पीसते हैं। पहले सोटा होता था, उसके माध्यम से हमारी माताएं दूध भी बिलोया करती थीं, हाथ से हमारी माताएं रई चलाया करती थीं। आज इलेक्ट्रिक माध्यम से सारा काम होता है। इलेक्ट्रिक उपकरणों के विकास के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। जैसे मैं कह रहा था कि प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है? आज प्रदूषण का निदान क्या है? प्रदूषण का निदान ई-व्हीकल है। ई-व्हीकल किससे बनेगा, बैटरी से बनेगा। बैटरी के लिए रॉ मैटीरियल कहां से आएगा? बंसल जी Rare earth की बात कर रहे थे, तो हमारे देश के अंदर मिनरल्स की कोई कमी नहीं है। अभी धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के अंदर बैटरी बनाने का एक भंडार मिला है, वह अमेरिका के बाद सबसे बड़ा भंडार है। हमारे देश के अंदर मिनरल्स की कमी नहीं है। उन मिनरल्स के उत्पादन के लिए, शोधन के लिए, उपयोग के लिए, विकास के लिए बजटों में प्रावधान नहीं किया गया।

जिसकी भी डिमांड आई, विदेश से आयात कर लिया। किसी भी चीज़ की देश में डिमांड बनी, तो विदेश से आयात कर ली। यानी स्वदेशी उत्पाद के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। Rare earth के ऊपर मिनरल्स निकालने के लिए, उनके शोधन के लिए, उनके विकास के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। जैसे मैं प्रदूषण की चर्चा कर रहा था। कोयले के ऊपर आधारित जो हमारे प्लांट्स हैं, ये सबसे बड़ा प्रदूषण का एक कारण हैं। किसी ने इस पर जोर दिया। अब लोगों को तो कह दिया कि हमारी सरकार आ गई, तो मुफ्त बिजली दे देंगे। “माले मुफ्त दिले बेरहम।” अब आदमी ने जब बिजली का बिल नहीं देना है, तो जो दस वॉट का बल्ब जलाता था, उन्होंने सौ वॉट का लगा लिया, क्योंकि बिजली का बिल तो भरना नहीं है। घर में एसी भी लगा लिया, डायरेक्ट तार का हुक डालकर कनेक्शन कर लिया। अब लोगों को एक बार एसी की आदत पड़ गई, तो वह दोबारा उसके बिना नहीं रह सकता है। अब उसको डायरेक्ट बिजली दोगे, तो वह गलत काम करेगा। अगर वह गलत काम नहीं करेगा, तो एसी कैसे लगाएगा? एसी का बिल देगा, तो कहां से भरेगा, क्योंकि उसकी आर्थिक पोजिशन नहीं। ये जो समस्याएं हैं, ये लोक-लुभावनी नीतियां जो चुनाव के कारण होती हैं, उनके कारण पैदा होती हैं। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने एक-एक चीज़ के बारे में माइन्यूटली सोचा है। पूरे देश के अंदर ‘सूर्यघर योजना’ चलाई गई है। आज दो-दो तीन-तीन किलोवाट के सरकार ने 70 परसेंट, 80 परसेंट सब्सिडी देकर गरीब लोगों के घरों के ऊपर जो सोलर पैनल लगा दिए ... (व्यवधान)...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

श्री रामचंद्र जांगड़ा: उसके माध्यम से बिजली की समस्या भी हल हो गई और जो मुफ्त बिजली की आदत पड़ गई थी, उनकी भी समस्या का समाधान हो गया और हर घर के अंदर बल्ब भी जलने लगे। इन सारी समस्याओं का समाधान ई-व्हीकल्स हैं। इतनी बड़ी चार हजार व्हीकल्स की पहली खेप के अंदर सप्लाई करने की जो बात बजट के अंदर कही गई है, इन सारी चीजों का एक-एक चीज का गहराई से अध्ययन करके बजट के अंदर प्रावधान किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Shriman Govindbhai Laljibhai Dholakia.

श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक श्लोक से शुरुआत करता हूँ:

“अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्।
अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।”

माननीय महोदया, मैं आज इस सदन में वित्त वर्ष 2026-27 केन्द्रीय बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा, सरकार की स्पष्ट नीयत और विकसित भारत के संकल्प का सशक्त प्रतिबिम्ब है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार स्पष्ट सिद्धांत और दूरदृष्टि पर कार्य कर रही है।

महोदया, आज का भारत निर्णय लेने से नहीं डरता, बल्कि निर्णय लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि बड़ा प्रधान नरेन्द्र मोदी हैं। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है—नीतिगत स्पष्टता और दीर्घकालीन दृष्टि। यह बजट चार प्रमुख स्तंभों पर खड़ा है। यह गरीब, युवा, किसान और महिला को सशक्त बनाने की राह पर दौड़ रहा है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंकलूसिव ग्रोथ के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचेगा। महोदया, यह बजट केवल घोषणा का बजट नहीं है, बल्कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की सशक्त यात्रा का अगला चरण है। इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया बल भारत की आर्थिक प्रगति को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा। रेल, सड़क, हवाई सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक पावरहाउस बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। आज भारत केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बन रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप और इनोवेशन को प्रोत्साहन - युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहा है। इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए उनके जीवन की सुगमता को सुनिश्चित करते हुए कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। गत वर्ष लिए गए ऐतिहासिक निर्णय को, 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर लगाकर करदाताओं के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया गया है। आज सरकार करदाताओं को संदेह की दृष्टि से नहीं देखती, बल्कि नेशन बिल्डिंग के साझेदार के रूप में देख रही है। फेसलेस मूल्यांकन, डिजिटल फाइलिंग और त्वरित रिफंड करदाताओं को सम्मान और सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आज विश्व भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से गुजर रही है, तब भारत स्थिरता, विकास और विश्वास का प्रतीक बनकर उभर रहा है। महोदया, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी कहते हैं कि मुझे भारत के युवाओं पर विश्वास है और दुनिया का सबसे युवा देश मेरा भारत है। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का अनमोल अवसर है। लेकिन यह अवसर तभी शक्ति बनेगा, जब हमारे युवा स्किल्ड और एम्प्लॉयबल होंगे। इस बजट में स्किल डेवलपमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मैनुफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्विस और कृषि आधारित उद्योगों में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह न केवल रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि लोकल टू ग्लोबल को मजबूती देगा। महोदया जी, मैं इस स्किल का साक्षी हूँ। मुझे इसका अनुभव है। मैं 7वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास कोई अभ्यास नहीं है, मगर जब मुझमें डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का स्किल आया, तब स्किल के हिसाब से आज मैं यहाँ इतना आगे निकल गया। यह सिर्फ स्किल की वजह से हुआ। अगर पूरे भारत में कहीं पर स्किल देखनी है, तो डायमंड की दुनिया की देखने वाली है। हमारे डायमंड में जो पढ़े-लिखे लोग और हाई स्कूल वाले बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 50,000 से डेढ़ लाख तक होती है। यह ऑनली स्किल है। हमारे मित्र जो वहाँ आए हैं, उन सबने यह लाइव देखा है, तो skill must be given importance. हमारे पीएम साहब, मोदी जी का मेन फोकस

स्किल बढ़ाने पर है, तो आज जो स्किल बढ़ रही है, स्किल को जो भार दिया जा रहा है, वह एकदम सही है। कितना भी पढ़ा-लिखा आदमी हो, जब हम उसे हायर करते हैं, तब हम मानते हैं कि वह डबल ग्रेजुएट है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है? अगर उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो एजुकेशन होने के बावजूद भी उन्हें कोई नहीं रख पाता। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि & “If they lack practical knowledge, no one can hire them, even if they have an education. We also have a Gujarati saying, meaning that along with education, skills are essential. A major challenge today is that jobs are available, but people with the right skills are hard to find. I repeatedly say that we need talent, but we can't find it.” तो गणतर, यानी कि स्किल बहुत जरूरी है। आज एक बड़ी चुनौती यह है कि नौकरियाँ तो हैं, लेकिन योग्य कौशल वाले लोग नहीं मिलते। मैं बार-बार बोलता हूँ कि हमें मानस चाहिए, लेकिन मानस नहीं मिलता।

नौकरी करने वाले मिलते हैं, मगर उसके पास स्किल नहीं होती है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे एमबीए करके आते हैं और इंटरव्यू देते हैं और हम बोलते हैं कि क्या किया, तो वे हमसे पूछते हैं कि मैं यहाँ सर्विस में आऊंगा, तो मेरे हाथ के नीचे कितने लोग काम करेंगे, मुझे घर मिलेगा या नहीं, मुझे गाड़ी मिलेगी कि नहीं। वह बोला कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन न हो जाए, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं, मगर हम हृदय के अंदर से बोलते हैं कि तू कुछ काम करना सीख, नहीं तो यह दरवाजा मिलेगा।

महोदया, युवाओं को उनके स्थानीय क्षेत्र में अवसर देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। भारत की आत्मा हमारे गाँवों में बसती है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। महात्मा गाँधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए इस बजट में महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज पहल एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल गाँवों को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में मजबूत नींव रखेगी। महोदया जी, भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति का जीवंत स्वरूप है। इस बजट में लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के विकास का प्रस्ताव भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे वीआर, एआर और मल्टीलैंग्वेज गाइड इन स्थलों को वैश्विक स्तर पर आकर्षक बनाएंगे। महोदया जी, कुछ लोग इस बजट की आलोचना करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि परिवर्तन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। यह बजट साहसिक निर्णयों का बजट है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि नए भारत का रोड मैप है। यह बजट सपनों को साकार करने का माध्यम है, युवाओं को अवसर देने का संकल्प है, किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास है और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूँ और श्रीमती निर्मला सीतारमण बहन जी को उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद! जय भारत!

& English translation of the original speech delivered in Gujarati.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Now, Shrimati Rekha Sharma.

SHRIMATI REKHA SHARMA (Haryana): Honourable Vice-Chairperson, Madam, I would like to start my speech by appreciating honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, for providing strong leadership to the country and steering it towards Viksit Bharat even when the world around is going through the tough times. Madam, I strongly support the Appropriation (No.2) Bill, 2026. This Bill is not merely a financial formality; it is the very instrument through which the vision of the Government gets translated into action. Policies become programs, programs get delivered and delivery results in development only when Parliament authorizes expenditure. So, this Bill is not just about money, it is about momentum, it is about governance and it is about nation building.

The Budget Estimates for 2026-27 provide for a total expenditure of Rs. 53,47,315 crore. Out of this, total Capital Expenditure is estimated at Rs. 12,21,821 crore. While effective Capital Expenditure is estimated at Rs. 17,14,523 crore, the Government has also estimated fiscal deficit at 4.3 per cent of GDP, improving from 4.4 per cent in the Revised Estimates of 2026-27. The Debt-to-GDP ratio is estimated at 55.6 per cent, lower than 56.1 per cent in the Revised Estimates of 2025-26. These numbers show that the Government is not spending recklessly, but spending responsibly and strategically. For us, this Bill is a reflection of the priorities of New India. It tells the country where the Government stands, what it values and how seriously it takes the responsibility of public money.

Madam, there are some Governments which spend to survive politically and there are some Governments which spend to transform the nation. This Government belongs to the second category. Under the leadership of honourable Prime Minister, Narendra Modi ji, India's public expenditure has acquired a clear direction, a clean purpose and a measurable outcome.

7.00 P.M.

This Government does not believe in throwing money blindly and then hiding failures behind slogans. This Government believes in spending with honesty, purpose and impact. Madam, the Government's net tax revenue is estimated at Rs. 28,66,922 crore in 2026-27, an increase of 7.2 per cent over the Revised Estimates of 2025-26. This Appropriation Bill is not just an accounting exercise. It is declaration of intent. It is the statement that money of the people will be used for the people, not for the

middlemen, not for the vote bank brokers, not for political commissions and not for the ecosystem of corruption that once thrived in this country. Madam, we support this Bill. When we support this Bill, we are supporting roads, railways, defense, farmers, women, youth, digital infrastructure, modern connectivity, welfare delivery, and India's rise as a strong and self-confident nation. Every rupee authorized through this Bill carries the hope of a citizen and the resolve of a Government that has chosen the performance over propaganda. The transformation of *Bharat* is happening because this Government moved from scattered schemes to mission-mode governance. For example, PM Jan Dhan Yojana brought crores of poor families into the formal banking system and gave dignity, identity and direct access to benefits. PM Gati Shakti changed the way India plans infrastructure by bringing roads, rail ports and logistic and connectivity into one integrated platform. In defense sector, policies for Atmanirbhar, iDEX, Srijan, and push for domestic procurement have changed not only production but the very confidence of the nation.

Madam, the changes are not only in the policy documents. They are in the minds of ordinary families. In today's *Bharat*, children from poor and modest backgrounds are no longer told to limit their dreams. They are now dreaming to become scientists, entrepreneurs and civil servants. I noticed this change especially in the children from the Army background where the *jawans'* and JCOs' children are becoming officers and performing extraordinarily well. This was not the same in the past. This Appropriation Bill is not just an accounting exercise. It is a declaration of intent. It is the statement that money of the people will be used for the poor, not the middle man. Madam, when we support this Bill, we are supporting the roads, as I already said. This Appropriation Bill funds the engine of growth. It gives force to the vision of *Viksit Bharat*. It supports the pace of infrastructure creation. It strengthens the hands of state. It empowers the poor through direct and honest delivery. It builds confidence among investors, youth, farmers, women, and entrepreneurs. Above all, it shows that India is not drifting; India is moving with purpose.

Madam, this House must recognize one simple truth. Money in the hands of a weak Government becomes waste. Money in the hands of corrupt system becomes leakage. But money in the hands of committed and nationalist Government becomes transformation. That is why the same expenditure looks different under different dispensations. When they spent, files moved. When we spend, the nation moves. When they allocated, commissions grew. When we allocate, connectivity grows. When they spoke of poverty, poverty remained. When we work for the poor, they come out of poverty.

Madam, there was a time when people assumed that if a project was announced, it would remain stuck for years. There was a time when delays were considered normal, corruption was considered routine and inefficiency was treated as destiny. That mindset has changed. Today, people expect delivery because this Government has made delivery the norm. This is the strength of this Bill. The Appropriation Bill is the parliamentary approval behind schools being improved, hospitals being strengthened, highways being expanded, railways being modernized, villages being connected, women being empowered, and India's Defence preparedness being reinforced. And let us remember, this is happening not in an atmosphere of confusion, but in an atmosphere of confidence. The world today sees India as a bright spot. Investors see India as a stable destination. Citizens see India as a country moving forward. And all this is not accidental. It is the result of discipline in thought, clarity in priorities and firmness in execution.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRIMATI REKHA SHARMA: Give me two minutes, Madam. For decades, public expenditure in India suffered from a credibility problem. Not because the people lacked faith in democracy, but because they lacked faith in delivery. That faith has been restored. Today, a citizen believes that when the Government announces something, it will happen. ...(*Time-bell rings.*)... That is a huge democratic achievement. And credibility is one of the biggest strengths of the Modi Government. The Opposition can't digest this. Why? Because for them, politics was about narrative management. For this Government, politics is about national management. For them, the Budget was an event. For us, it is a road map. For them, Appropriation was permission to spend. For us, it is a responsibility to transform.

Madam, public money is sacred. It comes from the sweat of the taxpayer, the toil of the farmer, the effort of worker, the dream of the middle classes and the aspiration of the youth. Therefore, every rupee must carry accountability. This Government understands that. That is why, under Modi ji's leadership, public expenditure has gained credibility.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Please conclude.

SHRIMATI REKHA SHARMA: Madam, I also want to say this very clearly. The Modi Government has changed the grammar of governance. Thank you, Madam.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Message from the Lok Sabha. Secretary-General.

MESSAGES FROM LOK SABHA- *Contd.*

SECRETARY-GENERAL: Madam, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on 24th March 2026, passed the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026.

I lay a copy of the said Bill on the Table.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Honourable Members, all those who have given names have participated in the discussion on the Appropriation (No. 2) Bill, 2026. As the Business Advisory Committee had allotted time for combined discussion on this Bill and the Finance Bill, 2026, if the House agrees, the reply may be deferred and honourable Minister may give a combined reply after the discussion on the Finance Bill, 2026.

SOME HONOURABLE MEMBERS: Yes, Madam.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Honourable Members, there are 14 permitted Special Mentions for today. The subject of the Special Mentions may be read out by the honourable Members and it may be laid on the Table of the House.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): No, no. It was decided that they will read. ...(Interruptions)... No laying on the Table. ...(Interruptions)...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): Okay. Those who want to read can read. Now, Special Mentions. Shri Babubhai Jesangbhai Desai.

SPECIAL MENTIONS

[€] Need to curb the misuse of Artificial Intelligence on social media

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई (गुजरात): महोदय, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते दुरुपयोग की गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विभिन्न डिजिटल माध्यमों—जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप, रील्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्मों पर

[€] Laid on the Table.

एआई का उपयोग करके नेताओं तथा सार्वजनिक व्यक्तियों के नकली वीडियो, कार्टून, मॉर्फेड चित्र और भ्रामक सामग्री तैयार कर व्यापक रूप से प्रसारित की जा रही है। यह पूरी तरह से असत्य या भ्रामक होती है, जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों के बारे में एआई आधारित फर्जी वीडियो और ऑडियो तैयार कर उन्हें वायरल किया जाता है, जिससे समाज में भ्रम, अविश्वास और अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक संवाद, सार्वजनिक शिष्टाचार के लिए भी गंभीर चुनौती बन रही है। यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित वर्तमान कानून और साइबर अपराध से निपटने के लिए तंत्र मौजूद हैं, लेकिन एआई आधारित डीपफेक और डिजिटल हेरफेर की बढ़ती जटिलता को देखते हुए स्पष्ट और कठोर नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सोशल मीडिया पर एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट नियामक ढाँचा तैयार किया जाए; डीपफेक और फर्जी डिजिटल सामग्री की पहचान के लिए तकनीकी तंत्र विकसित किया जाए तथा ऐसे कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक प्रावधान किए जाएं। इससे न केवल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और जीवन की गरिमा सुरक्षित रहेगी, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर जिम्मेदार और स्वस्थ संवाद को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by the honourable Member, Shri Babubhai Jesangbhai Desai: Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Sanjay Yadav (Bihar) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Shri Akhilesh Prasad Singh.

Demand for the interlinking of rivers in Bihar for irrigation in Central and South Bihar

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): महोदया, बिहार एक विडंबनापूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है, जहाँ एक ही राज्य में बाढ़ और सूखे की समस्या साथ-साथ मौजूद है। उत्तर बिहार में कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियाँ हर वर्ष भारी मात्रा में जल लेकर आती हैं, जबकि गंगा नदी के कारण भी बिहार के मैदानी क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। अनुमान है कि मानसून के दौरान बिहार से होकर प्रति वर्ष लगभग 70 से 80 अरब घन मीटर (BCM) पानी बहता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बिना उपयोग के गंगा के रास्ते समुद्र में चला जाता है। इसके विपरीत, मध्य और दक्षिण बिहार के जिलों - जैसे गया, नवादा, जमुई और लखीसराय - में सिंचाई के साधनों का गंभीर अभाव है और यहाँ के किसान आज भी मुख्यतः वर्षा पर निर्भर हैं। राज्य की लगभग 94 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से केवल 55 से 60 प्रतिशत क्षेत्र को ही सुनिश्चित

सिंचाई उपलब्ध है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि प्रति वर्ष 15 से 20 अरब घन मीटर (BCM) अतिरिक्त जल इन क्षेत्रों तक पहुँचाया जाए, तो मध्य और दक्षिण बिहार के बड़े हिस्से में स्थायी सिंचाई व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य के भीतर नदियों को जोड़ने और नहरों के माध्यम से अतिरिक्त बाढ़ के पानी को जल-अभाव वाले क्षेत्रों तक पहुँचाने की आवश्यकता है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिहार में नदियों के interlinking की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएँ और इसे 'National River Linking Project' के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाए।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by the honourable Member, Shri Akhilesh Prasad Singh: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand) and Shri Sanjay Yadav (Bihar).

Shri Golla Baburao.

Request for release of domestic LPG connections under PM-Ujjwala Yojana to poor women in Andhra Pradesh

SHRI GOLLA BABURAO (Andhra Pradesh): Madam, honourable Prime Minister announced giving 25 lakh more domestic LPG connections under PM-Ujjwala Yojana to poor women during 2025-26 to clear pending applications. PMUY is providing LPG connections to adult women from poor households and, so far, 10.33 crore connections are given. This has been appreciated by women, who otherwise suffer by burning solid fuels like wood, dung and crop residues. Women prefer LPG gas since it lowers indoor air pollution leading to better respiratory health.

Secondly, everybody is appreciating that the Government of India is giving Rs. 300 subsidy per cylinder for 9 refills to ease financial burden on poor women. 9.72 lakh connections are given to poor women in Andhra Pradesh under PM-Ujjwala for which they are grateful to honourable Prime Minister. Out of these, 1.74 lakh belongs to SC/ST communities. But, there are still 60,000 applications pending from poor women for LPG connections from AP. All applicants are eagerly waiting that they would get connection out of 25 lakh approved. Hence, I request Government to consider all 60,000 applications from Andhra Pradesh and provide poor women LPG connections at the earliest. I also request for increasing the LPG subsidy from Rs. 300 now being given per cylinder to Rs. 500 which will go a long way in easing financial burden on women. Thank you.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by the honourable Member, Shri Golla Baburao: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand) and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

Shri Harsh Vardhan Shringla.

**Concern over operational and maintenance challenges faced by the
UNESCO heritage, Darjeeling Himalayan Railway**

SHRI HARSH VARDHAN SHRINGLA (Nominated): Madam, I seek to draw attention to the need to preserve the Darjeeling Himalayan Railway, popularly known as the Toy Train, a UNESCO World Heritage Site under the Mountain Railways of India. Built in 1881, this engineering marvel connects New Jalpaiguri to Darjeeling across fragile Himalayan terrain. For over 140 years, it has symbolized the region's cultural identity and attracted tourists from India and abroad. However, serious operational and maintenance challenges now threaten its survival. Despite efforts by the Ministry of Railways, the railway corridor has gradually shrunk, compromising safety and efficiency. The line passes through landslide prone areas where heavy rainfall frequently damages tracks and disrupts services, requiring constant monitoring and restoration. Ageing steam locomotives also demand specialised maintenance and custom built parts, necessitating sustained technical and financial support. The vision of "Vikaas bhi Viraasat bhi" rightly emphasizes balancing development with heritage conservation. This Railway embodies that vision must be preserved through sustainable tourism and infrastructure strengthening. There is a need to enhance visibility through strategic marketing and to develop an integrated tourism ecosystem linked with local culture and livelihoods. Active participation of local communities, tourism stakeholders, and Self Help Groups can generate employment. Skill development of youth and railway staff in heritage conservation and modern maintenance is equally essential.

I urge the Government to formulate a comprehensive conservation plan with adequate funding, infrastructure restoration, corridor protection, and disaster mitigation measures. Preserving this railway is preserving a living heritage and the identity of the hills.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by the honourable Member, Shri Harsh Vardhan Shringla: Shri Kartikeya Sharma

(Haryana), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Gulam Ali (Nominated), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Sat Paul Sharma (Jammu and Kashmir), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Sanjay Yadav (Bihar) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Dr. Ashok Kumar Mittal.

**Concern over rising cost of educational loans and demand for reforms in
loan repayment rules**

DR. ASHOK KUMAR MITTAL (Punjab): Madam, Standing Committee on Education की 372वीं रिपोर्ट के अनुसार, 2014 से 2025 के बीच एक्टिव स्टूडेंट लोन अकाउंट्स की संख्या 23.36 लाख से घटकर 20.63 लाख रह गई है, लेकिन loan amount 52,327 करोड़ से बढ़कर 1,37,474 करोड़ हो गया है। इसका सीधा अर्थ है कि हायर एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है और आम छात्रों के लिए लोन लेना मुश्किल हो रहा है। PLFS की रिपोर्ट के अनुसार, Unemployment Rate 5.2% तक पहुँच गया है। आज बेरोजगारी के कारण लोन लेने वाले बहुत से छात्र अपने लोन की EMI नहीं चुका पा रहे हैं। जॉब न होने के कारण वे भारी आर्थिक तंगी और बैंकों के रिकवरी दबाव का सामना कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई नौकरी मिल भी जाती है, तो उनकी शुरुआती इनकम इतनी कम होती है कि उससे घर का खर्च चलाना और भारी EMI भरना असंभव हो जाता है। इसी कारण Education Loans में डिफॉल्ट बढ़ रहा है और GNPA 3.8 per cent तक पहुँच गया है।

इन हालातों को देखते हुए मेरी सरकार से माँग है कि Collateral free loans की Limit 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाए। दूसरा, छात्रों को नौकरी ढूँढने का समय देने के लिए Moratorium Period को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल किया जाए। तीसरा, बैंकों में Income contingent repayment models लागू हों, जहाँ छात्र की इनकम के हिसाब से ही उसकी EMI तय हो। अंत में, छात्रों को भारी ब्याज के बोझ से बचाने के लिए सरकार तत्काल एक 'Interest Waiver Scheme' लाए, जिसमें शिक्षा ऋण पर लगने वाले कुल ब्याज का 50 per cent हिस्सा सरकार वहन करे और बाकी 50 per cent हिस्सा छात्र चुकाए।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by the honourable Member, Dr. Ashok Kumar Mittal: Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

Shrimati Mahua Maji.

Demand to establish a National Value Addition and Research Centre in Jharkhand

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): महोदया, मैं झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। झारखंड वन संपदा से समृद्ध है। यहाँ लाखों आदिवासी एवं वनाश्रित परिवारों की आजीविका महुआ, साल बीज, करंज, इमली, शहद, लाख और टसर जैसे लघु वनोपज पर निर्भर है। देश के कुल लाख उत्पादन का लगभग 55—60 प्रतिशत तथा टसर रेशम का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन झारखंड में होता है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इन समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सराहनीय पहल की है। Self Help Groups के माध्यम से वन उपज के संग्रहण व विपणन को बढ़ावा देना, टसर व लाख उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करना। इन प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है।

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वन उपज के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन व संगठित राष्ट्रीय बाजार का अभाव है। इसके कारण आदिवासी संग्राहकों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और बिचौलियों को अधिक लाभ मिल जाता है।

अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि झारखंड में राष्ट्रीय स्तर का लघु वनोपज मूल्य संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए, जहाँ प्रसंस्करण, पैकेजिंग, अनुसंधान तथा निर्यात की आधुनिक सुविधाएँ विकसित हों। इससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ेगी, स्थानीय उद्योग विकसित होंगे और वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी वास्तविक बल मिलेगा।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by honourable Member, Shrimati Mahua Maji: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Sanjay Yadav (Bihar) and Shri Subhasish Khuntia (Odisha).

Shriman Lahar Singh Siroya.

Need for social campaign to address underage driving

SHRI LAHAR SINGH SIROYA (Karnataka): Madam, I seek to bring attention of the Government to the growing concern around underage driving in Indian cities. I would like to illustrate this issue with two incidents that took place in and around the city of Bengaluru last month, that is February 2026. First, in an accident that took place on 14th February 2026, in Hoskote Taluk, just outside Bengaluru, seven lives were lost and, out of them, five were minors. In this accident, a teenager was driving an SUV at 150 kmph. Two days later, on 16th February, on Tumkur Road, in the outskirts of Bengaluru, five youngsters in a car were killed, among whom three were minors.

Again, in the driving seat was a teenager. Cases related to teenage driving has risen consistently in Bengaluru city in the last two years. The police have booked around 414 cases in 2025. This is not the story of Bengaluru city alone, as there are similar media reports from Delhi, Pune, Nagpur, Chennai, Hyderabad, Visakhapatnam among other cities. Minors who get behind the wheels don't just put their lives in danger but endanger others on the streets too. There are enough rules and fines but they have not stopped underage drivers from seeking their thrill. Parental oversight alone is not enough. I, therefore, sincerely urge the Government and the Ministry of Road Transport and Highways to develop and undertake an effective multimedia social campaign on underage driving. Thank you, Madam.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by honourable Member, Shri Lahar Singh Siroya: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh) and Shri Subhash Barala (Haryana).

Shri Masthan Rao Yadav Beedha.

Demand for Integrated Buckingham Canal—based multimodal corridor in Andhra Pradesh under NW-4 with key focus on SPS Nellore district

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Vice-Chairman Madam, I draw attention of the Government to the urgent need for integrated development of the Buckingham Canal corridor in Andhra Pradesh, particularly in Sri Potti Sriramulu Nellore District, under National Waterway-4 (NW-4). This calls for coordinated action by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Inland Waterways Authority of India (IWAI), and convergence with the Sagarmala and Bharatmala programmes. Buckingham Canal traverses about 257–258 km in Andhra Pradesh, and the Nellore stretches are less encroached and technically feasible. Official alignment studies and KML-based mapping demarcate a 60-metre waterway corridor and a 30-metre parallel road corridor, safeguarding canal boundaries while enabling planned infrastructure development. This allows simultaneous canal restoration and road development, unlike congested urban stretches elsewhere on NW-4. The Nellore corridor provides multimodal connectivity between Krishnapatnam Port and the proposed Ramayapatnam Port, linking industrial hubs and hinterland areas. A combined road-and-waterway corridor can reduce logistics costs, decongest

highways and improve industrial efficiency. It also offers scope for five to six future industrial cities, generating employment and balanced regional growth. The Union Budget 2026–27 reiterates emphasis on inland waterways, port-led development, multimodal logistics, and coastal infrastructure. The Buckingham Canal corridor is a natural candidate for convergence. I urge upon the Government to sanction a Detailed Project Report (DPR), take up the Nellore stretch as a pilot corridor, and establish a Centre—State mechanism with IWAI for time-bound execution.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The honourable Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha) associated himself with the Special Mention made by the honourable Member, Shri Masthan Rao Yadav Beedha.

Dr. Sasmit Patra.

Concern on missing Indian Seafarers in International Waters

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Madam, I seek to highlight the case of a young cadet from Odisha, who has gone missing in international waters under unexplained circumstances. At the very beginning of his career, he boarded a commercial vessel with aspirations of supporting his family and building a future. Instead, his sudden disappearance, after he was last seen onboard has left his family in prolonged uncertainty, with no clear answers despite search efforts and limited transparency from authorities. This is not an isolated incident. Official records reveal numerous Indian seafarers reported missing or dead under unclear conditions, with many cases still pending investigation years later. These include incidents of explosions, onboard accidents, disappearances, and even alleged negligence by ship authorities. In one case, a cadet went missing mid-voyage despite multiple onboard searches, highlighting serious gaps in monitoring and accountability. Further, official communication indicates that nearly 50 Indian seafarers have died in a single foreign region since 2014, many of them between 18 and 24 years old. Several cases also point towards mental harassment, unsafe working environments, and delays in compensation and investigation. I, therefore, demand time-bound international probe into seafarers' disappearance, mandatory real-time tracking and reporting of Indian crew on all vessels, a National Maritime Missing Persons Authority and a time-bound accountability for all pending cases.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by the honourable Member, Dr. Sasmit Patra: Shrimati Mahua Maji (Jharkhand),

Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Kartikeya Sharma (Haryana), and Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur).

Shrimati Seema Dwivedi.

**Demand for Old Pension Scheme for employees appointed against posts
advertised in Central Universities prior to December 22, 2003**

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/05/2023 Pand PW(B), दिनांक 3 मार्च, 2023 के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असंगत क्रियान्वयन की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इस आदेश के तहत 22 दिसंबर, 2003 या उससे पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प देने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पेंशन संबंधी प्रावधान सामान्यतः सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार यूजीसी की स्वीकृति से लागू किए जाते हैं। इसी क्रम में वर्ष 2020 का संबंधित आदेश विश्वविद्यालयों में लागू किया गया था। किंतु वर्ष 2023 के आदेश को, जिसे पूर्व आदेश का विस्तार बताया गया था, बाद में व्यय विभाग के निर्देश पर यह कहते हुए वापस ले लिया गया कि यह केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के साथ विषमता उत्पन्न हो गई है, जबकि इसी प्रकार के लाभ कई अन्य मंत्रालयों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों—जैसे आईसीएआर, सीएसआईआर, आईसीएमआर, पीजीआईएमईआर, बीआईएस, ईपीएफओ आदि को मिल रहे हैं। साथ ही, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रयागराज (1 अक्टूबर, 2024) तथा नई दिल्ली (27 मार्च, 2025) की पीठों ने भी इस लाभ को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को देने का निर्देश दिया है। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस विषय में उचित निर्णय लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी 3 मार्च, 2023 के आदेश का लाभ प्रदान किया जाए, जिससे उत्पन्न विसंगति दूर हो सके।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by the honourable Member, Shrimati Seema Dwivedi: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh).

Now, Shri Kartikeya Sharma.

Need to ensure pay parity and appropriate remuneration for judges in India

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Sir, I draw the attention of Government the need to review and ensure pay parity and appropriate remuneration for judges in India. The judiciary is a cornerstone of our constitutional democracy. Judges carry the profound responsibility of safeguarding the Constitution, protecting citizens' rights,

and upholding the rule of law. However, despite the critical nature of this responsibility, judges in India receive significantly lower remuneration compared to their counterparts in many other major democracies. This disparity becomes even more concerning when we consider the demanding nature of judicial work, the high standards of integrity expected from judges, and the need to attract the most capable members of the Bar to the Bench. Competitive and dignified remuneration is not merely a matter of compensation; it is directly linked to judicial independence, institutional strength, and the quality of justice delivery. In recent years, concerns have also been raised about lack of parity between judicial remuneration and the compensation structures of other high constitutional and senior public offices. Addressing this gap is essential to preserve the dignity of the institution and ensure that the judiciary continues to attract the finest legal minds. I, therefore, urge the Government to undertake a comprehensive review of the salary and service conditions of judges, keeping in mind international benchmarks and the principle of institutional parity. Strengthening the conditions of service of judges is ultimately an investment in the credibility, independence, and effectiveness of India's justice system.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by the honourable Member, Shri Kartikeya Sharma: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Madan Rathore and Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh).

Now, Shri Digvijaya Singh.

Demand to include Gondi language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं सरकार का ध्यान देश की एक महत्वपूर्ण आदिवासी भाषा, गोंडी भाषा, को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गोंडी भाषा भारत की प्रमुख आदिवासी भाषाओं में से एक है, जिसे देश के अनेक राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, में बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं। यह भाषा गोंड जनजाति की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, लोक कथाओं और ज्ञान परंपरा की वाहक रही है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, गोंडी बोलने वालों की संख्या लाखों में है, परंतु अभी तक इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल पाया है। इस कारण भाषा के संरक्षण, संवर्धन तथा शिक्षा और प्रशासन में इसके उपयोग को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। आज जब देश अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, तब गोंडी भाषा को संवैधानिक मान्यता देना अत्यंत आवश्यक है। इससे

आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ उनके आत्मसम्मान और पहचान को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा।

अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि गोंडी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएँ, ताकि देश की इस महत्वपूर्ण आदिवासी भाषा को उसका उचित सम्मान और संरक्षण मिल सके।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The following honourable Members associated themselves with the Special Mention made by the honourable Member, Shri Digvijaya Singh: Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Neeraj Dangi (Rajasthan).

Now, Shri Raghav Chadha.

Concern over impact of traffic congestion in Indian cities

श्री राघव चड्ढा (पंजाब): महोदया, सुबह-शाम दिल्ली में Ring Road, Ashram Chowk, Dhaula Kuan या NH के Delhi-Gurgaon stretch पर निकल जाइए, Bengaluru का Silk Board Junction या Outer Ring Road, Kolkata में AJC Bose Road या Chowringee Road, Mumbai में Andheri या Bandra से Fort या Town Side जाना हो, तो लगेगा यह road नहीं बल्कि एक लंबी parking-line है। लोग कार में बैठकर ऑफिस का काम या मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल चल ही नहीं रहा होता। यह सिर्फ inconvenience नहीं है, यह economic-loss भी है। आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु में एक commuter हर साल लगभग 168 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहता है, यानी करीब 7 पूरे दिन। दिल्ली में लगभग 104 घंटे, पुणे में 152 घंटे, कोलकाता में करीब 110 घंटे, चेन्नई में करीब 100 घंटे और मुंबई में करीब 126 घंटे हर साल ट्रैफिक में ही निकल जाते हैं। यह सिर्फ टाइम लॉस नहीं है। यह प्रोडक्टिविटी लॉस है, फ्यूल वेस्टेज है, pollution बढ़ाता है और लोगों को stress और frustration देकर उनकी quality of life पर सीधा असर डालता है। यह problem बढ़ती जा रही है। पिछले साल देश में लगभग 2.5 करोड़ नए व्हीकल्स रजिस्टर हुए, जिनमें ज्यादातर प्राइवेट व्हीकल्स हैं।

मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि देश के बड़े मेट्रोज के लिए एक national urban decongestion mission बनाया जाए, जिसमें better public transport, smart traffic management systems और scientific parking policy पर focused action plan तैयार किया जाए।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK): The honourable Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha) associated himself with the Special Mention made by honourable Member, Shri Raghav Chadha.

The next Special Mention is of Shri A.D. Singh; not present.

The House stands adjourned to meet at 11.00 A.M. on Wednesday, the 25th March, 2026.

The House then adjourned at thirty-seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 25th March, 2026.
